उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम

374 – सैन्य अध्ययन

पुस्तक – 1

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(शिक्षा मंत्रलय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

ए-24-25, इंस्टीटयूश्नल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309 (उ.प्र.)

वेबसाइट : www.nios.ac.in, टोल फ्री नं. 18001809393

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

2020 मुद्रित प्रतियाँ ( )

प्रकाशक

सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

ए-24-25, इंस्टीटयूश्नल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309 (उ.प्र.)

सलाहकार समिति

प्रो. सी.बी. शर्मा
अध्यक्ष
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
नोएडा, उ.प्र.

डॉ. राजीव कुमार सिंह
निदेशक (शैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
नोएडा, उ.प्र.

पाठ्यक्रम समिति

मेजर जनरल जी. मुरली
(सेवानिवृत्त)

डॉ. ई. प्रभाकरन
असिस्टेंट प्रोफेसर
डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज़, मद्रास विश्वविद्यालय

कर्नल प्रदीप कुमार
टी.आर.

डॉ. उत्तम कुमार जामाधगनी
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष I/C
डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज़, मद्रास विश्वविद्यालय

डॉ. एम. वेकेंटारमन
असिस्टेंट प्रोफेसर
डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज़, मद्रास विश्वविद्यालय

कर्नल राजेश सिंह
एस.सी., एस,एम

पाठ लेखक

मेजर जनरल जी. मुरली
(सेवानिवृत्त)

डॉ. ई. प्रभाकरन
असिस्टेंट प्रोफेसर
डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज़, मद्रास विश्वविद्यालय

डॉ. सी.एस. अनुराधा
पोस्ट डोक्टोरल रिसर्च फेलों
राजनीति विभाग, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मद्रास वि.वि.

डॉ. उत्तम कुमार जामाधगनी
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष I/C
डिफेंस एंड स्ट्रेडिजिक स्टडीज़, मद्रास विश्वविद्यालय

डॉ. एम. वेकेंटारमन
असिस्टेंट प्रोफेसर
डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज़, मद्रास विश्वविद्यालय

कर्नल राजेश सिंह
एस.सी., एस.एम.

डॉ. आर. विगनेश
एकेडमिक फेलो इन मिलिटेरी हिस्ट्री
डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक स्टडीज़, मद्रास विश्वविद्यालय

अनुवादक और भाषा संपादक

डॉ. प्रेम तिवारी
एसोसिएट प्रोफेसर
दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

श्री एम.एल. साहनी
सेवानिवृत्त लेक्चरर
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली

डॉ. अंशुमन ऋषि
शिक्षक,
कुलाची हंसराज स्कूल, दिल्ली

श्री शवाहत हुसैन
टी.जी.टी.
डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनीयर सेकण्डरी स्कूल,
जाफराबाद, दिल्ली

पाठ्यक्रम समन्वयक

डॉ. संध्या कुमार
उप निदेशक (शैक्षिक)
एन.आई.ओ.एस. (उ.प्र.)

डॉ. अज़मत नूरी
सहायक निदेशक (शैक्षिक)
एन.आई.ओ.एस. (उ.प्र.)

डी.टी.पी.

कुलदीप सिंह
त्री नगर, दिल्ली

आपसे दो बातें

प्रिय शिक्षार्थियो !

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए 'सैन्य अध्ययन' पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य 'सैन्य अध्ययन' के क्षेत्र में शिक्षार्थियों की रुचि को विकसित करना तथा गहरी समझ बनाना है। सशस्त्र बलों की ज़रुरत को जानने तथा सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका को समझने के लिए सैन्य अध्ययन का बहुत महत्व है।

इस पाठ्यक्रम को दो भागों में बाँटा गया है जिसमे 6 माड्यूलों को 18 पाठों में विभक्त किया गया है। इसमें सम्मिलित माड्यूल्स इस प्रकार हैं-सैन्य अध्ययन, बलों का ढाँचा और भूमिका, सुरक्षा और भू-रणनीति, भारतीय सशस्त्र बल, हथियार और युद्ध सामग्री एवं आधुनिकीकरण, युद्ध और इसके प्रकार, सशस्त्र बल और आंतरिक सुरक्षा में इसकी भूमिका।

प्रत्येक माड्यूल में एक अलग सिद्धांत है जो परस्पर जुड़े हुए हैं ताकि पाठ्यक्रम की निरंतरता बनी रहे। 18 पाठों में से 5 पाठों को अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र के लिए निश्चित किया गया है। यह पाठ इस प्रकार हैं-पाठ नं. 2 (सैन्य अध्ययन की अवधारणा और विकास), पाठ 5 (विशेष बल), पाठ 8 (भू-रणनीति), पाठ 13 (जैविक युद्ध), पाठ 14 (रसायनिक युद्ध), शेष 13 पाठों को सार्वजनिक परीक्षा के लिए रखा गया है। आशा है कि यह पाठ्यक्रम सेवारत सैनिकों के ज्ञान में वृद्धि करने तथा युवा पीढ़ी को सेना में सेवा करने के लिए तैयार करने से संबंधित है। आपके सुझावों का स्वागत है।

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाईट www.nios.ac.in के माध्यम से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमें आपकी सहायता से प्रसन्नता होगी।

अधयक्ष

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

पाठ्य सामग्री को कैसे पढ़ें !

स्व अध्ययन की चुनौती को स्वीकार करने के लिए आपको बधाई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान हर कदम पर आपके साथ है और हमने आपको ध्यान में रख कर इस पाठ्य सामग्री को विषय विशेषज्ञों की एक टीम के माध्यम से तैयार किया है। स्वतंत्र अध्ययन के प्रारुप का अनुपालन किया गया है। यदि आप निम्नलिखित निर्देशों का अनुसरण करेंगे तो आप को इस पाठ्य सामग्री का अधिकतम लाभ मिलेगा। पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त संकेतक आपका मार्ग दर्शन करेंगे। आपकी सुविधा के लिए प्रयोग किए गए संकेतों को नीचे स्पष्ट किया गया है।

शीर्षक : इससे आपको प्रस्तुत सामग्री का स्पष्ट आभास होगा। इसको अवश्य पढ़िए।

प्रस्तावना : इससे आपको पिछले पाठ से वर्तमान पाठ के संबंध का ज्ञान होगा।

उद्देश्य : ये ऐसे कथन हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि किसी पाठ से आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा। उद्देश्यों से आपको यह जाँचने में सहायता मिलेगी कि किसी पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा। इन्हें अवश्य पढ़िए।

टिप्पणी : प्रत्येक पृष्ठ की एक ओर खाली स्थान छोड़ा गया है जहां आप मुख्य बिंदु और विशेष बातें लिख सकते हैं।

पाठगत प्रश्न : प्रत्येक खंड के बाद आत्म निरीक्षण के लिए कुछ अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इससे आपको अपनी प्रगति का बोध होगा। इस कार्य को सही ढंग से करने पर आप यह निर्णय कर पाएंगे कि आगे बढ़ा जाए या पीछे लौट कर फिर से पढ़ा जाए।

आपने क्या सीखा : यह पाठ के मुख्य बिंदुओं का सार है। यह पुनर्स्मरण करने तथा दोहराने में सहायक होगा। आप इसमें अपने बिंदु भी जोड़ सकते हैं।

पाठान्त प्रश्न : यह दीर्घ और लघु उत्तारात्मक प्रश्न हैं जो पूरे विषय के बारे में स्पष्ट समझ प्राप्त करने हेतु अभ्यास करने का अवसर प्रदान करते हैं।

यह 'बाक्स' आपको अतिरिक्त जानकारी देते हैं। बाक्स में दी गई जानकारी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है, अतः इस पर ध्यान देना चाहिए। मूल्यांकन के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता परन्तु यह आपके सामान्य ज्ञान को समृद्ध करते हैं।

उत्तरमाला : इससे आपको यह जानने में सहायता मिलती है कि आपने उत्तर कितने सही लिखे हैं।

क्रियाकलाप : सिद्धांतों की बेहतर समझ के लिए कुछ क्रियाकलाप सुझाए गए हैं।

वेबसाईट : ये वेबसाईट्स आपकी जानकारी और ज्ञाप को विस्तार देती हैं। आवश्यक जानकारी को पाठ्य सामग्री में सम्मिलित किया गया है और आप अधिक जानकारी के लिए इन वेबसाईट्स का अध्ययन कर सकते हैं।

सैन्य अध्ययन पाठ्यक्रम

अध्ययन सामग्री पर एक विहंगम दृष्टि

माड्यूल	पाठ संख्या	पाठ का नाम		
माड्यूल-I	1	सैन्य अध्ययन का महत्व		PE
सैन्य अध्ययन	2	सैन्य अध्ययन की अवधारणा और विकास	TMA	
	3	वर्तमान में सैन्य अध्ययन की आवश्यकता		PE
माड्यूल-II	4	सशस्त्र बल		PE
बलों की संरचना	5	विशेष बल	TMA	
और भूमिका	6	अर्द्ध सैनिक बल		PE
माड्यूल-III	7	भू-रणनीति		PE
सुरक्षा और	8	भू-राजनीति	TMA	
भू-रणनीति	9	समुद्री सुरक्षा		PE
माड्यूल-IV	10	सशस्त्र बलों की भूमिका और उनके उपकरण		PE
भारतीय सशस्त्र बल : हथियार और युद्ध सामग्री एवं आधुनिकीकरण	11	भारतीय सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण		PE
माड्यूल-V	12	परमाणु हथियार		PE
युद्ध और	13	जैविक युद्ध	TMA	
इसके प्रकार	14	रसायनिक यद्धु	TMA	
	15	साईबर युद्ध		PE
माड्यूल-VI	16	शांति स्थापना और सशस्त्र सेनाएँ		PE
सशस्त्र बल और	17	सशस्त्र सेनाएं और आपदा प्रबंधन		PE
आन्तरिक सुरक्षा में इसकी भूमिका	18	सशस्त्र बल और आन्तरिक सुरक्षा		PE

कुल पाठ : 18

सार्वजनिक परीक्षा के निश्चित पाठ (PE) : 13

शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र (TMA/टी.एम.ए.) के लिए निश्चित पाठ : 5

नोट : इस पुस्तक में लिए गए विभिन्न चित्रों एवं पाठ्य सामग्री का प्रयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं अपितु केवल शिक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है।

विषयसूची

	पृष्ठ संख्या	मूल्यांकन की प्रणाली TMA/PE
माड्यूल-I सैन्य अध्ययन		
1. सैन्य अध्ययन का महत्व	1	PE
2. सैन्य अध्ययन की अवधारणा और विकास	6	TMA
3. वर्तमान में सैन्य अध्ययन की आवश्यकता	17	PE
माड्यूल-II बलों की संरचना और भूमिका		
4. सशस्त्र बल	27	PE
5. विशेष बल	40	TMA
6. अर्द्ध सैनिक बल	47	PE
माड्यूल-III सुरक्षा और भू-रणनीति		
7. भू-रणनीति	57	PE
8. भू-राजनीति	68	TMA
9. समुद्री सुरक्षा	81	PE

टिप्पणी

374hn01

1

सैन्य अध्ययन का महत्त्व

सैन्य अध्ययन को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे रक्षा और रणनीतिक शिक्षा, सैन्य विज्ञान, युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन, युद्ध और रणनीति अध्ययन। वर्तमान में सैन्य अध्ययन को भारत में केवल कुछ ही कालेजों/विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इससे दो प्रश्न उभरते हैं। पहला यह कि सैन्य अध्ययन का महत्व क्या है? दूसरा यह कि एक युवा विद्यार्थी के रूप में आपको इस विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए? जैसा कि आपने इतिहास विषय में पढ़ा होगा कि मनुष्य सदैव युद्धों के कारण दु:ख झेलता रहा है परन्तु उसने युद्ध लड़ना कभी नहीं छोड़ा। आज के युग में युद्ध की आवश्यकताएं बदल गई हैं और युद्ध के तरीके भी बदल गए हैं।

मजबूत सशस्त्र सेना रखना तथा विभिन्न खतरों से लोगों को बचाना हमारे जीवन की निरन्तर विशेषता रही है। सैन्य सुरक्षा का ज्ञान, सशस्त्र सेनाओं को युद्ध के लिए किस प्रकार तैयार किया जाता है तथा युद्ध की कला क्या है–जैसे प्रश्नों के उत्तर सैन्य अध्ययन से ही प्राप्त होते हैं। सेना, सरकार और सशस्त्र बलों के बारे में जानकारी से लोग अधिक जागरुक हो जाते हैं और स्थितियों से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। सैन्य अध्ययन से नेताओं को मातृभूमि की रक्षा करने और सशस्त्र बलों का महत्व समझने में सहायता मिलती है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- सैन्य अध्ययन के अर्थ और महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे;
- सैनिकों के लिए सैन्य अध्ययन के पाठ्यक्रम का वर्णन कर सकेंगे;
- सैन्य अध्ययन के महत्व पर बल दे सकेंगे।

1.1 सैन्य अध्ययन की प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही सैन्य अध्ययन में सेना से सम्बन्धित सभी विषयों तथा राजाओं और सैनिकों के युद्ध कौशल में प्रशिक्षण के बारे में वर्णन होता है। इसको सैन्य संगठनों के अध्ययन, देश

टिप्पणी

के सुरक्षा खतरों के विश्लेषण, युद्ध की कला तथा देश की रक्षा हेतु सशस्त्र बलों का प्रयोग करने के तरीकों के रुप में परिभाषित किया जा सकता है।

आइये, हम परिभाषा में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अर्थ समझें-

क) **सैन्य संगठनों का अध्ययन-** प्राचीन सेनाओं का प्रारम्भ पैदल सैनिकों से हुआ था और बाद में चतुरंग सेना का गठन किया गया जिसमें रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। हमारे प्राचीन गुरुओं ने सेना के संगठन के बारे में विचार किया। उन्होंने यह विषय पढ़ाया और सैनिकों ने घोड़ों, हाथियों और हथियारों का प्रयोग करना सीखा। सेना के संगठनों का अध्ययन प्राचीन काल से प्रारम्भ हुआ और आज तक चल रहा है।

ख) **राष्ट्रीय सुरक्षा** - किसी भी देश या साम्राज्य को शत्रुओं, पर्यावरण तथा प्राकृतिक आपदाओं के खतरों का सामना करना पड़ता है। खतरों को समझना तथा उन पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। अत: राष्ट्रीय सुरक्षा का विश्लेषण यह बताता है कि सभी खतरों के लिए कितनी बड़ी सेना की जरुरत होगी तथा उनसे लड़ने के लिए सेना को कैसे संगठित किया जाए।

ग) **युद्ध की कला** - दो सेनाओं के बीच लड़ने की गतिविधि को युद्ध कहा जाता है। जब दो राष्ट्र लड़ते हैं तो वे विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और तरीकों का प्रयोग करते हैं। शत्रु सेना के विरुद्ध जीत हासिल करने के लिए सेना को विभिन्न रणनीतियों और तरीकों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए यह विषय युद्ध में प्रयुक्त रणनीतियों और तरीकों को सीखने के लिए सैनिकों और अफसरों के लिए अति आवश्यक है।

1.2 सैन्य अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम

सैन्य अध्ययन की परिभाषा के बाद आइये, हम सैन्य अध्ययन में शामिल किए जाने वाले विषयों पर विचार करें।

1) **हथियारों में कौशल :** सैनिकों को निजी हथियारों का प्रयोग करना तथा प्रतिदिन अभ्यास करना सिखाया जाता था ताकि वह हथियारों को प्रयोग करने में निपुण हो सकें। प्राचीन सेनाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के हथियार प्रयोग किए गए थे, जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इनमें विभिन्न प्रकार की गदा, आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न हथियार तथा दक्षिण भारत की प्राचीन सेनाओं द्वारा प्रयोग किए हथियार शामिल हैं।

2) **धनुष और तीर प्रयोग करने का कौशल :** उस समय सैनिकों के लिए एक प्रमुख कौशल युद्ध में तीर और धनुष का प्रयोग करना सीखना था।

सैनिकों के लिए घुड़सवारी तथा घोड़े पर बैठकर लड़ना अन्य ज़रुरी कौशल थे।

1.2.1 सैन्य अध्ययन के महत्वपूर्ण पक्ष

1) **क्षेत्र :** युद्ध के क्षेत्र का अध्ययन करना। यह विषय शत्रु से रक्षा, किले (पुराने समय में) और बाधाएं निर्मित करने में सहायता करता है।

2) **युक्तियां :** युद्ध में सेना की इकाईयों को विशेष स्थिति में तैनात करने की कला को युक्ति कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग प्रकार के शत्रुओं के विरुद्ध नई-नई युक्तियों को सोचना पड़ता है। (पहाड़ों में लड़ना, मैदानों में लड़ने से अलग होता है)

3) **मानचित्र और एस्ट्रानामी :** इसकी आवश्यकता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए होती है। प्राचीन समय में मानचित्र नहीं होते थे और सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दिशाओं, सूर्य की गति तथा तारों का प्रयोग करती थी।

4) **नेतृत्व :** चरित्र, योग्यता और मानसिक शक्ति के आधार पर सृजनात्मक कौशल सैनिक नेतृत्व कहलाता है। युद्ध लड़ने में यह एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है।

5) **सैन्य सामग्री :** लड़ाई में सेनाओं को आवश्यक वस्तुओं से सम्पन्न करना तथा उनकी आपूर्ति करना अनिवार्य होता है। युद्ध जीतने के लिए सैन्य सामग्री आवश्यक होती है।

1.2.2 युद्ध की आचार संहिता

पुराने समय से ही मानव न्याय के लिए 'धर्म युद्ध' लड़ता रहा है। इसका अर्थ है कि राजा केवल तभी युद्ध लड़ते थे जब यह राज्य के कल्याण के लिए ज़रूरी होता था। इसी प्रकार योद्धा अथवा सैनिकों के पास भी एक आचार संहिता होती थी। अनुशासित होना पहला नियम था। प्राचीन भारत में सेनाओं द्वारा पालन किए जाने वाला नियमाचार या कानून निम्न थे-

- जिसके पास हथियान न हों उसके साथ किसी योद्धा (क्षत्रिय) को नहीं लड़ना चाहिए।
- प्रत्येक योद्धा को केवल एक शत्रु से लड़ना चाहिए और उसके अपंग होने के बाद नहीं लड़ना चाहिए।
- बूढ़े पुरुषों, महिलाओं और बच्चों तथा पीछे हटने वाली सेना और होंठो में तिनका दबाए व्यक्ति अथवा बिना शर्त समर्पण करने वालों को नहीं मारना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 1.1

1. सैन्य अध्ययन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

2. युद्ध की कला का क्या अर्थ है?

3. सैन्य अध्ययन में पढ़ाए जाने वाले किन्हीं तीन विषयों के नाम लिखिए।

1.3 हमें सैन्य अध्ययन को क्यों पढ़ना चाहिए?

सैन्य अध्ययन किसी देश की सेना के सभी सैनिकों और अफसरों को नि:संदेह पढ़ाया जाना चाहिए। जब हम यह कहते हैं कि सैनिकों को यह विषय पढ़ना चाहिए तो हमें इसके अध्ययन के कारणों को भी समझना चाहिए।

इस पाठ में पाठ्यक्रम को देखने के बाद सभी सैनिकों को इसको पढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं-

- एक सैनिक को हथियारों का प्रयोग करने में सक्षम तथा अत्यंत पेशेवर होना चाहिए।
- देश की सेना को हर समय युद्ध के लिए तैयार रखना होता है। इसलिए सेना को हर समय युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना होता है।
- एक अच्छी सेना वह होती है, जो अपनी रणनीति और युक्तियों से अच्छी योजना बना सके और युद्ध में उन्हें लागू कर सके। अत: युद्ध की कला सीखना बहुत ज़रुरी है।
- लड़ाई में अच्छी तरह शिक्षित और प्रशिक्षित सैनिक-खुश रहता है। उसका नैतिक बल ऊंचा होता है और वह युद्ध के लिए पूरे विश्वास के साथ जाता है।
- लोकतन्त्र में राजनेता सशस्त्र सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश देते हैं। सरकार की सहायता करने वाले मन्त्रियों, राजनेताओं और अधिकारियों को सेना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वह फैसले करते हैं कि सेना को कैसे संगठित किया जाए, ज़रुरत के समय लड़ने का निर्देश देते हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की योजना बनाते और लागू करते हैं।

1.3.1 सेना

एक सेना के प्रति कोई भी निर्णय उसके सैनिकों के प्रशिक्षण को देख कर ही किया जाता है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्राचीन समय में और आज भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित, नियमित सेना में विजयी होने का पूरा विश्वास होता है।

आपने क्या सीखा

- सैन्य विज्ञान, युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन अथवा रणनीतिक अध्ययन ही सैन्य अध्ययन होता है। सशस्त्र सेनाओं के लिए यह अध्ययन करना ज़रुरी है, ताकि वे लोगों को युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और विनाश जैसे खतरों से बचा सके। युद्ध लड़ने की कला में युद्ध जैसी स्थितियों और युद्ध से निपटने की कला है। युद्ध लड़ने की कला युद्ध जीतने की विभिन्न रणनीतियों और युक्तियों को लागू करने योग्य बनना होता है।
- सैन्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में हथियार चलाने की कला, धनुष और तीर के प्रयोग करने की कला, युद्ध में घोड़ों के प्रयोग करने की कला तथा घोड़े की पीठ पर बैठ कर लड़ने की कला शामिल होती है।
- सैन्य अध्ययन के कई महत्वपूर्ण पक्ष हैं जैसे क्षेत्र, युक्तियां, मानचित्र और एस्ट्रॉनामी, सैनिक नेतृत्व, युद्ध सामग्री इत्यादि। सैनिकों के पास युद्ध के दौरान एक आचार संहिता होती है। बूढ़े लोगों, महिलाओं, बच्चों तथा अपंग एवं समर्पण कर चुके सैनिकों को मारना नैतिकता के विरुद्ध है।

- एक संगठित और अनुशासित सेना के लिए सैन्य अध्ययन की ज़रुरत होती है। विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने तथा लोगों की रक्षा के लिए हर समय विश्वास के साथ युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए सैन्य अध्ययन अनिवार्य है।

पाठान्त प्रश्न

1. 'युक्ति' और 'रणनीति' में अन्तर कीजिए।
2. किन-किन लोगों को सैन्य अध्ययन करना चाहिए?
3. युद्ध जीतने के लिए क्षेत्र का अध्ययन क्यों ज़रुरी है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

1.1 1. सैन्य अध्ययन को सैन्य संगठनों के अध्ययन, देश के सामने खतरों के विश्लेषण, युद्ध की कला तथा सेना को देश की सेवा में प्रयोग करने के तरीकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

2. युद्ध को दो शत्रुओं के बीच लड़ाई की गतिविधि के रुप में परिभाषित किया जाता है। युद्ध में प्रयुक्त युक्तियों और रणनीतियों को युद्ध लड़ने की कला कहा जाता है।

3. रणनीतियों, युक्तियों और सामग्री की रचना के लिए उस क्षेत्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, जहां युद्ध लड़ा जाना है। इससे शत्रु पर काबू पाने तथा युद्ध को जीतने में सहायता मिलेगी।

टिप्पणी

374hn02

2

सैन्य अध्ययन की अवधारणा और विकास

भारत के इतिहास से आप को यह ज्ञान हो गया होगा कि किस प्रकार सेनाएं गठित की गई थीं और उन्होंने किस प्रकार लोगों की रक्षा की। यदि सेनाएं इतने समय पहले से हैं और वे शासन का अनिवार्य भाग हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि सेनाएं किस प्रकार काम करती हैं और सरकारों को किस प्रकार उनका प्रयोग करना चाहिए। इसे ही सैन्य अध्ययन कहते हैं? सैन्य अध्ययन सेना से जुड़े सभी विषयों तथा सैनिकों और राजाओं द्वारा युद्ध कला सीखने से सम्बन्धित अध्ययन है।

इस पुस्तक के विभिन्न अध्याय युद्ध के लिए सेना को तैयार करने के तरीकों तथा सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे रैंकों के ढांचें क्या है? सेनाओं के पास कौन से हथियार होते हैं? आज की दुनियां में सेनाओं की भूमिका और दायित्व क्या हैं? सरकार को सेनाओं का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? पुराने समय में सेनाओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता था? किस प्रकार समय के साथ प्रशिक्षण में परिर्वतन आया इत्यादि?

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- प्राचीन भारत में सैन्य शिक्षा संगठनों का वर्णन कर सकेंगे;
- प्राचीन काल में और वर्तमान में सैन्य अध्ययन के विषयों को पढ़ाने के तरीकों के बीच तुलना कर सकेंगे;
- सेनाओं में आए बदलावों को जान सकेंगे।

2.1 प्राचीन भारत में सैन्य अध्ययन

सैन्य अध्ययन के बारे में जानने से पहले प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में जानना ज़रूरी है। पहली व्यवस्था गुरुकुल की थी। गुरूकुल एक आवासीय विद्यालय होते थे जहां राजाओं के बच्चों के साथ सभी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। गुरुकुल के बारे में जानने के लिए ज़रूरी बातें निम्नलिखित हैं–

1) ये आवासीय विद्यालय होते थे। यहीं गुरु का घर होता था। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे।

2) विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी लगभग दस वर्ष तक विद्यालय में रहते थे।

3) पढ़ाए जाने वाले विषयों में भाषा, व्याकरण, विज्ञान, गणित और वेद जैसे विषय होते थे।

4) गुरु सैन्य विषयों जैसे हथियारों का प्रयोग करना, शारीरिक प्रशिक्षण तथा युद्ध कौशल भी सिखाते थे।

5) राजाओं के पुत्रों के साथ सभी विद्यार्थियों के लिए सैन्य विषयों का अध्ययन अनिवार्य होता था।

6) गुरुकुल में जीवन कठोर होता था और अनुशासित दिनचर्या का दृढ़ता से पालत किया जाता था।

7) शिक्षा नि:शुल्क होती थी और इसमें गुरुकुल में रहना भी शामिल होता था। उन दिनों नि:शुल्क शिक्षा देना सम्भव था क्योंकि राजा एवं अन्य धनी लोग गुरुकुल को दान देते थे।

8) गुरुकुल की अवधारणा में गुरु के साथ रहना और दैनिक क्रियाकलापों में गुरु की सहायता करना जैसे खेती करना, सफाई करना तथा लकड़ी काटना इत्यादि शामिल थे। अत: विद्यार्थी जीने के विभिन्न व्यवहारिक पक्षों को सीखते थे। इस प्रकार विद्यार्थी सिद्धान्त और उनका व्यवहारिक प्रयोग, दोनों एक साथ सीखते थे ताकि प्रत्येक विद्यार्थी एक सच्चरित्र व्यक्ति बन सके।

2.1.1 विद्यालयों के प्रकार

गुरुकुलों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के विद्यालय भी थे। दक्षिण भारत में मन्दिर सभी सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र थे और शैक्षणिक संस्थान मन्दिरों का भाग होते थे। महत्वपूर्ण मन्दिरों में विद्यालय और महाविद्यालय थे। कुछ स्थानों पर विशेष विषयों में उच्च शिक्षा देने के लिए स्नातकोत्तर संस्थान भी थे।

मन्दिरों से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों को शाला कहते थे। ये विद्यालय आवासीय प्रकार के विद्यालय थे, जहां विद्यार्थी अध्ययन पूरा होने तक नि:शुल्क शिक्षा के साथ-साथ आवास, भोजन, कपड़े तथा अन्य सुविधाएं भी नि:शुल्क प्राप्त करते थे। 8वीं सदी में चेरा राजा अई प्रथम ने केरला में शाला व्यवस्था स्थापित की थी। पाठ्यक्रम और पढ़ाने का तरीका गुरुकुल जैसा ही था। 'सालायस' के साथ कलारी विद्यालय भी था, जिसकी युद्ध कला और सैनिक प्रशिक्षण में विशेषज्ञता थी।

2.1.2 कलारी और शारीरिक शिक्षा

कलारी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों में से एक था। यह एक सैन्य स्कूल था जहां शारीरिक शिक्षा के कठिन पाठ्यक्रम तथा आक्रामक एवं रक्षात्मक विज्ञान में अध्ययन के साथ-साथ सामान्य शिक्षा भी दी जाती थी। केरल के राजा शिक्षा के महान संरक्षक थे और सैन्य स्कूलों में कलारिस की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। पणिकर अथवा कुरुप इसकी अध्यक्षता करते थे।

चित्र : कलारीपट्टु

यहां के युवाओं को हथियारों का प्रयोग करने के साथ-साथ लड़ने की कला जैसे फैन्सिंग, बाक्सिंग और कुश्ती सिखाई जाती थी। नम्बूदरी युवकों ने भी 11वीं सदी की लड़ाईयों के दौरान कलारी में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कलारी में प्राप्त प्रशिक्षण को कलारीपट्टु कहते थे।

यह वहां के युवाओं के लिए शारीरिक शिक्षा की भरी पूरी योजना थी। सबसे होनहार प्रशिक्षु को 'मर्म' (Marmas) अर्थात शरीर के संवेदनशील हिस्सों के बारे में पढ़ाया जाता था। कलारी का उद्देश्य नायर्स की 'लड़ाका' भावना को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें युद्ध के लिए सक्षम बनाना था।

2.1.3 शारीरिक शिक्षा

प्राचीन काल में शारीरिक स्वस्थ को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था विशेष रुप से राजाओं एवं उच्च कोटि के योद्धाओं द्वारा। शारीरिक शिक्षा में मजबूती, दौड़ना, तैराकी और भरोत्तोलन शामिल होते थे। शारीरिक शिक्षा के साथ खेल कूद भी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग होते थे।

प्राचीन भारत में खेलों की महान परम्परा थी जिसे कई पीढ़ियों और संस्कृति के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। खेलकूद केवल समय व्यतीत करने के लिए नहीं अपितु मानसिक क्षमता को विकसित करने तथा शारीरिक अनुकूलता को बनाए रखने के लिए होते थे। सैनिकों द्वारा खेले जाने वाले लोकप्रिय खेलों में चतुरंग, शतरंज, कुश्ती और तीरअंदाजी शामिल होते थे।

2.1.4 उच्च शिक्षा के केन्द्र

गुरुकुलों के अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा के लिए अकादमियाँ होती थीं जिन्हें आजकल हम कॉलेज कहते हैं। इनमें पढ़ाये जाने वाले विषय के आधाार पर इन्हें परिषद, आश्रम, विद्यापीठ और घटिका इत्यादि कहा जाता था। उस समय के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय संस्थानों में तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय शामिल हैं।

प्राचीन भारत में शिक्षा के अन्य केन्द्रों में वल्लभी, श्रृंगेरी और कांची जैसे स्थान थे।

क्रियाकलाप 2.1

क्या आप शतरंज खेलना जानते हैं? इन्टरनेट पर देखिए कि शतरंज कैसे खेला जाता है। यह विरोधी राजा और उसकी सेना को हराने की रणनीति बनाने में मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है।

पाठगत प्रश्न 2.1

1. शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली की किन्हीं दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
2. प्राचीन भारत में उच्चतर शिक्षा की किन्हीं तीन अकादमियों के नाम लिखिए।
3. प्राचीन केरल में सैन्य स्कूल का नाम ..... था।
4. आमतौर पर एक विद्यार्थी गुरुकुल में ..... वर्ष व्यतीत करता था।

2.2 सैन्य शिक्षा

सैन्य विज्ञान को प्राय: धनुर्वेद कहा जाता था। आश्रमों और गुरुकुलों में अनेक विभाग होते थे। सैन्य विज्ञान से सम्बन्धित विभाग को महेन्द्रस्थान कहा जाता था। आपने इतिहास में पढ़ा है कि सेनाओं का गठन और सैनिकों द्वारा हथियारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था।

भारत में प्रत्येक सेना के पास रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना होती थी। इसको चतुरंग बल कहा जाता था। अत: सैनिक किस प्रकार लड़ना सीखते थे? सैन्य शिक्षा को दो प्रकार की शिक्षा में बांटा गया था। पहला सैनिक का निजी प्रशिक्षण था और दूसरा एक लड़ाका ईकाई के रुप में सेना का प्रशिक्षण था।

2.2.1 व्यक्तिगत प्रशिक्षण

सभी सैनिकों और राजाओं के पुत्रों को गुरुकुलों में एक साथ जाना होता था। सभी को समान रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को धनुर्वेद अथवा हथियारों के साथ लड़ने की कला का प्रशिक्षण दिया जाता था जो हथियारों पर ठीक नियन्त्रण रख पाते थे। दूसरे शब्दों में युद्ध कौशल सीखने में गुरुकुल पहला कदम होते थे।

टिप्पणी

प्राचीन काल में सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल राज्य के द्वारा ही नहीं की जाती थी अपितु यह व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा भी की जाती थी। प्रत्येक गांव में सैन्य प्रशिक्षण शिविर होते थे जहां ग्रामीणों को आत्मरक्षा के लिए सैन्य शिक्षा दी जाती थी।

2.2.2 सामूहिक प्रशिक्षण

गुरुकुलों में प्राथमिक शिक्षा के बाद व्यक्तियों को सैनिकों के रूप में प्रवेश दिया जाता था और सेना की विभिन्न इकाईयों में रखा जाता था। प्रत्येक इकाई की युद्ध में विशेष भूमिका होती थी। घुड़सवार सैनिक घुड़सवारी और घोड़े पर बैठकर लड़ने में विशेषज्ञ होते थे। इसी प्रकार रथ के सारथी अच्छे सारथी होते थे जो रथ को बड़ी तेज़ी से निश्चित स्थान पर पहुंचा सकते थे।

हाथी सेना घुड़ सेना से अलग होती थी। सेना की इन सब अलग-अलग इकाइयों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी ताकि वे युद्ध के मैदान में पूरे कौशल के साथ इनका प्रयोग कर सकें। आपने चाणक्य का नाम तो अवश्य सुना होगा जो चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक प्रसिद्ध दार्शनिक, विद्वान और शिक्षक थे। 'अर्थशास्त्र' उनकी प्रसिद्ध कृति है। अपनी पुस्तक में वह लिखते हैं कि सेना प्रतिदिन प्रातः एक स्थान पर एकत्र होती थी और अपना प्रशिक्षण प्रारम्भ करती थी। यह प्रशिक्षण शारीरिक प्रशिक्षण से प्रारम्भ होता था उसके बाद व्यक्तिगत हथियारों का प्रशिक्षण होता था। पशुओं के साथ काम करने वाले सैनिकों को अपने पशुओं के साथ समय बिताना पड़ता था और उनके साथ प्रशिक्षण लेना होता था। प्रशिक्षकों को, एक टीम के रुप में लड़ने तथा युक्तियों को प्रयोग करने के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना होता था।

2.2.3 सैन्य इकाईयों का प्रशासन

सैनिकों तथा सैन्य इकाईयों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त सैन्य इकाईयों का प्रशासन देखने के लिए विभाग होते थे। अफसरों, पुरुषों और अधिकारियों को उनके कार्य के अनुरूप शिक्षा दी जाती थी। उदाहरण के लिए एक महावत (हाथी का नियन्त्रक) को पशु के व्यवहार, उसको नियन्त्रित करने तथा उसे क्या और कब खिलाना है, की शिक्षा दी जाती थी।

अफसरों जैसे कि सेनापति को कानून और न्याय की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता था ताकि वह अपने सैनिकों को अनुशासित रख सके।

राजकुमारों के लिए पाठ्यक्रम में धनुर्वेद, नीति शास्त्र, हाथियों को साधना तथा रथ चलाना, चित्रकला और लेखन, कूद लगाना और तैराकी शामिल होती थी।

सैन्य शिक्षा अन्य प्रकार की शिक्षा से बिल्कुल अलग है। सैनिकों और उनके नेताओं का प्रशिक्षण युद्ध में उनके कार्य और भूमिका के अनुरूप होता है।

पाठगत प्रश्न 2.2

1. आश्रमों और गुरुकुलों में सैन्य अध्ययन की शिक्षा देने वाले विभागों में नाम लिखिए।

2. प्राचीन भारत में राजकुमारों को पढ़ाए जाने वाले किन्हीं तीन विषयों के नाम लिखिए।

2.3 सैन्य अध्ययन का विकास

वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक परिवर्तन हुए हैं जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है। मुस्लिम शासकों के साथ मकतबों और मदरसों में शिक्षा प्रदान करने की इस्लामिक प्रणाली आई। इस के बाद जब ब्रिटिश आए तो वे अपने साथ स्कूलों और कॉलजों में शिक्षा की अंग्रेजी प्रणाली लेकर आए। मुस्लिम शासकों और ब्रिटिश, दोनों ने उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित किया हालांकि सेना के अफसरों और सैनिकों को प्रशिक्षण देने की अवधारणा में समय के साथ परिवर्तन आया।

अंग्रेजों ने अफसरों के प्रशिक्षण के लिए विशेष अकादमियों का गठन किया। सैन्य अध्ययन की शिक्षा सैनिकों और अफसरों के लिए अलग-अलग हो गई। यह अफसरों और सैनिकों के लिए एक जैसी नहीं रह गई। अफसरों के लिए इन्डियन मिलेट्री एकेडमी और सैनिकों के लिए विभिन्न स्थानों पर रेजीमेण्टल केन्द्र खोले गए।

2.3.1 मध्यकालीन भारत में सैन्य शिक्षा

हमनें देखा कि प्राचीन भारत में किस प्रकार युद्ध कौशल में प्रशिक्षण दिया जाता था। आइए, अब देखें कि जब मुसलमान शासकों ने भारत पर अपना शासन जमाया तो क्या परिवर्तन आए। मुगल शासन के दौरान शेष भारत में क्या बदलाव आए। मुख्य परिवर्तन थे :

- आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग
- तोपखाना अथवा बन्दूकों का प्रयोग
- घुड़सेना और तीरंदाजों का प्रयोग
- रणक्षेत्र में प्रयुक्त युक्तियों में परिवर्तन

इन परिवर्तनों के कारण विषय बदल गए। विषयों में परिवर्तन के साथ प्रशिक्षण के तरीके और स्थान बदल गए। उदाहरण के लिए पुराने समय में कोई भी खुला मैदान स्कूल में बदला जा सकता था। परन्तु आग्नेय हथियारों और बन्दूकों के आ जाने से, सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए बड़े क्षेत्रों की पहचान की गई जहां फायर रेन्ज जैसी सुविधाएं स्थापित की गईं।

तोपखानों में प्रशिक्षण के लिए लम्बे चौड़े क्षेत्रों की आवश्यकता क्यों थी? इसका एक कारण आग्नेय अस्त्रों से सुरक्षा के लिए तथा बन्दूकों द्वारा लक्ष्य तय करके गोली चलाने के लिए आवश्यक दूरी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लम्बे चौडे क्षेत्र चुनने की आवश्यकता एक कारण थी।

2.3.2 सेना में प्रशिक्षण के चरण

तालिका 2.1 प्रशिक्षण ढांचा

1) **लड़ने के लिए प्रशिक्षण :** सैनिकों तथा सेना की इकाईयों के लिए लड़ने हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाते थे। इस प्रशिक्षण में खेल शामिल होते थे जो लड़ने में सहायक होते थे। सेना को हर समय युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहना होता है। इसलिए उनका प्रशिक्षण निरन्तर होता है और यह सैनिकों के लिए दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। युद्ध के आधारभूत प्रशिक्षण में निम्नलिखित प्रशिक्षण शामिल होते हैं:

तालिका 2.2 प्रशिक्षण के प्रकार

2) **खेल और मुकाबले :** पूरे विश्व में सेनाओं का विश्वास है कि युद्ध हेतु प्रशिक्षण के लिए खेल प्रत्येक सैनिक के लिए बहुत उपयोगी हैं। योद्धाओं में नैतिकता और टीम भावना स्थापित करने के लिए खेलों का प्रभाव पहत्वपूर्ण है। खेल के मैदान में प्रदर्शित मूल्य ही एक सैनिक के लिए आदर्श होते हैं। आयोजित खेल और मुकाबले इस प्रकार होते थे-

क) हथियार सहित और निहत्थे लड़ना

ख) तीरंदाज़ी, घुड़सवारी और रथों की दौड़ करना

ग) मुक्केबाजी, कुश्ती और तैराकी के मुकाबले

घ) शिकार करना

3) खेलों के लाभ

क) मज़बूती, साहस, वीरता और इमानदारी के गुण पैदा करना

ख) लड़ने की भावना और जीतने की योग्यता पैदा करना

ग) मानसिक अनुकूलता और तेज़ी से सोचना

घ) सेना की टुकड़ियों और अफसरों के बीच सहयोगी भाव निर्मित करना

4) निरीक्षण : एक सुव्यवस्थित राज्य में अपनी सेना को युद्ध कौशल में प्रशिक्षित और युद्ध के लिए हर समय तैयार रखने की परम्परा थी। उनकी तैयारी को देखने के लिए निरीक्षणों की भी आवश्यकता होती थी। समय-समय पर राजा, सेना के प्रभारी मन्त्री तथा सेनापति द्वारा निरीक्षण किया जाता था।

ऐसे निरीक्षणों के दौरान किसी प्रकार के अभ्यास और चाल चलने की योग्यता को प्रदर्शित किया जाता था। कमांडिंग आफिसरों से भी अपेक्षा की जाती थी कि वे घुड़सवारी, तीरंदाजी, वीरता में आधारभूत सैन्य कौशलों में अपनी निपुणता को दर्शाएं और उनकी टुकड़ी अपने हथियारों के साथ नियमित अभ्यास करे।

2.3.3 ब्रिटिश इन्डिया में सैन्य शिक्षा

थॉमस ने 1891 में लिखा था, ऐसा कोई देश नहीं है जहां भारत की तरह शिक्षा प्राप्त करने के प्रति लगाव इतना पुराना और इतना टिकाऊ तथा प्रभावी रहा हो। उसके अनुसार अंग्रेजों को भारत में प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की व्यापक शैली देखने को मिली जहां प्राथमिक शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान और उच्चतर शिक्षा में मुख्य रुप से साहित्य, दर्शन और धार्मिक शिक्षा शामिल थी।

लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेज भारत में व्यापार बढ़ाने और विजय प्राप्त करने में लगे रहे। भारतीय टुकड़ियों का शैक्षिक प्रशिक्षण ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुआ। भारत में सेना के लिए शिक्षा व्यवस्था का प्रारम्भ ब्रिटिश रेजीमेण्टल स्कूलों की स्थापना के साथ हुआ जिन्होंने ब्रिटिश टुकड़ियों को प्रशिक्षण दिया।

कुछ ब्रिटिश रेजीमेण्टों ने टुकड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए सार्जेन्ट बुलाए जिन्हें स्कूल मास्टर कहा जाता था। लेकिन टुकड़ियों की संख्या के अनुपात में स्कूल मास्टर्स और स्कूल मिस्ट्रेस की संख्या न के बराबर थी। इसके परिणाम स्वरूप कमांडिंग आफिसर्स को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नान-कमीशण्ड आफिसर्स को कार्यवाह मास्टर्स नियुक्त करने की अनुमति थी। इस प्रकार सैनिक टुकड़ियों के लिए औपचारिक शिक्षा की नई प्रणाली शुरु हुई।

2.3.4 क्राऊन के तत्वाधान में शिक्षा

1774 से 1785 के बीच ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने ब्रिटिश और यूरोपीय टुकड़ियों के लिए अनेक रेजीमेण्टल केन्द्र खोले। ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने भारतीय सिपाहियों को शिक्षित करने की अधिक परवाह नहीं की। हालांकि 1857 के विद्रोह के बाद महारानी ने भारत के शासन की

बागडोर ईस्ट इन्डिया कम्पनी से अपने हाथों में ले ली थी। स्थानीय सिपाहियों को लेकर सेना की नई और कई टुकड़ियां खड़ी की गईं। क्राऊन के अन्तर्गत सैन्य शिक्षा में दूरगामी परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन निम्नलिखित थे-

क) शैक्षणिक प्रशिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को पहली बार परिभाषित किया गया।

ख) समय-समय पर शैक्षणिक प्रशिक्षण की प्रगति के साथ चलने के लिए संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया।

ग) सैन्य प्रमाण पत्र शुरु किए गए जिनको वेतन और पदोन्नति के साथ जोड़ा गया था।

घ) सेना के प्रशिक्षण के लिए रोमन उर्दू को अपनाया गया।

ड.) शैक्षणिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण अधिसूचनाएं जारी की गईं।

च) ब्रिटिश और इन्डियन टुकड़ियों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 1921 में आर्मी एजुकेशनल कोर्प्स को खड़ा किया गया।

सैन्य प्रशिक्षण का भारतीयकरण:

स्वतंत्रता पूर्व भारतीय सेना में प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली थी। सैनिकों को अलग अलग क्षेत्रों जैसे पंजाब, तमिलनाडु और बिहार इत्यादि से भर्ती किया जाता था। इनमें से प्रत्येक रेजीमेण्ट के रेजीमेण्ट्स केन्द्र होते थे जहां सैनिक औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। अफसरों के लिए अलग एकेडमियां बनाई गई थीं।

इन केन्द्रों के अतिरिक्त अनेक स्कूल भी स्थापित किए गए। ये थे -

- राष्ट्रीय इन्डियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की स्थापना मार्च 1922 में की गई। यह कॉलेज आधारभूत स्कूल शिक्षा और शारीरिक शिक्षा उनको प्रदान करता था जो भारतीय सेनाओं में अफसर बनना चाहते थे।
- चैल मिलिट्री स्कूल (सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल) की स्थापना फरवरी 1922 में की गई थी
- अजमेर मिलिट्री स्कूल
- बेलगाम मिलिट्री स्कूल
- धौलपुर मिलिट्री स्कूल
- 1962 के युद्ध के बाद प्रत्येक राज्य में सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई जो नेशनल डिफेन्स एकेडमी पूना के लिए फीडर स्कूल थे।

क्रियाकलाप 2.2

इन्टरनेट का प्रयोग करके खेलों का इतिहास समझने के लिए सम्बन्धित लिंक को देखें।
https.//www.theattantic.com/video/index/558279/historyofsports

इस पर एक पृष्ठ की एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएं।

पाठगत प्रश्न 2.3

1. शिक्षा की इस्लामिक पद्धति के अनुसार स्कूलों को ..... और ..... कहा जाता था।
2. मध्यकालीन भारत में सैनिकों को सैन्य अध्ययन में पढ़ाए जाने वाले विषय क्या थे?
3. मध्यकालीन भारत में सेना के त्रिस्तरीय प्रशिक्षण का वर्णन कीजिए।

आपने क्या सीखा

- प्राचीन भारत में सैन्य अध्ययन की शिक्षा आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से होती थी।
- युद्ध प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट स्कूल थे।
- खेलों को सैनिक के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। इससे शारीरिक अनुकूलता और युद्ध कौशल बढ़ाने में सहायता मिलती थी।
- सैनिकों को व्यक्तिगत कौशल और एक इकाई के रूप में मिलकर कौशल दिखाने के लिए प्रशिक्षत किया जाता था।
- समय के साथ तथा नए हथियारों और गोला बारूद के आने से सैनिकों का युद्ध के लिए प्रशिक्षण भी बदल गया।
- मध्यकालीन भारत में शिक्षा के लिए मुस्लिम प्रणाली को अपनाया जाता था। यद्यपि सैन्य प्रशिक्षण को त्रिस्तरीय पक्षों में प्रशिक्षण के रूप में दिया जाता है।
- ब्रिटिश इन्डिया ने सेना के सिपाहियों के प्रशिक्षण का स्वरूप बदल दिया। सैनिकों की शिक्षा प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया। रेजीमेण्टल केन्द्र सैनिक प्रशिक्षण की रीढ़ की हड्डी बन गए थे।

पाठान्त प्रश्न

1. सेना के लिए शारीरिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
2. सामूहिक प्रशिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
3. मध्यकालीन भारत में सैनिक प्रशिक्षण और इकाई प्रशिक्षण में अन्तर कीजिए।

टिप्पणी

4. अंग्रेजों द्वारा बच्चों के लिए शुरु किए गए किन्हीं चार स्कूलों के नाम लिखिए।

5. सेना में खेलों के महत्व को लिखिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

2.1 1. क) यह एक आवासीय स्कूल था।

ख) गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे।

ग) गुरु, सेना से सम्बन्धित विषय पढ़ाते थे।

2. तक्षशिला, नालन्दा और बल्लभी स्कूल

3. कलारी

4. 10 वर्ष

2.2 1. महेन्द्रस्थान

2. धनुर्वेद, नीतिशास्त्र, हाथियों एवं रथों को साधने की शिक्षा

2.3 1. मकतब और मद्रसे

2. (क) निजी हथियार (तलवार, बरछी, तीर-कमान)

(ख) घुड़सवारी

(ग) वीरता

3. (क) लड़ने के लिए प्रशिक्षण

(ख) खेल और मुकाबले

(ग) निरीक्षण

टिप्पणी

3

374hn03

वर्तमान में सैन्य अध्ययन की आवश्यकता

पिछले अध्याय में आपने इतिहास के विभिन्न महत्वपूर्ण कालों के माध्यम से सैन्य अध्ययन की अवधारणा और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की है। प्राचीन समय से आधुनिक समय तक सैन्य शिक्षा में हुए परिवर्तन, हथियारों में हुए सुधारों और युद्ध लड़ने की तकनीक में हुए बदलावों का परिणाम है। सेनाओं में हुए इन परिवर्तनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज हम आधुनिक हथियार और युद्ध लड़ने के नये प्रारूप देखते हैं। शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आतंकवाद, अलगाववाद, साईबर युद्ध तथा प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां हैं। अराजक विश्व में सेनाओं को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली स्थितियों पर काबू पाने के लिए सरकारों को बल प्रयोग के महत्व को समझना चाहिए।

अत: सैन्य अध्ययन का विषय न केवल अति महत्वपूर्ण अपतु जटिल भी हो गया है। इस अध्याय में आप सेना तथा हथियारों की प्रणाली में हुए परिवर्तनों तथा युद्ध कला पर हुए उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- सेनाओं में परिवर्तनों की आवश्यकता का आकलन कर सकेंगे;
- सेना के प्रशिक्षण में हुए बदलावों की व्याख्या कर सकेंगे;
- सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण देने की प्रणाली की परख कर सकेंगे।

3.1 समय के साथ सेनाओं में हुए परिवर्तन

समय के साथ सेनाओं में बदलाव हुए हैं। नए-नए अविष्कार हुए और मनुष्य ने लोहे और तांबे जैसी धातुओं का प्रयोग करना सीखा। उसने मिश्रित धातु 'कांसा' का निर्माण किया। धातुओं के अविष्कार के बाद उसने धातु के हथियार बनाने शुरु किए जो अधिक घातक थे और उन्हें भिन्न

आकारों में बनाया जा सकता था। सेनाओं ने पुराने तरीके बदल कर शत्रु से लड़ने के नए तरीके और युक्तियों को विकसिक किया। नए प्रकार के हथियारों की जानकारी के लिए नीचे दिए चित्रों को देखिए।

चित्र : 3.1 विभिन्न युगों के हथियार

3.1.1 युद्धकला में हुए बदलाव

सैनिक इतिहास के अध्ययन से आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार समय के साथ युद्धों में बदलाव हुए। प्राचीन युग में 'चतुरंग बल' सेना होती थी, जिसमें तोपखाना, हाथी, रथ और पैदल सैनिक होते थे। युद्ध लड़ाई के मैदान में हुई लड़ाईयों की श्रृंखला होते थे। यद्यपि युद्ध की प्रकृति स्थिर होती थी, तदापि सेनाएं युद्ध में विजय के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और युक्तियों का प्रयोग करती थीं।

वर्षों बाद जब धातु कर्म में प्रगति हुई तब नए हथियार बनाए गए। मध्यकाल में युद्ध में रथ दिखाई नहीं देते। सेना को चकित करने तथा तेज़ी से पहुंचने के लिए घुड़सवारों का प्रयोग किया जाता था। ये विभिन्न दिशाओं से आक्रमण के लिए तैयार होते थे अत: उस युग में घुड़सवारों का खूब प्रयोग किया गया। विज्ञान की प्रगति के साथ पहिये वाले वाहनों, बन्दूकों और गोला-बारूद का प्रयोग शुरु हुआ।

युद्ध जीतने के लिए मुग़लों ने बन्दूकों का व्यापक प्रयोग किया। 19वीं सदी में सैनिकों के निजी हथियारों-तलवारों और तीर-कमान का स्थान राइफलों और मशीनगनों ने ले लिया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से, युद्ध के रूप में बदलाव आया और तब युद्धों में खंदकों का प्रयोग शुरु हुआ। नीचे तालिका 3.2 को देखिए और आपको इसमें विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तनों की झलक दिखाई देगी।

काल	सेना का प्रकार	युद्ध की प्रकार	हथियार
प्राचीन काल	चतुरंग बल	अपरिवर्ती और स्थितीय	तलवारें, भाले, तीर कमान इत्यादि।
मध्य काल	पैदल, घुड़सवार और तोपखाना	स्थितीय और पैंतरेबाजी	तलवारें, तीर कमान और बन्दूकें
ब्रिटिश काल	घुड़सवार, पैदल, तोपखाना, सिगनल, इन्जीनियर, वायुसेना और जल सेना	पैंतरेबाजी, वायु और जल युद्ध	टैंक, तोपखाना, राइफलें, मशीन गन, बम, तारपीडो, मिसाइल और राकेट
आधुनिक युग	विशेष बल, थल सेना, वायु सेना और जल सेना	कूटनीतिक युद्ध, आतंकवाद, अलगाववाद, आमने-सामने युद्ध की जगह	ड्रोन्स, मिसाइलें, परमाणु हथियार, हेलिकोप्टर, हवाई हमलों में रक्षा करने वाले हथियार

तालिका 3.2 युद्ध कला में बदलाव

3.1.2 युद्धों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव

नए अविष्कारों के कारण विज्ञान ने युद्धों की प्रकृति को बदल दिया। मनुष्य द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आविष्कारों से युद्धों में निम्नलिखित प्रकार के बदलाव आए :

- धातुओं और पहियों का प्रयोग (प्राचीन काल)
- गन पाऊडर (मध्य काल)
- आई सी इन्जिन (मोटर कार, रेलवे इन्जिन, टैंक)
- एयर क्राफट (हवाई जहाज)
- समुद्री जहाज, पनडुब्बियां और तारपीडो
- मिसाइलें
- वायरलेस संचार
- परमाणु बम
- आई.ई.डी. (विस्फोट के बेहतर साधन)
- ड्रोन्स

हमने यहां हथियारों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को देखा। सेनाओं में परिवर्तनों और आधुनिकीकरण के साथ संगठनों में भी परिवर्तन आया। इन्जीनियर, सिगनल्स, आर्मी सप्लाई कोर्पस्, आर्मी आर्डिनेन्स कोर्पस्, जासूसी, वायु रक्षा इत्यादि सेना की कुछ नई शाखाएं बनीं। स्पष्टत: इनमें से प्रत्येक शाखा की अपनी विशेषज्ञता है।

सैनिकों और अफसरों को अपनी कोर्पस् की भूमिका और दायित्व निर्वाह के लिए प्रशिक्षित करना होता था। आजकल युद्ध जीतने के लिए थल सेना, वायु सेना और जल सेना को मिलकर लड़ना होता है। इस कारण त्रि-सेवा संगठनों और त्रि-सेवा प्रशिक्षण की आवश्यकता पैदा हुई।

पाठगत प्रश्न 3.1

1. आधुनिक सैनिक के किन्हीं तीन हथियारों के नाम लिखिए।
2. ब्रिटिश काल में किस प्रकार की सेनाएं थीं?

क्रियाकलाप 3.1

क) इन्टरनेट का प्रयोग करके दिए हुए लिंक पर जाएं और हथियारों के इतिहास को समझें।

http://www/theatlantic.com/video/index/393683/a-brief-visual-history-of-weapons/

इसे डाऊनलोड़ करें और प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल में प्रयोग होने वाले कम से कम दो हथियारों के चित्र प्रिन्ट करें।

ख) नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्राचीन काल के सैनिकों द्वारा सीखे जाने वाले कौशलों और आधुनिक काल के सैनिकों के कौशलों के बीच अन्तर कीजिए।

भाला

तलवार

स्रोत -https://www.indianetzone.com/photograllery/51/talwar.jpg

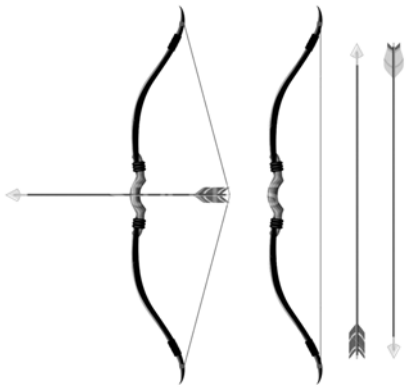

3.2 प्रशिक्षण में परिवर्तन

आप पहले ही जान चुके हैं कि सैनिकों को किस प्रकार प्राचीन काल में और मध्य काल में प्रशिक्षित किया जाता था। ब्रिटिश काल में सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ और सेनाएं अधिक गतिमान हो गई। युद्ध लड़ने के नए तरीकों और आधुनिक हथियारों ने पढ़ाए जाने वाले विषयों में परिवर्तन को आवश्यक बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सेना के कौन से पक्षों में परिवर्तन हुए?

- वायु सेना और जल सेना बनाने के साथ ही सेना सशस्त्र बल बन गई।
- सशस्त्र बलों की तीन शाखाओं के लिए सैन्य विषयों में प्रत्येक के लिए प्रशिक्षण विशेष रूप से अलग-अलग प्रकार का था।
- युद्ध के नए तरीकों के अनुरूप सेना का पुनर्गठन किया गया। सेनाओं ने अतिरिक्त आर्म्स खड़े किए जैसे इन्जीनियर्स योद्धा (पुल और सड़क निर्माण तथा बाधाएं दूर करना), सिगनल्स (दूरसंचार)
- थल सेना के पास राइफलें, मशीनगन, गन, मोर्टार, एन्टी टैंक मिसाइलें होती थीं। टैंकों के साथ घुड़ सेना भी थी। तोपखाना के पास दूर तक मार करने वाली बन्दूकें और राकेट तथा स्वचालित बन्दूकें थीं।

  हथियारों पर सैनिकों का सामान्य प्रशिक्षण पहले जैसा ही था सिवाय इसके कि विषय जटिल और गहन बन गया था। तलवार की जगह राईफल ने ले ली थी।
- सेना की तीनों शाखाओं थल, जल और वायु सेना को मिल के युद्ध लड़ना होता है। इसलिए त्रि-सेवा प्रशिक्षण शुरु किया गया।

3.2.1 सेना के प्रशिक्षण में परिवर्तन

आपने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार सैनिकों को आश्रमों और गुरुकुलों में प्रशिक्षित किया जाता था और सैन्य कौशल सिखाए जाते थे। सेनाओं में बदलाव आने और उनकी क्षमता बढ़ने के साथ प्रशिक्षण के तरीकों में भी बदलाव आया। आइए, हम तालिका के रुप में देखें कि सैनिकों को पढ़ाए जाने वाले विषयों में क्या परिवर्तन हुए।

शस्त्र कौशल	प्राचीन सैनिक	आधुनिक सैनिक
हथियारों के हिस्से पुर्ज़े	तलवार, भाला, तीर कमान से लड़ना	बन्दूक, मशीन गन, पिस्तौल, सब मशीन गन से लक्ष्य साधना और गोली चलाना
रख रखाव	तलवार और भाला/बरछी के हिस्से पुर्ज़े	बन्दूक/मशीनगन/गन और टैंकों के हिस्से पुर्ज़े
शारीरिक शिक्षा, खेलकूद	तलवारों और तीरों को धार देना, भालों, तलवारों और कवचों की साफ-सफाई करना	चलने वाले हिस्सों की विशेष सफाई, धातु, लकड़ी/प्लास्टिक के हिस्सों का रख-रखाव, शस्त्रों का सुरक्षित भंडारण, गोला-बारुद का रख-रखाव इत्यादि
विशेष विषय	हां	हां
	कोई नहीं	छोटे हथियारों को प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार की बन्दूकों, मशीनगनों का प्रयोग, खराबी दूर करना, संचार उपकरण, पुल निर्माण

क्रियाकलाप 3.2

क) इन्टरनेट का प्रयोग करके प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त हुए हथियारों की एक सूची बनाइए।

ख) इस सूची की द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त हुए हथियारों से तुलना कीजिए।

3.3 सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण देने की आधुनिक प्रणाली

3.3.1 स्कूल प्रणाली

पिछले अध्याय में आपने सैन्य शिक्षा के भारतीयकरण के बारे में पढ़ा जहां सैन्य स्कूलों के गठन को उजागर किया गया था। 1962 के बाद सैनिक स्कूल स्थापित किए गए जिनका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सैनिक स्कूल सोसायटी करती है तथा ये स्कूल डिफेंस एकेडमी पूना के लिए फीडर स्कूल हैं।

इन स्कूलों का विचार भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन का था तथा इनका गठन भारतीय सेना में आफिसर केंडर के बीच क्षेत्रीय और वर्ग असंतुलन को ठीक करने तथा नेशनल डिफेन्स एकेडमी खड़कवासला, पूना तथा नेशनल नेवल एकेडमी के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए किया गया था। वर्तमान में देश के सभी राज्यों में इस प्रकार के 26 स्कूल हैं।

3.3.2 नेशनल केडेट कॉर्पस (एन.सी.सी.)

इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज स्तर पर एन.सी.सी. की व्यवस्था भी स्थापित की गई। भारत में नेशनल केडेट कॉर्पस अधिनियम 1948 के अन्तर्गत एन.सी.सी. का गठन किया गया। 15 जुलाई 1948 में इसको शुरु किया गया। यह सेना, जल सेना और वायु सेना का त्रि-सेवा संगठन है जो देश के युवा वर्ग को अनुशासित और देशभक्त नागरिक के रूप में तैयार करने में जुटा हुआ है। भारत में एन.सी.सी. एक स्वैक्षिक संगठन है जो पूरे देश के हाई स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों से केडेट भर्ती करता है। केडेट्स को छोटे हथियारों और परेड का आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। एन.सी.सी. के अफसरों और केडेट्स को अपना कोर्स पूरा करने के बाद सक्रिय सेना में काम करने की कोई पाबन्दी नहीं है परन्तु उन्हें कॉपर्स में प्राप्त की गई उपलब्धियों के आधार पर सामान्य उम्मीदवारों के समक्ष वरीयता दी जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1965 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय एन.सी.सी. केडेट्स को द्वितीय रक्षा पंक्ति का दायित्य सौंपा गया था। उन्होंने आर्डीनेन्स फैक्ट्रियों की सहायता, सीमा पर हथियारों और गोला बारुद की आपूर्ति करने के लिए शिविर लगाए तथा दुश्मन के पैराट्रूपर्स को पकड़ने के लिए पैट्रोलिंग करने के का काम किया। एन.सी.सी. केडेट्स ने नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया तथा बचाव कार्यों और ट्रैफिक नियन्त्रण में सक्रिय भाग लिया।

3.3.3 विशेष एकेडमियां

जैसा कि आपने आधुनिक सेना के बदलाव में वायु सेना और जल सेना के घटक तथा श्रेष्ठ हथियारों के शामिल होने के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार प्रशिक्षण भी विशेषज्ञता पूर्ण हो गया है। सशस्त्र सेनाओं की प्रत्येक शाखा में अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए अपनी अलग एकेडमियां हैं।

क) सैनिक प्रशिक्षण : सेना के अपने रेजीमेन्टल केन्द्र हैं जहां नए भर्ती हुए जवानों तथा सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही प्रशिक्षण एकेडिमियां अपनी सेना की विभिन्न शाखाओं के विशेष पक्षों के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। सेना के रेजीमेन्टल केन्द्रों से अलग नेवी और एयर फोर्स की अपनी अनेक एकेडिमियां हैं जो प्रत्येक शाखा में प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं।

ख) अधिकारी प्रशिक्षण : तीनों सेनाओं के अधिकारियों को स्कूलों के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कबासला और पुणे में आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। सिविल कालेजों के स्नातकों को इन्डियन मिलिट्री एकेडमी (IMA)/नेवल एकेडमी/एयर फोर्स एकेडमी आफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में भी प्रशिक्षित किया जाता है।

भारतीय सशस्त्र बलों के कुछ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों की सूची नीचे दी गई है :-

फीडर संस्थान	
शिक्षा और प्रशिक्षण	• सैनिक स्कूल • मिलिट्री स्कूल • राष्ट्रीय इन्डियन मिलिट्री कालिज
त्रि सेना	• नेशनल डिफेन्स एकेडमी • डिफेन्स सर्विसिस स्टाफ कालिज • नेशनल डिफेन्स कालिज
भारतीय थल सेना	• आफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी • आर्मी वार कालिज • कालिज आफ मिलिट्री इन्जीनियरिंग, स्कूल आफ आर्टिलेरी • काउन्टर इनसर्जेन्सी एण्ड जंगल वारफेयर स्कूल • इन्डियन मिलिट्री एकेडमी • इन्फेन्ट्री स्कूल • आर्म्स कोपॅर्स सेन्टर एण्ड स्कूल
भारतीय जल सेना	• इन्डियन नेवल एकेडमी • आई.एन.एस. चिलका (सेलर ट्रेनिंग) • आई.एन.एस. सल्वाहना (सब-मेरीन ट्रेनिंग) • आई.एन.एस. गरुड़ (नेवल एविएशन ट्रेनिंग)
भारतीय वायु सेना	• एयर फोर्स एकेडमी • एयर फोर्स टेक्नीकल कालिज • एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कालिज

भारत में सैन्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

पाठगत प्रश्न 3.2

1. भारत में किस वर्ष सैनिक स्कूल शुरु किए गए?
2. नेशनल केडेट कोर्पस की स्थापना वर्ष ..... में हुई थी।
3. भारत के किन्हीं तीन मिलिट्री स्कूलों के नाम लिखिए।

आपने क्या सीखा

- सैन्य संगठनों, नए हथियारों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण समय के साथ सैन्य अध्ययन में बदलाव आया।
- युद्ध के तौर-तरीकों में भी हथियारों की व्यवस्था तथा संगठन में परिवर्तन आने के कारण बदलाव आया।
- एक सैनिक को पढ़ाए जाने वाले विषयों में भी परिवर्तन किए गए। सैन्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को युद्ध के तरीकों और हथियारों के अनुरुप बनाया गया।
- भारत में सैनिक को प्रशिक्षण देने में बदलाव आया।
- भारत में 1948 में एन.सी.सी. का गठन देश के युवा वर्ग को सैन्य प्रशिक्षण का आधाारभूत प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया।
- सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल स्थापित किए गए। थल सेना, वायु सेना और जल सेना के नए संगठनों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एकेडिमियां स्थापित की गई।
- सेना की प्रत्येक शाखा के पास सैनिकों और अफसरों को आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए अपनी एकेडिमियां हैं।

पाठान्त प्रश्न

1. हथियारों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। हथियार प्रणाली में आए किन्हीं पांच परिवर्तनों के नाम लिखिए जिनके कारण युद्ध लड़ने की प्रकृति में परिवर्तन आया।
2. मध्य कालीन भारत से लेकर ब्रिटिश शासन तथा आधुनिक काल तक युद्ध लड़ने की कला में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।
3. थल सेना के सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए गठित विशेषता मूलक एकेडिमियों का क्या अर्थ है?
4. भारत में विद्यार्थियों को सेना में शामिल करने के लिए प्रशिक्षण देने की आधुनिक स्कूल व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
5. नेशनल केड्स कोर्पस (एन.सी.सी) की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

3.1 1. मशीनगन, मिसाइल, बन्दूकें और टैंक

2. घुड़सेना, तोपखाना, पैदल सेना, सिग्नल्स, इन्जिनियर्स, वायु सेना, जल सेना

3.2 1. 1961

2. 1948

3. • सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री कालेज
   • मिलिट्री स्कूल (सबसे पुराना) वर्ष 1922 में स्थापित किया गया था, अजमेर मिलिट्री स्कूल,
   • बेलगाम मिलिट्री स्कूल, धौलपुर मिलिट्री स्कूल

374hn04

4

सशस्त्र बल

सैनिकों को अनेक प्रकार की चुनौतियों जैसे बर्फीले ग्लेशियर्स, रेतीले रेगिस्तान, पहाड़ी जंगल और विस्तृत समुद्रों का सामना करना पड़ता है। वे ऐसी चुनौतियों का हँस कर सामना करते हैं और देश के लिए कोई भी कुरबानी देने को तैयार रहते हैं।

सेना के सभी स्तरों पर आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना बनी रहती है। सैनिक तीन 'न' अर्थात नाम (व्यक्तिगत सम्मान), नमक (राष्ट्र के प्रति वफादारी) और निशान (अपनी यूनिट/रेजीमेण्ट के निशान) के लिए अपनी जान दे देते हैं। दुश्मन से लड़ते हुए वे अपनी वीरता दर्शाते हैं। सेना में जाति, धर्म अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेद-भाव नहीं होता। इससे टीम भावना और एकता सुनिश्चित रहती है। वे अपमान के बदले प्राय: मौत को चुनते हैं। साफगोई, ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रत्येक सैनिक का नैतिक बल होता है।

इस अध्याय में हम भारतीय सेना की विभिन्न कमाण्ड्स तथा सशस्त्र सेना के मूल्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। संगठनात्मक ढांचे के अध्ययन से पूर्व हम भारतीय सेना के नैतिक मूल्यों की परख करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- भारतीय सेना की भूमिका और संगठनात्मक ढांचे को स्पष्ट कर सकेंगे;
- भारतीय जल सेना की भूमिका और ढांचे का वर्णन कर सकेंगे;
- वायु सेना की भूमिका और ढांचे की व्याख्या कर सकेंगे।

4.1 भारतीय सेना की भूमिका

भारतीय सेना को हमारे देश की क्षेत्रीय एकता तथा बाहरी आक्रमण अथवा आन्तरिक गड़बड़ी के समय देश की संप्रभुता की रक्षा करनी होती है। सेना, प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदाओं में स्थानीय प्रशासन को सहायता भी प्रदान करती है। भारतीय सेना अपनी टुकडियों को भेजकर संयुक्त राष्ट्र के शान्ति मिशनों में भी भाग लेती हैं। भारतीय सेना यहाँ उल्लिखित भूमिकाओं को निभाने के लिए सदैव उच्च कोटि की कार्यवाई के लिए तैयार रहती है।

4.1.1 भारतीय सेना की संरचना

भारतीय सेना को 7 कमाण्ड्स में संगठित किया गया है जिनमें 6 कमाण्ड कार्रवाई के लिए तथा एक कमाण्ड प्रशिक्षण के लिए होता है। इनके नाम हैं-वेस्टर्न कमाण्ड, ईस्टर्न कमाण्ड, नार्थर्न कमाण्ड, सदर्न कमाण्ड, साऊथ वेस्टर्न कमाण्ड, सेन्ट्रल कमाण्ड और ट्रेनिंग कमाण्ड

4.1 वेस्टर्न कमाण्ड (मुख्यालय-चण्डी मन्दिर)

4.2 ईस्टर्न कमाण्ड मुख्यालय-कोलकाता)

4.3 नार्दर्न कमाण्ड (मुख्यालय-ऊधमपुर)

4.4 सदर्न कमाण्ड (मुख्यालय-पुणे)

4.5 साऊथ वेस्टर्न कमाण्ड (मुख्यालय-जयपुर)

4.6 ट्रेनिंग कमाण्ड (मुख्यालय-शिमला) (यह इकलौती गैर कार्रवाई कमाण्ड है क्योंकि इसके अन्तर्गत तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण संस्थान आते हैं।)

4.7 सेन्ट्रल कमाण्ड (मुख्यालय-लखनऊ)

प्रत्येक कमाण्ड का नेतृत्व एक जनरल आफिसर कमाण्डिंग इन चीफ करता है। उसका रैंक 'लेफ्टिनेंट जनरल' होता है।

4.1.2 सेना के सब-डिवीजन

इससे आगे सेना के सब डिवीजन होते हैं जहां सैनिकों को युद्ध लड़ने वाले बल के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। युद्ध करने वाली सेना में पैदल और सशस्त्र कोर्पस् होतें हैं-इसके अतिरिक्त युद्ध सहायक एवं एक सेवा यूनिट होती है।

थल सेना को निम्नलिखित तरीके से संगठित किया गया है-

सेक्शन – 10 सैनिकों से एक सेक्शन बनता है।

प्लाटून – 2 सेक्शन मिला कर एक प्लाटून बनती है जिसका मुखिया एक जूनियर कमीशन्ड आफिसर (JCO) होता है।

कम्पनी – 3 प्लाटून से एक कम्पनी बनती है जिसका मुखिया कम्पनी कमाण्डर होता है जिसका रैंक मेजर अथवा लेफ्टीनेंट कर्नल होता है।

बटालियन – चार कम्पनियों से एक बटालियन बनती है। यह पैदल सेना की प्रमुख योद्धा यूनिट होती है जिसका मुखिया बटालियन कमाण्डर होता है जो कर्नल रैंक का होता है।

ब्रिगेड – तीन बटालियनों से एक ब्रिगेड बनता है जिसका मुखिया ब्रिगेडियर रैंक का होता है।

डिवीजन – तीन से चार ब्रिगेड मिला कर एक डिवीजन बनता है जिसका मुखिया मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है जिसे GOC (डिविजन कमाण्डर) कहा जाता है। भारतीय सेना में इस समय 37 डिवीजन हैं जिनमें पैदल, पर्वतीय, बखतरबन्द, तोपखाना और पुनर्गठित आर्मी प्लेनस् इन्फैन्ट्री डिवीजन अर्थात RAPIDS शामिल हैं।

कोर्प्स – तीन से चार डिवीजन मिला कर एक कोर्प्स बनती है। लेफ्टीनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी इस का GOC (कोर्प्स कमाण्डर) के रुप में नेतृत्व करता है।

कमाण्ड – प्रत्येक कमाण्ड का नेतृत्व लेफ्टीनेंट जनरल रैंक का अधिकारी 'जनरल आफिसर कमाण्डिग इन चीफ' के रुप में काम करता है। भारत में 7 कमाण्ड हैं जिनमें से 6 कार्रवाई करने वाली तथा एक प्रशिक्षण कमाण्ड है जिसे ARTRAC (आर्मी ट्रेनिंग कमाण्ड) कहा जाता है।

भारत में तीन सेवा कमाण्ड्स भी हैं जिनके नाम हैं स्ट्रेटिजिक फोर्सिस कमाण्ड, इन्टेग्रेटिड डिफेन्स स्टाफ और अण्डमान-निकोबार कमाण्ड। इनका नेतृत्व बारी-बारी से थल, जल और वायु सेना के अधिकारी करते हैं।

4.1.3 भारतीय सेना का संगठन

भारतीय सेना के दो भाग हैं-युद्ध करने वाली (लड़ाका) सेना और सेवाएं।

लड़ाका सेना

यह सेना की लड़ाकू सेना है। इसमें शामिल है :

1. **बख़्तरबन्द कोर्पस** – इसने भारत में घुड़ सेना का स्थान लिया है। यह आधुनिक सेना की प्रमुख लड़ाका सेना है। इसके पास मुख्य हथियार टैंक होते हैं। यह सेना पैदल सेना की तब बहुत सहायता करती है जब वे शत्रु से लड़ रहे होती है; तब टैंक उनको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं।

2. **यान्त्रिक (मेकेनाइज़्ड) इन्फैन्ट्री** – यह भारतीय सेना की नवीनतम शाखा है।

3. **थल सेना** – यह लड़ाकू टुकड़ियां हैं जो जीती गई भूमि पर कब्जा करती हैं। भारतीय सेना के लड़ाकू बलों में यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शाखा है। इसको युद्ध सहायक सेनाओं से मदद प्राप्त होती है, जो निम्नलिखित हैं–

   - **तोपखाना** – गोले दागने की शक्ति प्रदान करने वाली सभी तोपें इसके अन्तर्गत होती हैं। इनका प्रयोग शत्रु के रक्षा कवच को नष्ट करने तथा शत्रु की स्थिति पर कब्जा करने के लिए, तथा अपनी पैदल सेना को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए किया जाता है।
   - **कॉपस आफ इंजीनियर्स** – इन्हें सैपर्स भी कहा जाता है। ये इंजीनियर्स होते हैं जो माइन्स बिछाने और हटाने, पुल और सड़कें बनाने तथा विस्फोटकों से निपटने का काम करते हैं। उनका मोटो 'सर्वत्र' अर्थात 'हर जगह' है। वे सेना की टुकड़ियों की गति को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
   - **कॉपस आफ आर्मी एयर डिफेन्स्** – हवाई जहाजों के आ जाने से युद्ध क्षेत्र के स्वरूप में आए परिवर्तन के बाद वायु रक्षा अपरिहार्य हो गई है। उनका मोटो है 'आकाशे शत्रुन् जहि– (शत्रु को आकाश में ही परास्त करो)
   - **आर्मी एविएशन कॉपस** – 'सुवेग व सुदृढ़' मोटो वाली सबसे युवा भारतीय सशस्त्र कॉपस के पास हेलीकाप्टर हैं जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, मौसमों और चुनौतियों के बीच काम कर सकते हैं। इनके पास शत्रु को उसकी सीमा में ही देख सकने की योग्यता है।
   - **कॉपस आफ सिगनलस** – सूचना के इस युग में, सेनाओं को अपनी वर्तमान सूचना संचार और प्रौद्योगिकी ढांचे को मजबूत करना होता है ताकि वे दूर-दराज़ क्षेत्रों में सैनिकों से सम्पर्क को सुनिश्चित कर सकें और युद्ध एवं शान्ति में सेना को साईबर सुरक्षा प्रदान कर सकें। यह काम कॉपस आफ सिगनल्स द्वारा किया जाता है। उनका मोटो 'तीव्र चौकस' है अर्थात 'अत्यधिक चौकन्ना'।

सेवाएं : युद्ध और युद्ध सहायक सेना के अतिरिक्त शेष सेना को सेवाओं के अन्तर्गत संगठित किया जाता है। उनका मुख्य कार्य सेना तक आवश्यक सामग्री (हथियार, गोला-बारूद, राशन इत्यादि) पहुँचाना होता है।

सेवाओं में निम्नलिखित विभाग शामिल होते हैं–

1. आर्मी सर्विस कॉपस
2. आर्मी मेडिकल कॉपस
3. आर्मी डेन्टल कॉपस
4. आर्मी आर्डिनेन्स
5. कॉपस आफ इलैक्ट्रानिकस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स
6. रिमाऊन्ट एण्ड बेटरनेरी कॉपस

7. मिलिट्री फॉर्मस सर्विस
8. आर्मी एजुकेशन कॉपस
9. कॉपस आफ मिलिट्री पुलिस
10. पायनियर कॉपस
11. आर्मी पोस्टल सर्विस कॉपस
12. इन्टेलिजेन्स कॉपस
13. जज एडवोकेट जनरलेस विभाग
14. मिलिट्री नर्सिंग सर्विस

पाठगत प्रश्न 4.1

1. सैनिकों के हृदय में तीन (Ns) के होने का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. उस स्थान का नाम लिखिए जहां आर्मी की ट्रेनिंग कमांड स्थित है। इनके कार्यों की व्याख्या कीजिए।
3. बटालियन का क्या अर्थ है?
4. कॉपस आफ आर्मी एयर डिफेन्स की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

4.2 भारतीय नौ सेना (नेवी)

भारतीय जल सेना का आदर्श वाक्य (मोटो) है- 'शं नो वरुण:' ''सागरों के देवता हम पर कृपा बनाए रखें।'' इसे भारत के भू-भाग को घेरे समुद्र की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।

4.2.1 नौ सेना की भूमिका

इसकी चार प्रकार की भूमिकाएं है, जिनमें केवल समुद्र में युद्ध लड़ना ही नहीं अपितु इससे बढ़कर आपदा में सहायता करना, बचाव कार्य और मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

नौ सेना को केवल शत्रु के विरुद्ध अपनी शक्ति प्रयोग करने का दायित्व नहीं सौंपा गया, अपितु इसे भारतीय क्षेत्र और समुद्री व्यापार की रक्षा भी करनी होती है।

जल कूटनीति जल सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जहाँ जल सेनाओं के संयुक्त अभ्यासों तथा मित्र देशों में समुद्री जहाज को भेज कर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाता है।

इसके कार्यों में समुद्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा डकैती जैसे अपराधों को रोकना भी है।

हितकारी भूमिका – यद्यपि नौ सेना, सेना का एक अंग है परन्तु यह कई गैर सैन्य कार्य भी करती है। इनमें मानवीय सहायता, आपदा राहत कार्य जैसे लोगों को मुसीबत वाले क्षेत्रों से दूर ले जाना, प्राकृतिक संकटों जैसे बाढ़, चक्रवात और भूकम्प से प्रभावित लोगों तक राहत व अनिवार्य सामग्री की आपूर्ति करना, मुसीबत में फँसी नावों और लोगों की खोज एवं सहायता करना इत्यादि।

दूसरे देशों के लिए भी तटीय और सागरीय क्षेत्रों की मैपिंग तथा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना।

4.2.2 भारतीय नौ सेना की संरचना

भारतीय नौ सेना को तीन कमाण्ड में बांटा गया है।

वेस्टर्न नेवल कमाण्ड – मुख्यालय मुम्बई

ईस्टर्न नेवल कमाण्ड – मुख्यालय विशाखापत्तनम

सदर्न नेवल कमाण्ड – मुख्यालय कोच्चि

प्रत्येक नौ सेना कमाण्ड का मुखिया एक फ्लैग आफिसर कमान्डिंग इन चीफ (FOC-in-C) होता है। उसका रैंक 'वाईस एडमिरल' होता है।

4.2.3 भारतीय नौ सेना का संगठन

मुख्य रूप से नौ सेना को निम्नलिखित शाखाओं में बांटा गया है।

- कार्यकारी (एक्ज़िक्यूटिव)
- अभियान्त्रिकी (इंजीनियरिंग)
- संभार तन्त्र (लोजिस्टिक्स)
- शिक्षा
- चिकित्सा

नौ सेना के अधिकारियों को विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर कार्यकारी, संचार, जहाजरानी, संभार इत्यादि की विभिन्न शाखाओं में आवश्यक विभिन्न भूमिकाओं में नियुक्त किया जाता है। जैसे कार्यकारी, संचार, जहाजरानी, संभार इत्यादि।

पाठगत प्रश्न 4.2

1. भारतीय नौ सेना का आदर्श वाक्य (मोटो) लिखिए।

   .....

2. ईस्टर्न नेवल कमाण्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

   .....

3. भारतीय सेना के हितकारी कार्यों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए।

   .....

   .....

4.2 भारतीय वायु सेना

भारतीय वायु सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। इसमें आधुनिक हवाई जहाज और सुप्रशिक्षित उड़ान (flying) बल है जो हमारे राष्ट्र के आकाश को रक्षा प्रदान कर सकता है।

4.3.1 भारतीय वायु सेना की भूमिका

भारतीय वायु सेना की प्रमुख भूमिका भारतीय वायु क्षेत्र को सुरक्षित बनाना तथा घुसपैठियों से बचाना है। वायु सेना को युद्ध के समय हवाई लड़ाई भी करनी होती है। वह दूर दराज़ क्षेत्रों में टुकड़ियां तैनात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा संभारण में भी सहायता करती है। यह कार्रवाई के दौरान नौ सेना और थल सेना को भी हवाई सहायता प्रदान करती है।

मानवीय दृष्टि से संकट और आपदा के समय नागरिकों का बचाव करना भी इसकी प्रमुख भूमिका है। गृह युद्ध अथवा अन्य संकटों में भारतीय नागरिकों को अन्य देशों से निकालना भी भारतीय वायु सेना का एक प्रमुख कार्य है।

भारतीय वायु सेना राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को हवाई यातायात उपलब्ध करवाती है।

4.3.2 भारतीय वायु सेना की संरचना

भारतीय वायु सेना को तीन शाखओं में बाँटा गया है- जिनके नाम हैं फ्लाईंग ब्रांच (उड़ान शाखा), टेक्नीकल ब्रांच (तकनीकी शाखा), ग्राऊंड ब्रांच (जमीनी शाखा)

भारतीय वायु सेना को पाँच आप्रेशनल (कार्रवाई) कमाण्डों तथा दो फंक्शनल (कार्यात्मक) कमाण्डों में विभाजित किया गया है। फंक्शनल कमाण्डों में बैंगलुरु में ट्रेनिंग कमाण्ड और नागपुर में मेनटेनेंस कमाण्ड हैं। फंक्शनल कमाण्डों का मुख्य कार्य मशीन और मनुष्यों को युद्ध के लिए तैयार रखना है। प्रशिक्षण में लड़ने का प्रशिक्षण (भिन्न भिन्न जहाजों पर काम करने का प्रशिक्षण) मिग तथा अन्य लड़ाकू जहाजों को उड़ाने के लिए विशेष तथा उच्च कोटि का प्रशिक्षण, हेलीकाप्टर प्रशिक्षण तथा यातायात एयर क्राफ्ट प्रशिक्षण शामिल होता है।

पाँच आप्रेशनल कमाण्ड इस प्रकार हैं-

सेन्ट्रल एयर कमाण्ड - मुख्यालय इलाहाबाद (उ0प्र0)

ईस्टर्न एयर कमाण्ड - मुख्यालय शिलांग (मेघालय)

सदर्न एयर कमाण्ड - मुख्यालय, थिरुवन्तपुरम

साऊथ वेस्टर्न एयर कमाण्ड - मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात

वेस्टर्न एयर कमाण्ड -मुख्यालय दिल्ली

वायुसेना की दो अतिरिक्त कमाण्ड हैं जो प्रशिक्षण एवं जहाज़ों के रख-रखाव का कार्य करती हैं-

एयर फोर्स ट्रेनिंग कमाण्ड, बैंगलुरु

मेनटेनेन्स कमाण्ड, नागपुर

प्रत्येक कमाण्ड के भिन्न-भिन्न स्थानों पर एयर फोर्स स्टेशन अथवा बेस स्थित हैं।

प्रत्येक कमाण्ड का मुखिया एक एयर आफिसर कमाण्डिंग इन चीफ (AOE-in-C) होता है। इस पद का दायित्व एक एयर मार्शल के पास होता है।

4.3.3 भारतीय वायु सेना का संगठन

सेना की भांति वायु सेना के पास भी पर्याप्त लड़ाका यूनिट्स होती हैं। इनमें से प्रत्येक यूनिट को एक समूह का हिस्सा बनाकर एक कमाण्ड के अन्तर्गत रखा जाता है। प्रत्येक कमाण्ड के अर्न्तगत निम्नलिखित सब डिवीजन होते हैं–

सेक्शन – यह एयर फोर्स की सबसे छोटी ईकाई (यूनिट) है। तीन जहाज़ों से एक सेक्शन बनता है। इसका मुखिया एक फ्लाईट लेफ्टीनेन्ट होता है।

फ्लाईट – दो सेक्शन से एक फ्लाईट बनता है। इसका मुखिया एक स्कवाड्रन लीडर होता है।

स्कवाड्रन – यह दो प्रकार के होते हैं–फ्लाईंग स्कवाड्रन और ट्रांस्पोर्ट स्कवाड्रन। तीन फ्लाईट से एक स्कवाड्रन बनता है। लड़ाका स्कवाड्रन में 18 जहाज़ों का मुखिया एक कमांडिंग आफिसर होता है, जिसका रैंक विंग कमांडर अथवा ग्रुप कैप्टन होता है। ट्रांस्पोर्ट स्कवाड्रन का मुखिया ग्रुप कैप्टन ही होता है।

विंग – दो या तीन स्कवाड्रनों से एक विंग बनता है। विंग प्राय: किसी एक एयर फोर्स स्टेशन में स्थित होता है। विंग की कमाण्ड एक ग्रुप कैप्टन/एयर कमाडोर के हाथ में होती है।

स्टेशन – एक विंग और एक या दो स्कवाड्रन से एक स्टेशन बनता है। इसकी कमाण्ड एक एयर कमाडोर के हाथ में होती है। बड़े स्टेशनों की कमाण्ड एयर वाईस मार्शल के हाथों में होती है।

कमाण्ड – एक आप्रेशनल कमाण्ड के पास नौं या दस बेस अथवा स्टेशन हो सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 4.3

1. भारतीय वायु सेना के पास कितनी आप्रेशनल कमाण्ड हैं?

   .....

2. 'स्कवाड्रन' पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

   .....

3. भारतीय वायु सेना की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

   .....

आपने क्या सीखा

- भारतीय सेना को दो भागों में संगठित किया जाता है। एक योद्धा सेना और दूसरा सेवा प्रभाग। योद्धा सेना, सेना का लड़ाका बल होता है और इसमें (i) बख़्तरबन्द कॉपस, (ii) मेकेनाईज़ड पैदल सेना, (iii) पैदल सेना होती है। लड़ाका सेना के अतिरिक्त सेना

को सेवाओं के अन्तर्गत संगठित किया जाता है। इनमें (i) आर्मी सेवा कॉपस, (ii) आर्मी मेडिकल कॉपस, (iii) आर्मी डेन्टल कॉपस, (iv) आर्मी आर्डिनेन्स कॉपस, (v) कॉपस आफ इलैक्ट्रानिक्स एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स, (vi) रिमाऊन्ड एण्ड वेटेरनिटी कॉपस, (vii) मिलिट्री फार्म्स सर्विसिस, (viii) आर्मी एजुकेशन कॉपस, (ix) कॉपस आफ मिलिट्री पुलिस, (x) पायनियर कॉपस, (xi) आर्मी पोस्टल सर्विसिस कॉपस, (xii) इन्टेलिजेन्स कॉपस, (xiii) जज एडवोकेट जनरल विभाग, (xiv) मिलिट्री नर्सिंग सर्विस।

भारतीय नौ सेना का आदर्श वाक्य (मोटो) है 'शं नो वरुण:'। यह देश की सुरक्षा के लिए भी लड़ती है और प्राकृतिक आपदाओं एवं बचाव कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौ सेना को तीन कमाण्डों में बांटा जाता है।

- भारतीय वायु सेना विश्व की चौथी बड़ी सेना है। इसको पाँच आप्रेशनल और दो फंक्शनल कमाण्ड में बांटा गया है।
- वायु सेना का संगठन सेक्शन से शुरु होकर फ्लाईट, स्कावड्रन, विंग और स्टेशन तक पहुंचता है।

पाठान्त प्रश्न

1. भारतीय सेना के विभिन्न डिवीज़नों का वर्णन कीजिए।
2. भारतीय नौ सेना की विभिन्न भूमिकाएं स्पष्ट कीजिए।
3. भारतीय वायु सेना के संगठनात्मक ढांचे की व्याख्या कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

4.1 1. नाम (आत्मसम्मान और नाम), नमक (देश के प्रति वफादारी) और निशान (यूनिट/रेजीमेण्ट/देश का ध्वज)

2. प्रशिक्षण कमाण्ड शिमला में स्थित है। यह सभी सेवाओं का प्रशिक्षण संस्थान है।

3. चार कम्पनियों से एक बटालियन बनती है। कम्पनी, सेना की मुख्य लड़ाका इकाई है और इसकी कमाण्ड कर्नल रैंक के अधिकारी बटालियन कमाण्डर के हाथ में होती है।

4. हवाई जहाजों के आने से, युद्ध क्षेत्र के चरित्र में बदलाव आने से हवाई रक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उनका मोटो (आदर्श वाक्य) 'आकाशे शत्रुन जहि' शत्रु को आकाश में हराएं। वे पहले आने और अन्त में जाने के सिद्धान्त का पालन करते हैं। इसका अर्थ है कि वे लड़ने वाली यूनिट्स को प्रारम्भिक कवच प्रदान करेगी और अपनी सम्पतियों की रक्षा करते हुए शत्रु की परिसम्पतियों पर आक्रमण करेगी।

4.2 1. 'शं ने वरुण:' अथवा सागरों का देव हम पर कृपा दृष्टि रखें।

2. 'ईस्टर्न नेवल कमाण्ड' विशखपट्टनम में स्थित है।

3. भारतीय नौ सेना हितकारी कार्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करती है।

- मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य जैसे मुसीबत वाले क्षेत्रों से लोगों को निकाल कर ले जाना, प्राकृतिक संकट वाले स्थानों जैसे बाढ़, चक्रवात और भूकम्प से प्रभावित इलाकों में अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति करना
- मुसीबत में फंसे लोगों की खोज और बचाव
- अन्य देशों के लिए भी तटीय और समुद्री क्षेत्र की मैपिंग तथा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना

4.3. 1. भारतीय वायु सेना की पांच आप्रेशनल कमाण्ड हैं।

2. तीन फ्लाईट्स से एक स्कवाड्रन बनता है। किसी स्कवाड्रन में 18 जहाज होते हैं जिसका मुखिया एक कमांडिंग आफिसर होता है जिसका रैंक विंग कमाण्डर होता है। यद्यपि ट्रांस्पोर्ट स्कवाड्रन का मुखिया एक ग्रुप कैप्टन होता है।

टिप्पणी

374hn05

5

विशेष बल

इस अध्याय में आप विशेष बलों द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्यों, इनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण तथा इन बलों के महत्व के बारे में जानेंगे।

युद्ध के दौरान समुद्र, आकाश और थल पर अनेक प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जिनसे विशेष बल दुश्मन के क्षेत्र में उनकी जानकारी के बिना विनाशक कार्यों में लगे रहते हैं। विशेष बलों का आरम्भ बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों की वृद्धि हुई और युद्ध में संलग्न प्रत्येक प्रमुख सेना ने अपनी सेना पंक्ति के पीछे विशेष कार्रवाइयों के लिए कई संगठन खड़े किए।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- वैश्विक स्तर पर विशेष बलों के इतिहास की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारतीय विशेष बलों के इतिहास को स्पष्ट कर सकेंगे;
- अन्य विशेष बलों के ढांचे का विस्तृत वर्णन कर सकेंगे।

5.1 वैश्विक स्तर पर विशेष बलों का इतिहास

विशेष बल सेना की इकाईयाँ ही हैं जिन्हें विशेष कार्रवाइयाँ करनी होती हैं। सैनिक गतिविधियों के रूप में की जाने वाली विशेष कार्रवाइयों को निश्चित, संगठित, प्रशिक्षित और हथियारों से लैस बलों द्वारा चलाया जाता है और ये बल चुने हुए लोगों, अपारंम्पारिक युक्तियों, तकनीकों का प्रयोग करके अपने कार्य करते हैं। प्राय: विशेष बलों को जासूसी करने वाले संगठन के लिए काम करने वाला समझ लिया जाता है, जो भिन्न-भिन्न अधिकारियों के मातहत रह कर विभिन्न प्रकार के कौशल प्रयोग करके, अपनी प्रायोजक यूनिट और गतिविधि को गुप्त रखते हैं। कभी-कभी विशेष सैनिक इकाईयों का विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है और कभी-कभी विशेष बलों को जासूसी करने वाले संगठनों के गुप्त कार्यों करने के लिए भेज दिया जाता है। अत: विशेष बल न केवल विशिष्ट होते हैं अपतु विशेष भी होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लड़ाका कार्यों और मिशन पूरे करने होते हैं जो सामान्य बल नहीं कर सकते अथवा खतरे और कीमत की दृष्टि से उनके लिए उपयुक्त नहीं होते।

जब युद्ध में पारम्परिक तरीकों के स्थान पर 'मारो और भागो' की नीति से अव्यवस्था फैलाने का उद्देश्य होता है, तब विशेष बलों ने युद्धों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष बलों की अन्य भूमिकाओं में दुश्मन की टोह लेना, शत्रु के बारे में अनिवार्य गुप्त सूचनाएं प्रदान करना तथा अनियमित बलों, उनके संगठनों और गतिविधियों के साथ लड़ना शामिल है।

ब्रिटिश आर्मी ने अपनी सीमा पर युद्धों के दौरान दो विशेष बलों का प्रयोग किया: पहला 1846 में गठित कॉपस आफ गाईड्स और दूसरा गुरखा स्काऊट्स (यह बल 1890 के दशक में गठित किया गया और पहली बार 1897-98 में तीरह अभियान के दौरान इसका एक विलग इकाई के रुप में प्रयोग किया गया था)। द्वितीय बोअर युद्ध (1890-1902) के दौरान ब्रिटिश आर्मी को विशेष बलों की अधिक आवश्यकता अनुभव हुई।

इस भूमिका में लवेटा स्काऊट्स (Lovat Scouts) जैसी स्काऊटिंग यूनिटों को लिया गया जो स्काटिश हाइलैण्ड रेजीमेण्ट का भाग थीं और अभ्यस्त जंगली निशानेबाज, युद्ध क्षेत्र की शिल्पकार और युद्ध की युक्तियों के जानकार थीं। यह यूनिट 1900 में लार्ड लवेट द्वारा बनाई गई थी, जो पहले लार्ड रॉबर्ट के नेतृत्व में चीफ आफ स्काऊट्स अमरीकी मेजर फ्रेडरिक रॅसल को रिपोर्ट करती थी। युद्ध के बाद लवेट के स्काऊट औपचारिक रूप से ब्रिटिश आर्मी की पहली निशानेबाज यूनिट बन गई। इसके साथ ही 1901 में बने बुशवेल्ट कारबाइनर्स को युद्ध करने वाली आरंभिक अपारंम्परिक यूनिट के रुप में देखा जा सकता है।

5.2 भारतीय विशेष बलों का इतिहास

भारतीय विशेष बलों का इतिहास ब्रिटिश इन्डियन आर्मी द्वारा पैराशूट बटालियन तैयार करने और बाद में 1952 में पैराशूट रेजीमेण्ट बनाने के इर्द-गिर्द घूमता है। रेजीमेण्ट ने सफलतापूर्वक कई हवाई कार्रवाईयाँ तथा सीमा पार कमांडो हमले किए। भारतीय सेना के पास कमाण्डो बटालियनें थीं। बाद में इन यूनिटों को विशेष बलों का नाम दिया गया और शत्रु की स्थिति के पीछे रह कर कुछ विशेष कार्य करने का काम सौंपा गया।

1971 के युद्ध में विशेष बलों को एक नौ सेना घटक की आवश्कता तब महसूस हुई जब उस समय के पाकिस्तान और वर्तमान में बंगला देश के कोक्स बाजार में एक जल-स्थलीय लैंडिग की योजना बनाई गई (आपरेशन जैक पाट)। इस अनुभव के बाद भारत में अमेरिका के SEALS (सील्स) की तर्ज पर मेरीन कमाण्डो तैयार किए गए।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक बल गठित करने का निर्णय लिया गया। अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ यह सोचा गया कि तैयार किया गया यह नया बल, आतंकवाद के विरुद्ध, एन्टी हाइजैकिंग (हवाई जहाज अगवा करने के विरुद्ध) और अपहरण के विरुद्ध भी काम आएगा।

तदोपरान्त 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का गठन किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को विशेष बल से काटकर बनाया गया और इसके गठनकर्ता सहित सभी सदस्य भारतीय थल सेना से ही लिए गए थे।

2004 में भारतीय वायु सेना में गठित विशेष बल 'गरुड़' युनाइटिड किंगडम की रायल एयर फोर्स रेजीमेण्ट (RAFR) के समान था, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 'तूफानी आक्रमण' के प्रत्युतर में किया गया था। 'राफर' की भांति गरुड़ का काम भी मैदानी लड़ाई में सेना की सहायता के लिए शत्रु के क्षेत्र में घुस कर कार्रवाई करने के लिए किया गया था।

5.3 अन्य विशेष बलों का ढांचा (संरचना)

विशेष बलों के ढांचें में नव गठित 'आर्म्ड फोर्सिस स्पेशल फोर्सिस डिवीजन' (AFSFD) को शामिल किया गया है, जो एकीकृत रक्षा स्टाफ (Integrated Defence Staff) के अधीन काम करेगा। इस व्यवस्था में सेना, नौ सेना और वायु सेना के सभी विशेष बल एक कमाण्डर के अधीन होते हैं। वर्तमान में इस नए डिवीजन (AFSFD) का मुखिया सेना का एक मेजर जनरल है। भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न विशेष बलों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

5.3.1 पैराशूट रेजीमेण्ट

पैराशूट रेजीमेण्ट में PARA और PARA (SF) (विशेष बल) शामिल होते हैं, जो देश में विभिन्न प्रकार की विशेष कारवाईयाँ करने वाली रेजीमेण्ट हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), सुरक्षा गार्ड (SG), राष्ट्रीय राईफल्स की कमाण्डो बटालियनों की विशेषज्ञ यूनिटों को योगदान देने वाली अकेली सबसे बड़ी बटालियन भी है। इस रेजीमेण्ट का अपना अलग प्रशिक्षण केन्द्र है, जहां भारतीय सेना के क्षेत्रीय भर्ती केन्द्रों से जवान भर्ती किए जाते हैं।

इस यूनिट का 1966 में भारतीय सेना द्वारा गठन किया गया। 1965 में भारत- पाकिस्तान युद्ध के दौरान उत्तर भारत की थल सेना यूनिटों से लिए गए कुछ वालंटियर्स ने मेजर मेघ सिंह के नेतृत्व में ब्रिगेड आफ गार्ड्स के रुप में शत्रुओं की पंक्ति के पीछे रह कर कार्रवाईयां की थी। इस बल के प्रदर्शन ने अधिकारियों को इनके योगदान पर दृष्टि डालने तथा एक नया बल गठित करने की आवश्यकता को अनुभव करने के लिए विवश किया।

नए बल के केन्द्र के रुप में उस समय के विसर्जित 'मेघदूत बल' के वालंटियर्स को लेकर ब्रिगेड आफ गार्ड्स के एक अंग के रुप में एक बटालियन तैयार की गई। पैराट्रुपिंग का, कमाण्डो युक्तियों का एक अभिन्न अंग होने के कारण इस यूनिट को पैराशूट रेजीमेण्ट में परिवर्तित कर दिया गया। जुलाई 1966 में गठित नौवीं बटालियन, 'द पैराशूट बटालियन (कमाण्डो)' पहली विशेष कार्रवाई यूनिट थी। पैराशूट बटालियन के विशेष बलों PARA (SF), की सूची निम्न लिखित है :

- 1PARA (SF) (1961 में गठित) को विशेष बल में परिवर्तिन कर दिया गया।
- 2PARA (SF) (Ex-3 Maratha L.I) को विशेष बल में परिवर्तित कर दिया गया।
- 3PARA (SF) (Ex-1st Kamaon) को विशेष बल में परिवर्तित कर दिया गया।
- 4PARA (SF) (1961 में गठित) को विशेष बल में परिवर्तित कर दिया गया।

- 9PARA (SF) (1966 में गठित) भारतीय सेना की विशेष बलों को समर्पित पहली इकाई)
- 10PARA (SF) (1967 में गठित)
- 11PARA (SF) 2001 में गठित
- 21PARA (SF) 1996 में गठित

5.3.2 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

'राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड' गृह मंत्रालय के अधीन गठित विशेष बल की एक इकाई है। 1984 में 'ब्ल्यू स्टार आपरेशन' के अनुभव के दृष्टिगत 'राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड' का गठन किया गया। गठन के बाद 1986 में इसका पंजाब और जम्मू-कश्मीर में प्रयोग किया गया। हालांकि इस बल का नाम केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सामान्य नामावली के अन्तर्गत नहीं रखा गया।

इसके पास विशेष बल का दायित्व है और इसके द्वारा कार्रवाई करने की योग्यता भारतीय सेना के विशेष कार्य समूह (SAG) द्वारा प्रदान की जाती है। 'राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड' पुलिस घटक के रूप में 'विशेष रेंजर समूह' के केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस के जवान से लिए जाते हैं जो अति विशिष्ट जनों की सुरक्षा भी करते हैं। 'राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड' के जवानों को मीडिया में 'ब्लैक कैट' के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे काले रंग की वर्दी पहनते हैं, जिस पर बिल्ली (कैट) का चिन्ह अंकित होता है।

5.3.3 गरुड़

'गरुड़, भारतीय वायु सेना की एक यूनिट है, जिसे फरवरी 2004 में शुरू किया गया। मूलत: ये वायु सेना के संस्थानों की आतंकवादी हमलों से रक्षा करते हैं। 'गरुड़' 72 सप्ताह का प्रोबेशन प्रशिक्षण कोर्स पूरा करते हैं जो भारतीय विशेष बलों के प्रशिक्षण कोर्सों में सबसे लम्बा कोर्स है। एक प्रशिक्षु को 'गरुड़' के रुप में कार्य करने योग्य बनने में लगभग 3 वर्ष के प्रशिक्षण का समय लगता है। 'गरुड़ों' की विविध जिम्मेवारियां होती हैं।

हवाई अड्डों और प्रमुख सम्पतियों की रक्षा का आधार सुरक्षा बल होने के साथ ही गरुड़ों कुछ श्रेष्ठ यूनिटों को आर्मी पैरा कमाण्डो तथा नेवल मारकोस की भांति दुश्मन की पंक्ति के काफी पीछे जाकर कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। संघर्ष के समय 'गरुड़' योद्धाओं की खोज और बचाव, दुश्मन की रक्षा पंक्ति की पीछे गिरा दिए गए एयरमैनों और अन्य बलों के जवानों को बचाने, शत्रु की वायु रक्षा को भेदने, राडार नष्ट करने, मिसाइल और युद्ध सामग्री का मार्गदर्शन करने तथा हवाई कार्यवाही करने में सहयोग देने जैसे कई कार्य करते हैं।

5.3.4 मेरीन कमाण्डोस

मारकोस, (पूर्व में जिन्हें मेरीन कमाण्डो फोर्स कहा जाता था) भारतीय नौ सेना का एक विशेष बल है, जिसका गठन जल-स्थलीय युद्ध, सीधे आमने-सामने लड़ना, आतंकवाद, सीधे

कार्यवाही, विशेष टोही-अभियान, अपारम्परिक युद्ध, अपहत बचाव, लोगों की रक्षा, युद्ध में खोजने और बचाने, विषम युद्ध, जल स्थली टोह और हाइड्रोग्राफिक टोह जैसी विशेष कार्यवाहियों को करने के लिए किया गया है।

मारकोस कमाण्डो बल को समुद्री वातावरण में विशेष कार्यवाहियाँ करने के लिए गठित, प्रशिक्षत और साधन सम्पन्न किया गया है। मेरीन कमाण्डोस का छोटा नाम मारकोस है। अपने तीस वर्षों में इसने अनुभव प्राप्त किया है और व्यवसायिक ख्याति अर्जित की है। मारकोस प्रत्येक प्रकार के युद्ध क्षेत्र में कार्यवाहियाँ करने में सक्षम हैं लेकिन समुद्री कार्यवाही करने में विशेषज्ञ होते हैं। जेहलम नदी और 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली वूलर झील के माध्यम से उन्होंने जम्मू और काश्मीर में कई कार्रवाईयाँ की हैं। मारकोस के कुछ जवानों को आतंकवाद विरोधी कार्यवाहियों के लिए आर्मी स्पेशल फोर्सेस के साथ भी लगाया गया है।

मेरीन कमाण्डोस का पहला जत्था फरवरी 1987 में तैयार हुआ था। इस यूनिट का सबसे अलग होना इसकी थल, जल और नभ में कार्यवाही करने की क्षमता के कारण है। समुद्री वातावरण में विशेष कार्रवाईयाँ करने के लिए मारकोस को विशेष रुप से गठित, प्रशिक्षित और साधन सम्पन्न किया गया है। इस यूनिट के लोगों को कश्मीर से गोवा तक 24 घण्टे की निगरानी तथा सोमालिया में डकैती विरोधी कार्रवाईयों के लिए लगाया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह यूनिट गोताखोरी और नागरिक सहायता के लिए सबसे आगे रहती है। मारकोस के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- शत्रु के समुद्री जहाजों पर गुप्त हमले करना, किनारों की इमारतों और शत्रु की पंक्ति के पीछे की महत्वपूर्ण परिसम्पतियों पर आक्रमण करना।
- गुप्त कार्रवाईयों सहित आक्रमण के पूर्व की गतिविधियों में सहयोग देना।
- अपारम्परिक युद्ध लड़ना।
- सेना की कार्रवाईयों में सहयोग देने के लिए निगरानी और जानकारी की खोज करना।
- गुप्त गोताखोरी से कार्रवाई करना।
- समुद्रों में बन्दी बनाए गए लोगों को बचाने की कार्रवाई करना।
- समुद्री वातावरण में आतंकवाद से लड़ने की कार्रवाई करना।

पाठगत प्रश्न 5.1

1. विशेष बलों का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

   .....

2. विशेष बलों की विभिन्न योग्यताओं/क्षमताओं का वर्णन कीजिए।

   .....

3. पहली विशेष कार्यवाही यूनिट PARA (SF) का नाम लिखिए। इसका गठन कब किया गया था?

.....

4. ब्लैक कैट्स कौन हैं? उन्हें इस नाम से क्यों पुकारा जाता है?

.....

5. 'गरुड़ों' के विभिन्न उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए।

.....

6. मारकोस की भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए।

.....

आपने क्या सीखा

- नियमित सशस्त्र सेना डिवीजनों के अतिरिक्त शत्रु की पंक्ति के पीछे गुप्त कार्रवाई करने के लिए विशेष उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षत जवानों को अलग से नियुक्त किया जाता है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के अनेक देशों ने विशेष बलों का गठन किया। भारत ने भी विशेष बलों की बटालियनों जैसे-पैराशूट रेजिमेण्ट, भारतीय वायु सेना का विशेष बल गरुड़ तथा समुद्री कार्यवाहियों के लिए मारकोस यूनिट इत्यादि को गठित किया।
- ऐसे प्रत्येक बल को कठिन और विशेष प्रशिक्षण लेना होता है। ये बल शत्रु सेना की शक्ति को कम करने तथा उसे आक्रमण करने से रोकने जैसे कार्यों को करने के लिए पूर्णतः सक्षम होते हैं।

पाठान्त प्रश्न

1. भारतीय विशेष बलों के इतिहास का वर्णन कीजिए।
2. पैराशूट रेजीमेण्ट (विशेष बल) के ढांचे को स्पष्ट कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

5.1 1. विशेष बल सेना की इकाईयाँ होते हैं जो विशेष कार्रवाईयां करने के लिए प्रशिक्षित होती हैं। इनमें विशेष रूप से तैयार, संगठित, प्रशिक्षित और साधन सम्पन्न बल शामिल होते हैं इनके जवान अपारम्परिक युक्तियों, तकनीकों और उन्हें प्रयोग करने के विलग तरीकों को अपनाने में समक्ष होते हैं।

2. विशेष बलों की योग्यताएं निम्नलिखित हैं-

   क) युद्ध के वातावरण में टोह लेना और निगरानी करना

   ख) आक्रामक कार्रवाई करना

   ग) लोगों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से अलगाव विरोधी गतिविधियों में सहयोग देना

   घ) आतंक विरोधी आप्रेशन

   ड.) भीतरघात का नाश करना

   च) शत्रु द्वारा बन्दी बनाए गए लोगों का बचाव करना

3. नौवीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेण्ट (कमाण्डोस) पहली विशेष कार्रवाई यूनिट थी। इसका गठन जुलाई 1966 में किया गया था।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को प्राय: ब्लैक कमाण्डो कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह काली वर्दी पहनते हैं और उनकी वर्दी पर काली बिल्ली का निशान बना होता है।

5. 'गरुड़' मूल रुप से भारतीय वायु सेना की इमारतों, हवाई अड्डों और युद्ध के वातावरण में प्रमुख परिसम्पतियों को आतंकवादी आक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं। घुसपैठ और संघर्ष के दौरान उन्हें हथियारों की व्यवस्था को भंग करने, लड़ाकों को रोकने तथा उनकी अन्य व्यवस्थाओं को भंग करने का काम सौंपा जाता है।

6. शत्रु के जहाजों के विरुद्ध गुप्त आक्रमण करना तथा शत्रु की पंक्ति के पीछे की सम्पतियों तथा किनारे की इमारतों और महत्वपूर्ण परिसम्पतियों पर आक्रमण करना।

   - जल-स्थलीय कार्यवाहियों सहित आक्रमण पूर्व कार्यवाहियों को सहयोग देना
   - अपारम्परिक युद्ध करना
   - सैनिक कार्रवाईयों को सहयोग देने के लिए निगरानी रखने और टोही मिशनों को चलाना
   - गोताखोरी की गुप्त कार्रवाईयों को चलाना
   - समुद्र में बन्दी बनाए गए लोगों के बचाव के लिए कार्यवाही करना
   - समुद्री वातावरण में आतंकवाद से लड़ना।

374hn06

6

अर्द्ध सैनिक बल

अर्द्ध सैनिक बल एक प्रकार से आधा सैन्य बल होता है जिसका संगठनात्मक ढाँचा, युक्तियाँ, प्रशिक्षण, उप संस्कृति और कार्य व्यवसायिक सेना की तरह ही होते हैं परन्तु उसको राज्य की औपचारिक सेना में शामिल नहीं किया जाता। यद्यपि अर्द्ध सैनिक बल सेना नहीं होते परन्तु वह प्राय: प्रशिक्षण और संगठनात्मक ढांचे के आधार पर पैदल सेना के समान ही होते हैं। सीमा सुरक्षा बल की भांति, अर्द्ध सैनिक बल जो सीमा की रक्षा में लगा हुआ है-युद्ध के समय सेना के अन्तर्गत आता है और पैदल सेना के कुछ कार्यों को भी करता है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- अर्द्ध सैनिक बलों का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे;
- भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्द्ध सैनिक बलों का वर्णन तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य समझ सकेंगे।

6.1 अर्द्ध सैनिक बल

भारतीय अर्द्ध सैनिक बलों का अभिप्राय ऐसे संगठनों से है जो भारतीय सेना की सहायता करते हैं तथा जिनका नेतृत्व भारतीय सेना अथवा नौ सेना का कोई अधिकारी करता हैं। यद्यपि सरकार के किसी कानून अथवा नियम ने इनको परिभाषित नहीं किया है। हालाँकि पहले 'अर्द्ध सैनिक बल' शब्द का प्रयोग निम्नलिखित आठ बलों के लिए किया जाता था।

1. आसाम राईफल्स
2. स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स
3. भारतीय तट रक्षक
4. केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
5. सीमा सुरक्षा बल
6. इन्डो तिब्बत सीमा पुलिस
7. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
8. सशस्त्र सीमा बल

2011 से इनको देबारा से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया जिसमें बाद के छः बलों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है।

वर्तमान में पहले तीन भारत के अर्द्ध सैनिक बल हैं- आसाम राईफल्स (गृह मंत्रालय), स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स (केबिनेट सचिवालय का भाग), भारतीय तट रक्षक (रक्षा मंत्रालय का भाग)

6.2 आसाम राईफल्स

आसाम राईफल्स भारत का सबसे पुराना अर्द्ध सैनिक बल है। इस यूनिट की जड़ें 1835 में अंग्रेजों के अधीन बनाए गए अर्द्ध सैनिक बल, 'कछार लेवी', में खोजी जा सकती हैं। तब से आसाम राईफल्स के नाम में अनेक परिवर्तन हुए हैं, 1883 में आसाम फ्रंटीयर पुलिस, 1891 में आसाम मिलिट्री पुलिस, 1913 में ईस्टर्न बंगाल और आसाम मिलिट्री पुलिस और अन्त में 1917 में इसको आसाम राईफल्स का नाम दिया गया।

इतिहास के पन्नों में आसाम राईफल्स और इसकी पूर्ववर्ती यूनिट्स ने प्रथम विश्व युद्ध सहित अनेक संघर्षों में अपनी सेवा दी है जब इसने यूरोप और मध्य एशिया में अपना योगदान दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने मुख्य रूप से बर्मा में अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद इसकी भूमिका और संगठन का बहुत विस्तार हुआ।

वर्तमान में आसाम राईफल्स की 46 बटालियनें हैं जिनमें 63,747 जवान काम कर रहे हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। आसाम राईफल्स के लिए आवश्यक अधिकारी भारतीय सेना द्वारा चुने जाते हैं और उन्हें एक निश्चित समय के लिए आसाम राईफल्स में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। वे अनेक प्रकार की भूमिकाएँ निभाते हैं जिनमें सेना के आधीन रह कर अलगाववाद के विरुद्ध कार्यवाही तथा सीमा सुरक्षा की अनेक कार्यवाहियाँ शामिल हैं। वे आपातकाल में नागरिक प्रशासन की सहायता तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में संचार, चिकित्सा सुविधाएँ और शिक्षा का प्रावधान भी करते हैं।

युद्ध के समय ज़रुरत पड़ने पर उन्हें पीछे के क्षेत्रों में लड़ाका बल की तरह प्रयोग भी किया जा सकता है। 2002 से यह सरकार की 'एक सीमा-एक बल' की नीति के अन्तर्गत भारत म्यांमार सीमा की रक्षा कर रहे हैं।

आसाम राईफल्स रैंक	भारतीय सेना में रैंक
डायरेक्टर जनरल (प्रतिनियुक्ति पर तैनात सेना अधिकारी)	ले. जनरल
इन्सपेक्टर जनरल	मेजर जनरल
डिप्टी इन्सपेक्टर जनलर	ब्रिगेडियर
कमाण्डेण्ट	कर्नल
सेकेन्ड इन कमाण्ड	ले. कर्नल
डिप्टी कमाण्डेण्ट	मेजर
असिस्टेण्ट कमाण्डेण्ट	कैप्टन

6.2.1 सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल सीमाओं की रक्षा करने वाला मूल बल है। यह संघीय सरकार के 6 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसको 1965 के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में सीमाओं की रक्षा को सुनिश्चित करने तथा उससे जुड़े कार्यों के लिए गठित किया गया था। यह एक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसका गठन शान्ति के समय भारत के पश्चिम की भू-सीमाओं की रक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए किया गया है।

यह संघीय सरकार की एक एजेन्सी है जो गृह मंत्रालय के आधीन है। सीमा सुरक्षा बल के अफसरों का अपना केडर है। इसके मुखिया को डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक) कहा जाता है, जो प्रारम्भ से ही भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। यह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्ति पर लेता है।

सीमा सुरक्षा बल का व्यापक विस्तार हुआ है। 1965 में कुछ बटालियनों से शुरु हुए इस बल में अब 186 बटालियन हैं जिसमें 2,57,363 जवान काम कर रहे हैं और इसमें वायु शाखा (एयर विंग) तथा समुद्री शाखा (मेरीन विंग) और पुप्तचर शाखा (इन्टेलिजेन्स विंग) शामिल हैं। वर्तमान में यह सीमाओं की रक्षा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा बल है। सीमा सुरक्षा बल ने 1971 की लड़ाई के समय से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनमें आपरेशन ब्ल्यू स्टार और आपरेशन ब्लैक थंडर शामिल हैं। इसने जम्मू कश्मीर में भी अलगाववाद विरोधी गतिविधियों को चलाया है।

6.2.2 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्ष बल का गठन भारत की संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत 10 मार्च 1969 को 2800 जवानों के साथ हुआ था। बाद में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को संसद द्वारा 15 जून 1983 को एक अन्य अधिनियम पारित करके भारतीय गणतंत्र का एक अर्द्ध सैनिक बल बना दिया गया। वर्तमान में इसके जवानों की संख्या 1,44,418 है। अप्रैल 2017 में सरकार ने इसके संख्या बल को 1,45,000 से बढ़ा कर 1,80,000 कर दिया है। यह बल सीधे गृह मंत्रालय के आधीन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 300 औद्योगिक इकाईयों, ढाँचा विकास की सरकारी परियोजनाओं और पूरे भारत में स्थित सरकारी इमारतों को सुरक्षा प्रदान करता है। केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा परमाणु ऊर्जा संयत्रों, अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानों, टकसालों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, प्रमुख बन्दरगाहों, भारी यान्त्रिकी, स्टील संयत्र, बैराजों, उर्वरक इकाईयों, हवाई अड्डों और हाइड्रोइलेक्ट्रिक तथा तापीय विद्युत संयत्रों, केन्द्रीय सार्वजनिक संस्थानों तथा करेंसी नोट छापने वाली प्रेसों की रक्षा की जाती है। अत: यह पूरे देश में फैले हुए प्रतिष्ठानों की अलग-अलग क्षेत्रों और मौसमों में सुरक्षा का दायित्व संभालता है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राइवेट उद्योगों तथा भारतीय सरकार के आधीन अन्य संगठनों को परामर्शक सेवाएं भी प्रदान करता है। इसकी परामर्श शाखा के ग्राहकों में भारत के प्रसिद्ध औद्योगिक घराने और संगठन शामिल हैं जैसे टिस्को, जमशेदपुर, सेबी मुख्यालय, मुम्बई

विधान सभा, बैंगलुरु, उड़ीसा माईनिंग कम्पनी, भुवनेश्वर, तेलंगाना विधान सभा, हैदराबाद; बैंगलोर मेट्रोपालिटन ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन, एच.आई.एल., केरल, आई.बी. थर्मल प्लांट, ओडिसा; आई.ए.आर.आई., दिल्ली, एन.बी.आर.आई., लखनऊ और इलेक्ट्रानिक सिटी, बेंगलुरु।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की परामर्शक सेवाओं में 'सुरक्षा सम्बन्धी परामर्श' और 'अग्नि सुरक्षा परामर्श' शामिल हैं।

भारत के अर्द्ध सैनिक बलों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) एक अनूठा बल है, जो जल मार्गों, वायु सेवाओं तथा भारत के प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए काम करता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कुछ बटालियनें आरक्षित हैं जो राज्य पुलिस के साथ मिलकर कानून-व्यवस्था की रक्षा के लिए काम करती हैं। (CISF) बल आपदा प्रबन्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम के लिए जवानों को हैदराबाद के एन.आई.एस.ए. (NISA) में प्रशिक्षण दिया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक अनूठी बात यह है कि जहाँ भी यह बल तैनात है वहां इसके पास एक अग्निशमन शाखा होती है जो आग लगने पर सहायता प्रदान करती है।

6.2.3 केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CISF) भारत के केन्द्रीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत काम करता है। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल की मूल भूमिका राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अलगाव विरोधी कार्रवाई करना है। यह बल 27 जुलाई 1939 को क्राऊन रिप्रजेन्टेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 दिसम्बर 1949 के अधिनियम के लागू होने पर यह बल केन्द्रीय रिज़र्व सुरक्षा बल बन गया।

कानून-व्यवस्था तथा अलगाव विरोधी कार्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने भारत के आम चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सभी संसदीय चुनावों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों ने लगातार प्रमुख भूमिका निभाई है। इन दिनों केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ियों को संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में भी तैनात किया जा रहा है।

239 बटालियनों तथा अन्य संस्थापनाओं के साथ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भारत का सबसे बड़ा अर्द्ध सैनिक बल माना जाता है, जिसमें 3,13,678 जवानों की संख्या स्वीकृत है। आजकल यह भारत के प्रत्येक भाग में आन्तरिक सुरक्षा की देखभाल कर रहा है और विदेशों में भी भारतीय शान्ति सेना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति प्रयासों के एक अंग के रूप में इसको शामिल किया गया है। यइ अतिविशिष्ट लोगों की सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा नक्सल विरोधी कार्रवाईयों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ निभा रहा है।

रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) – यह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की विशेष 10 बटालियनों से बना एक बल है। इसका गठन अक्तूबर 1992 में साम्प्रदायिक दंगों और घरेलू अशान्ति से निपटने के लिए किया था। बटालियनों की क्रम संख्या 99 से 108 तक है। रैपिड एक्शन फोर्स संकट की स्थिति में न्यूनतम समय में पहुंचती है और आम जनता में सुरक्षा और विश्वास पैदा करती है।

संसदीय ड्यूटी समूह (पी.डी.जी.) – यह समूह (CRPF) बल की इकाई है जो संसद भवन को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की विभिन्न इकाईयों से जवान लिए जाते हैं। संसदीय ड्यूटी समूह को परमाणु तथा जैव-रसायन हमलों से लड़ने, बचाव कार्यों तथा व्यवहारिक प्रबन्धन में प्रशिक्षत किया जाता है।

दृढ़ कार्रवाई करने वाले कमाण्डो 'कोबरा' :

2008 में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल में भारत में चल रहे नक्सली आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए 'कमाण्डो बटालियन फार रिज़ल्यूट एक्शन' को जोड़ा गया था। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की यह विशेषज्ञ इकाई देश के कुछ बलों में से एक है जिसे विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इस विशिष्ट इकाई को छोटे नक्सली समूहों को खोजने और समाप्त करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। इस समय 10 कोबरा इकाईयां हैं। 2008 से 2011 के बीच गठित इन दस इकाईयों को छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश के साथ-साथ असम और मेघालय के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। यह देश का सर्वोत्तम केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो जंगलों में लड़ने, जीतने और जीवित बने रहने के लिए प्रशिक्षित होता है।

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल रैंक	पुलिस रैंक
डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक) (भारतीय पुलिस सेवा का सर्वोच्च पद)	राज्य पुलिस का महानिदेशक
स्पेशल डायरेक्टर जनरल (विशेष महानिदेशक) (एच.ए.जी. भारतीय पुलिस सेवा का स्केल)	स्पेशल डायरेक्टर जनरल (विशेष महानिदेशक)
अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल (एच.ए.जी., भारतीय पुलिस सेवा का स्केल जो सीमा सुरक्षा बल में उपलब्ध है)	सी.पी., ए.डी.जी.
इन्सपेक्टर जनरल	इन्सपेक्टर जनरल/ संयुक्त पुलिस आयुक्त
उप महानिरीक्षक (DIG)	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/DIG
कमाण्डेण्ट (सी.ओ.)	एस.एस.पी./उप पुलिस आयुक्त
सेकेन्ड इन कमाण्ड (डी.सी.)	एस.पी./उप पुलिस आयुक्त
डिप्टी कमाण्डेण्ट	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त उप पुलिस आयुक्त
असिस्टेंट कमाण्डेण्ट (AC) (राजपत्रित अधिकारी)	उप पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त उप पुलिस आयुक्त

6.2.4 इन्डो तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

1962 में हुए भारत चीन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल अधिनियम के अन्तर्गत इसका गठन 24 अक्तूबर 1962 को किया गया था। इस बल का गठन चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ लगने वाली भारतीय सीमा पर तैनात करने के लिए किया गया था।

सितम्बर 1996 में भारत की संसद ने 'इन्डो तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992' को लागू किया ताकि भारत की सीमाओं तथा उससे जुड़े मसलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आई.टी.बी.पी. का पहला मुखिया 'इन्सपेक्टर जनरल' बलबीर सिंह को बनाया गया जो इन्टेलिजेन्स ब्यूरो में पुलिस आफिसर थे। 4 बटालियनों से शुरु हुए आई.टी.बी.पी. (ITBP) का 1978 में पुनर्गठन किया गया और इसका विस्तार करके 2017 में इसकी 56 बटालियन बनायी गई, जिसकी स्वीकृत जवान संख्या 89,432 है।

आई.टी.बी.पी. को आपदा प्रबन्धन, परमाणु, जैविक और रसायनिक संकटों से निपटने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। आई.टी.बी.पी. के जवानों को संयुक्त राष्ट्र के शान्ति प्रयासों में बोस्निया और हर्जेगोबिना, कासोवो, सियरा, लियोन, हैती, पश्चिमी सहारा, सूडान, अफगानिस्तान एवं अन्य विदेशी ठिकानों पर तैनात किया गया।

6.2.5 सशस्त्र सीमा बल (SSB)

सशस्त्र सीमा बल भारत के केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। वर्तमान में यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में काम कर रहा है। 2001 से पहले इस बल को विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2017 में इसकी 67 बटालियनों में संख्या बल 76,377 है।

विशेष सेवा ब्यूरो की पिछली भूमिका भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या को शान्ति और युद्ध के समय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रेरित और एकजुट करना था जिससे राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों में भाईचारे और सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। इसकी वर्तमान भूमिका में सीमा पार के अपराधों और तस्करी के साथ-साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकना शामिल है।

सौंपे गए इस कार्य को पूरा करने के लिए विशेष सेवा ब्यूरो को 1973 के 'सी.पी.सी.'; '1959 के शस्त्र अधिनियम', 1985 के 'एन.डी.पी.एस. अधिनियम' तथा 1987 के 'पासपोर्ट अधिनियम' के अन्तर्गत कुछ विशेष शाक्तियां प्रदान की गई। भारत सरकार 1962 के आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस बल में कुछ अतिरिक्त शाक्तियां देने के बारे में सोच रही है। इन शक्तियों का प्रयोग इन्डो-नेपाल और इन्डो भूटान के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिकिक्म, असम और अरुणाचल प्रदेश की लगती सीमाओं की 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में अथवा विशेष सेवा ब्यूरो की कार्रवाईयों के अन्य क्षेत्रों में किया गया है।

पाठगत प्रश्न 6.1

1. अर्द्ध सैनिक बलों का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए।
2. भारत के सबसे पुराने अर्द्ध-सैनिक बल का नाम लिखिए।
3. आठ अर्द्ध सैनिक बलों का वर्णन कीजिए।
4. कोबरा (COBRA) का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

6.2.6 भारतीय तट रक्षक

भारतीय तट रक्षक भारत के समुद्री हितों की रक्षा करते हैं तथा भारत के समुद्री क्षेत्राधिकार क्षेत्र, इसके साथ जुड़े क्षेत्रों तथा विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र में समुद्र से सम्बन्धित कानूनों का पालन करवाते हैं। भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना भारत की संसद द्वारा 1978 में पारित 'तट रक्षक अधि नियम' के अन्तर्गत 18 अगस्त 1978 को एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में हुई थी। भारतीय तट रक्षकों के मिशन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं।

1. कृत्रिम द्वीपों, तटीय टर्मिनिल्स, तथा अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं बचाव करना
2. समुद्र में मछुआरों तथा नाविकों को रक्षा तथा सहायता करना
3. प्रदूषण नियन्त्रण के साथ समुद्र की पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण
4. तस्कर विरोधी गतिविधियों में आबकारी विभाग एवं अन्य अधिकारियों को सहायता करना
5. अंतरराष्ट्रीय समुद्रों एवं क्षेत्रीय समुद्रों में कानून लागू करना
6. वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना और इस कार्य में सहयोग देना
7. युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय रक्षा

इसके अतिरिक्त दायित्य हैं-

1. तटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC)
2. राष्ट्रीय समुद्री शोध और बचाव समन्वय प्राधिकरण (NHSARCA)
3. प्रमुख गुप्तचर एजेन्सी (LIA)
4. तटीय क्षेत्र की सुरक्षा

भारतीय तट रक्षक संगठन का मुखिया डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक) होता है जो नई दिल्ली में स्थित तट रक्षक मुख्यालय में बैठता है। तट रक्षक मुख्यालय में इन्सपेक्टर जरनल रैंक के चार डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं तथा अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी विभिन्न डिवीजनों के मुखिया के रुप में उसकी सहायता करते हैं। भारतीय तट रक्षक का डायरेक्टर जनरल का पद भारतीय नौ सेना के वाईस एडमिरल के पद के बराबर होता है।

क्रियाकलाप 6.1

भारतीय तट रक्षक बल के वर्तमान डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक) का नाम खोजिये और उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में दो पंक्तियां लिखिए।

भारतीय तट रक्षक पाँच क्षेत्रों में कार्य करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का मुखिया 'इन्सपेक्टर जनरल' रैंक का एक अधिकारी होता है। प्रत्येक क्षेत्र को आगे अनेक जिलों में विभाजित किया जाता है जिनमें कोई तटीय राज्य अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र सम्मिलित होता है।

भारतीय तट रक्षक रैंक	**भारतीय नौ सेना रैंक**
डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक)	वाईस एडमिरल
विशेष महानिदेशक	वाईस एडमिरल
अतिरिक्त महानिदेशक	वाईस एडमिरल
इन्सपेक्टर जनरल (महानिरीक्षक)	रीयर एडमिरल
उप-महानिरीक्षक	कमोडोर
कमाण्डेण्ट	कैप्टन
कमाण्डेण्ट (जूनियर ग्रेड)	कमाण्डर
डिप्टी कमाण्डेण्ट	ले. कमाण्डर
सहायक कमाण्डेण्ट (दो वर्ष की सेवा)	लेफ्टीनेण्ट
सहायक कमाण्डेण्ट	सब लेफ्टीनेण्ट

6.2.7 स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स (SFF)

स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स 14 नवम्बर 1962 को गठित किया गया एक अर्द्ध सैनिक बल है। इसका मूल लक्ष्य चीन-भारत में पुन: युद्ध होने की स्थिति में चीनी सीमा के पीछे जा कर गुप्त कार्यवाहियाँ करना था। इस बल का गठन सीधे प्रधानमंत्री की देखरेख में आई.बी. (IB) और बाद में रॉ (RAW) की कार्यात्मक कमाण्ड में हुआ था और इसे स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स का नाम दिया गया। इसको मूल रुप से चीन के साथ की नियन्त्रण रेखा से जुड़ी गुप्त सूचनाएँ एकत्रित करना और कमाण्डो कार्यवाही करना था। SFC को 'स्थापना 22' या केवल '22' कहा जाता था क्योंकि इसके पहले इन्सपेक्टर जनरल भारतीय सेना के सुजान सिंह उबान (सेवा निवृत); द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 22 माऊन्टेन रेजीमेण्ट के कमाण्डर हुआ करते थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रख्यात मिलिट्री क्रास प्राप्त अधिकारी थे। सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में 22 माऊन्टेन रेजीमेण्ट का नेतृत्व किया था और उत्तर अफ्रीका में लांग रेंज डेजर्ट ग्रुप स्कावड्रन का नेतृत्व किया था।

उत्तराखंड के चकराता में स्थित यह बल सीधे इन्टेलीजेन्स ब्यूरो (IB) के आधीन रखा गया और बाद में इसको बाहरी गुप्तचर एजेन्सी रॉ के आधीन रखा गया।

पाठगत प्रश्न 6.2

1. भारतीय तट रक्षक के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए।
2. 'स्थापना 22' का क्या अभिप्राय है? इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए।

आपने क्या सीखा

- भारतीय अर्द्ध सेना बल का सम्बन्ध ऐसे तीन संगठनों से है जो भारतीय सशस्त्र बलों की सहायता करते हैं। पहले यह पदनाम आठ बलों के लिए प्रयुक्त होता था। 1) आसाम राईफ्लस, 2) स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स, 3) भारतीय तट रक्षक, 4) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, 5) सीमा सुरक्षा बल, 6) भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, 7) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 8) सशस्त्र सीमा बल। आजकल अन्तिम छः बलों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है।
- आसाम राईफल्स भारत का सबसे पुराना अर्द्ध सैनिक बल है। सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल औद्योगिक इकाईयों, सरकारी ढांचों तथा परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल गृह मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को चीन के स्वायत क्षेत्र की सीमा के साथ तैनात करने के लिए गठित किया गया था। सीमा सशस्त्र बल गृह मंत्रालय के आधीन है और इसका लक्ष्य भारतीय सीमा के लोगों को राष्ट्रीय एकता के लिए आन्दोलित करना तथा भाईचारे और सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना था।
- भारतीय तट रक्षक नौ सेना के साथ मिल कर उसके सहयोग से कृत्रिम द्वीपों, मछुआरों और नाविकों की रक्षा करते हैं। स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स को चीन के साथ दोबारा युद्ध होने की स्थिति में चीन की सीमा के पीछे रह कर गुप्त कार्रवाईयाँ करने का काम सौंपा गया है।

पाठान्त प्रश्न

1. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्यों और संगठन की व्याख्या कीजिए।
2. सीमा सुरक्षा बल के कार्य स्पष्ट कीजिए।
3. केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के कार्यों तथा रैंकों के ढांचे की व्याख्या कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

6.1 1. अर्द्ध सैनिक बल आधे सेना बल होते हैं जिनका संगठन ढाँचा, युक्तियाँ, प्रशिक्षण, उप-संस्कृति और कार्य प्रायः व्यवसायिक सेना की भाँति होते हैं लेकिन जिन्हें राज्य की औपचारिक सेना में शामिल नहीं किया जाता।

2. आसाम राईफल्स भारत का सबसे पुराना अर्द्ध सैनिक बल है जिसे 1835 में गठित किया गया था।

3. आठ अर्द्ध सैनिक बल इस प्रकार हैं–

क) आसाम राईफल्स, ख) स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स, ग) भारतीय तट रक्षक, घ) केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, ड.) सीमा सुरक्षा बल, च) भारत–तिब्बत सीमा बल, छ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ज) सशस्त्र सीमा बल

4. कमाण्डो बटालियन फार रिजोल्यूट एकशन (COBRA)

6.2 1. तट रक्षकों के विभिन्न कार्य

- कृत्रिम द्वीपों, तटीय टर्मिनलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और रक्षा
- समुद्र में मछुआरों और नाविकों की रक्षा और सहायता करना
- प्रदूषण नियन्त्रण सहित समुद्री पारिस्थितिकीय और पर्यावरण का संरक्षण और रक्षा
- तस्करी विरोधी कार्रवाईयों में आबकारी विभाग एवं अन्य अधिकारियों की सहायता करना
- क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समुद्रों में समुद्री कानून लागू करना
- वैज्ञानिक आंकडे एकत्र करना और सहयोग करना
- युद्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा

2. स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स को 'स्थापना 22' अथवा केवल '22' कहा जाता है क्योंकि इसके पहले इन्सपेक्टर जनरल (IG) भारतीय सेना के मेजर जनरल सुजान सिंह उबान (से.नि.) थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में 22 माऊन्टेन रेजीमेण्ट के कमाण्डर हुआ करते थे तथा ब्रिटिश भारतीय सेना के प्रख्यात अधिकारी एवं मिलिट्री क्रास प्राप्त सेना अधिकारी थे।

374hn07

7

भू-रणनीति

पिछले अध्यायों में आपने सैन्य अध्ययन के विकास और इसकी प्रासंगिकता के बारे में जाना। आपने भारतीय सेना के ढांचे और भूमिका को भी अवश्य समझ लिया होगा। वास्तव में शक्तिशाली सेना की आवश्यकता एक ऐतिहासिक तथ्य है। प्राचीन से मध्यकाल और आधुनिक काल तक साम्राज्यों के लिए शक्तिशाली सेनाएं रखना एक मजबूरी थी ताकि वे अन्य क्षेत्रों को कब्ज़े में लेकर अपने साम्राज्य के विस्तार के लक्ष्य को पूरा कर सकें।

आजकल इस लक्ष्य को विभिन्न रणनीतियों जैसे अपनी आर्थिक शक्ति और रक्षा को मजबूत करके प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों के साथ सन्धियां और समझौते करता है। प्रश्न यह उठता है कि यह तब और अब कैसे सम्भव होता? कौन से कारक सेनाओं को मजबूत बनाए रखने में सहायता करते हैं? राष्ट्रीय शक्ति और रणनीतियों के महत्व को जाने बिना इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सकते हैं। भारत के प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक सम्भावनाएं क्या हैं? और ये सेना को मजबूत करने में किस प्रकार सहायक हैं?

अब भू-रणनीति का अर्थ समझना और यह जानना आवश्यक है कि भारत के भू-राजनीतिक लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- भू-रणनीति के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत की सम्भावित राष्ट्रीय शक्ति को पहचान सकेंगे;
- देश की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कर सकेंगे।

7.1 भू-रणनीति क्या है?

जैसा कि आप देख सके हैं कि 'भू-रणनीति' दो शब्दों भूगोल और रणनीति के मेल से बना है। 'भूगोल' की विषय वस्तु भूमि का उसकी भौतिक विशेषताओं, जनसंख्या वितरण,भू-उपयोग

टिप्पणी

तथा देश के आर्थिक संसाधनों के आधार पर वर्णन करना है। दूसरी ओर रणनीति राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक सोची-समझी योजना होती है।

भूगोल : पृथ्वी का इसकी भौतिक विशेषताओं, जनसंख्या वितरण, भू-उपयोग और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्णन।

रणनीति : राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की सोची समझी योजना।

इसका अर्थ है कि भौगोलिक घटक रणनीति के अनिवार्य निर्धारक होते हैं। इस खण्ड में आप पढेंगे कि भूगोल और रणनीति के मेल ने किस प्रकार भारत की रक्षा रणनीति के विकास में अपनी भूमिका निभाई?

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यह समझना आवश्यक है कि 'रणनीति निर्धारण' के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं परन्तु इससे पूर्व आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भूगोल के कई उप-क्षेत्र हैं जैसे मानव भूगोल जो लोगों और उनके समुदायों से तथा आर्थिक भूगोल जो देश की आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों के वितरण से सम्बन्धित होते हैं। हालांकि हम यहां भूगोल के रणनीतिक पक्ष के बारे में ही बात करेंगे, जिसको भू-रणनीति कहा जाता है।

भूगोल का उप-क्षेत्र राज्य के कल्याण एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों के नियन्त्रण और आकलन का अध्ययन है। रणनीति को प्रभावित करने वाले भूमि, जनसंख्या वितरण और प्राकृतिक संसाधन जैसे अनेक भौगोलिक घटक हैं। आईए, हम इन पर चर्चा करें।

7.1.1 भूमि

भूमि को भौतिक भूगोल अथवा प्राकृतिक भूगोल के रुप में परिभाषित किया जाता है। बड़े भू-क्षेत्र पर अधिकार होना किसी देश की शक्ति को निर्धारित करता है। प्रत्येक देश का भू-आकार और विस्तार अलग-अलग होता है। प्रत्येक देश के भू-लक्षण जैसे-पहाड़ियाँ, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ और जंगल अलग होते हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, इसके प्राकृतिक भूगोल को कम से कम निम्नलिखित चार पक्षों में बांटा जाता है-

क) उत्तर में पर्वत; विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र और कम पर्वतीय क्षेत्र-जैसे राजस्थान में अरावली, विन्ध्यांचल, पश्चिमी और पूर्वी घाट, नीलगिरी अथवा नीले पर्वत एवं अन्य।

ख) उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र जिसे भारत-गंगा का मैदान कहा जाता है।

ग) दक्षिण का पठारी क्षेत्र- भारत गंगा मैदान से लेकर पश्चिमी और पूर्वी घाट तक फैला हुआ। दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है।

घ) भारत के द्वीप - भारत का पूरा तटीय क्षेत्र 7516 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात का तटीय क्षेत्र सबसे बड़ा है और दूसरे स्थान पर पूर्व में आन्ध्र प्रदेश की तटीय रेखा है। भारतीय सीमा क्षेत्र में 200 से अधिक द्वीप हैं जिनमें भारत के पूर्व में स्थित अंडमान और निकोबार तथा पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप सम्मिलित हैं।

टिप्पणी

7.1.2 जनसांख्यिकी और संस्कृति

भारत विश्व में सघन आबादी वाले देशों में से एक है। 120 करोड की जनसंख्या के साथ यह विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है। इसकी कुल जनसंख्या अमरीका और रूस की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप से भी अधिक है। सैन्य परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के क्या लाभ हैं?

- पहला यह कि यह जनसंख्या भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए आवश्यक मानव शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार की मानव शक्ति संकट काल में देश के लिए मजबूत रिज़र्व का काम करती है।
- दूसरा यह जनसंख्या देश की कृषि, विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन के लिए भी एक संसाधन होती है
- तीसरा भारत में युवा जनसंख्या का संकेन्द्रण है। भारत की लगभग 42% जनसंख्या 15 वर्ष से कम आयु की है और केवल 12% जनसंख्या 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा जनसंख्या देश के कार्यबल को बढ़ाती है और देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है।

भारत की विविधता का एक अन्य लाभ यह है कि विश्व में किसी अन्य देश के पास भाषा, बोली, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में भारत जैसी विविधता नहीं है। भारत में हिन्दू, इस्लाम और ईसाइयत प्रमुख धर्म हैं। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई जनसंख्या के साथ हमारे देश में सिक्ख, जैन और बौद्ध भी हैं। भारत बहुत सी बोलियों और भाषाओं का घर है। यहां लगभग 845 बोलियाँ बोली जाती हैं।

हालाँकि भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत 22 प्रमुख भाषाएं हैं। धर्म, रीति-रिवाजों, भाषाओं और जातियों में ये अन्तर लोगों का विभिन्न जातीय और वंश समूहों से सम्बन्ध रखने का परिणाम है। भूमि और जनसांख्यिक संसाधनों में विविधता को लोग अपने हित में प्रयोग करते हैं।

आइए, हम देखें कि हमारे देश के पास कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं? अगले कुछ खण्ड इसको स्पष्ट करेंगे-

पाठगत प्रश्न 7.1

1. भू-रणनीति का क्या अर्थ है?
2. भूगोल के किन्हीं दो उप-क्षेत्रों के नाम लिखिए।
3. भारत के प्राकृतिक विभाजनों के नाम लिखिए।
4. भारत की तटीय रेखा की लम्बाई का माप लिखिए।
5. जनसांख्यिक संसाधनों के किन्हीं दो लाभों का वर्णन कीजिए।

टिप्पणी

7.2 ऊर्जा संसाधन और प्राकृतिक संसाधन अर्थ व्यवस्था में प्रमुख योगदान देते हैं

ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। भारत के पास ऊर्जा के अनेक संसाधन हैं जैसे : कोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी और परमाणु ऊर्जा इत्यादि। भारत के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पाद के लिए नदियों का विस्तृत जाल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जंगल और अनेक प्रकार के खनिज संसाधनों का उपहार है जिसका देश की आर्थिक शक्ति में भरपूर योगदान है। प्राकृतिक संसाधनों के उपहार से सम्पन्न देश; एक शक्तिशाली देश होता है और रक्षा सेनाओं को मजबूत रख पाने में समर्थ होता है। आइए, हम भारत के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों एवं सम्भावनाओं के बारे में जानें-

7.2.1 ऊर्जा संसाधन

देश के ऊर्जा संसाधनों को चार भागों में बाँटा जा सकता है- 1) कोयला 2) पेट्रोलियम 3) हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी 4) परमाणु शक्ति

1) कोयला अभी भी भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारत, कोयला उत्पादन में विश्व में नौवें स्थान पर है। कोयले के प्रमुख भंडार बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में हैं। क्या आप कोयले के उपभोग को जानते हैं? इसका विद्युत पैदा करने तथा स्टील और सीमेंट उद्योग में औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है।

2) पेट्रोलियम एक मूल्यवान ऊर्जा साधन है जिसमें कुछ भी बेकार नहीं जाता और इसके प्रत्येक उप-उत्पाद के अपने उपयोग हैं जैसे पेट्रोल, फ्यूल आयल, डीज़ल, स्नेहक (ल्युब्रिकेंट), ग्रीस इत्यादि। पेट्रोलियम के उप-उत्पादों के बिना सेना के तीनों अंगों की गतिशीलता रुक जाएगी और कोई आधुनिक युद्ध नहीं लड़ा जा सकेगा। वर्तमान में भारत 14.3 मिलियन टन तेल का उत्पादन करता है। भारत में इसके उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं-आसाम में डिगबोई, सिबसागर, बापापुंग, हंसपुंग, नहरकटिया और मोरन; गुजरात में कैम्बे, अंकलेश्वर और कोबाल; पंजाब में आदमपुर और जन्नोरी, उत्तर प्रदेश में उझानी। इसके अतिरिक्त अपतटीय क्षेत्रों में तेल का उत्पादन बाम्बे हाई, अरब सागर के ढांचों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर में होता है।

   तेल के नये स्त्रोतों की खोज कृष्णा, कावेरी और महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में की जा रही है। तेल के मामले में हम दूसरों पर निर्भर करते हैं और अपनी ज़रुरत का लगभग 70% अमरीका, इरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देशों से आयात करते हैं। इससे हमारी अर्थ व्यवस्था प्रभावित होती है।

3) हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर - यह शक्ति निरन्तर उपलब्ध रहती है और इसका अन्त नहीं होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध और ऊर्जा संयत्र पर हवाई हमले हो सकते हैं जिनसे अचानक बाढ़ की समस्या पैदा हो सकती है। यदि हाइड्रो शक्ति आवश्यक है तो अपने

जल संसाधनों का संरक्षण और रक्षा भी आवश्यक है। रणनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है 'पर्यावरण की सुरक्षा'।

4) परमाणु शक्ति विश्व की विनाशक और निर्माणकारी शक्ति है जो अलग- थलग भागों में प्रगति और विनाश लाने में सक्षम है। भारत के पास नई सामग्री (यूरेनियम, थोरीयम, मोन्जाईट) के साथ परमाणु ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को तारापुर, राणा प्रताप सागर, कोटा और मद्रास में कल्पक्कम में लगाया गया है।

चित्र 7.1

चित्र 7.2

चित्र 7.3
स्रोत : Commons wikimedia.org

7.3.2 प्राकृतिक संसाधन

- **नदियाँ :** जैसा कि आप जानते हैं, जल जीवन का मुख्य स्त्रोत है और भारत को कई बारहमासी नदियों का वरदान प्राप्त है। भारत में तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं। हिमालय की नदियाँ सबसे बड़े नदी तंत्र के रूप में जल का एक बड़ा संसाधन हैं। इनमें सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की लम्बाई 2000 किलोमीटर से अधिक है। इसके अतिरिक्त महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियाँ भी हैं। आप देखेंगे कि नदी तंत्र देश के लिए विद्युत उत्पादन के अच्छे साधन हैं।

क्रियाकलाप 7.1

बारहमासी और मौसमी नदियों में अन्तर ज्ञात कीजिए। अपने राज्य की कम से कम दो बारहमासी और एक मौसमी नदी का नाम लिखिए।

टिप्पणी

- **प्राकृतिक वनस्पतियाँ :** किसी स्थान की वनस्पतियों की प्रकृति वहाँ के तापमान, वर्षण, मृदा और मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। पूरे भारत में 900 मीटर से कम ऊंचाई के वर्षा क्षेत्र में वनस्पति उष्ण कटिबन्धीय मानसून प्रकार की होती है। विभिन्न क्षेत्रों में असमान वर्षा और स्थितियों कें कारण भारत में सूखे में पनपने वाली कंटक झाड़ियों से लेकर उष्ण कटिबन्धीय, सदाबहार पौधों की प्रजातियाँ होती हैं। ऊँचे हिमालय में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, जिनका क्षेत्रीय वितरण उष्ण कटिबन्धीय से लेकर अल्पाइन प्रकार का होता है। भारत में जलवायु के आधार पर भी कई क्षेत्र हैं। इनमें तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व भारत में उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन, उष्ण कटिबन्धीय घास के मैदान, अर्द्ध शुष्क, उष्ण कटिबन्धीय मरुस्थल, सूखी सर्दी के साथ आर्द्र उप-उष्ण कटिबन्धीय जलवायु और हिमालय तथा काराकोरम श्रृंखला के 6000 मीटर से ऊंची पर्वतमाला में पर्वतीय जलवायु पाई जाती है।

- **जंगल (वन) :** देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के पास इस विविध दौलत का भरपूर खजाना है। ऐसा माना जाता है कि उष्ण कटिबन्धीय जलवायु में कुल क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनों से घिरा होना चाहिए जिससे अनुकूल जलवायु की स्थिति बनी रहे। हमारे देश में वनों का वितरण असमान हैं। मुख्य रूप से ऐसा वर्षण में अनियमितता के कारण से है। भारत में वनों का क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 19% है। भारत में वनों का वितरण निम्न प्रकार से है-

1) उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र वन	-	23%
2) शुष्क पर्णपाती वन	-	29.15%
3) उष्ण कटिबन्धीय कंटीले वन	-	5.25%
4) उष्ण कटिबन्धीय सदाबहार वन	-	4.5%
5) उप-उष्ण कटिबन्धीय (पुणे)	-	3.75%
6) आर्द्र तापमान (हिमालयी)	-	2.70%
7) आर्द्र शीतोष्ण कटिबन्धीय वन	-	1.6%
8) अन्य	-	29.75%

7.2.3 खनिज संसाधन

खनिज देश के औद्योगिक विकास का आधार होते हैं। सौभाग्य से भारत में कुछ आवश्यक खनिजों का जमाव है। भारत में कोयले, लोहे के अयस्क, माइका, मैंगनीज अयस्क, मैगनेसाईट, बाक्साईट और थोरियम के विशाल भंडार हैं। कोयला पश्चिम बंगाल, ओडिसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ में पाया जाता है। जबकि ये खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और पूरे देश में वितरित हैं जबकि कुछ खनिज अपर्याप्त हैं।

पेट्रोलियम, फासफोरस, गन्धक और पोटाश देश की ज़रुरत से काफी कम हैं। इन खनिजों के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में आवश्यक खनिज संसाधनों का वितरण निम्न प्रकार से हैं-

1) लौह-अयस्क - बिहार, ओडिसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर और तमिलनाडु में पाया जाता है।

2) मैंगनीज़ - ओडिसा, कर्नाटक में पाया जाता है जिसे भारत मे धातुओं कें प्रगलन (गलाने) के लिए प्रयोग किया जाता है। रूस और घाना के बाद इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है।

3) क्रोमाईट का प्रयोग रक्षा कार्यों में किया जाता है और मुख्य रूप से यह मैसूर और ओडिसा में पाया जाता है।

4) अभ्रक (माईका) मुख्य रूप से बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसके उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है।

5) बाक्साईट अयस्क के निक्षेप (जमाव) बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिसा में पाए जाते हैं।

6) जिप्सम को सीमेन्ट और उर्वरक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है और यह मुख्य रूप से राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है।

7) युरेनियम संसाधन भी झारखंड राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे स्थानों पर पाया जाता है।

8) थोरियम का प्रयोग हथियारों के निर्माण में होता है और यह केरल में तटीय क्षेत्रों तथा राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों की चट्टानों में पाया जाता है।

9) सोना - कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में पाया जाने वाला एक अन्य मुख्य संसाधन है।

क्रियाकलाप 7.2

भारत का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भाग 7.2.3 में दी गई जानकारी का प्रयोग करते हुए मानचित्र में उन राज्यों को चिन्हित कीजिए जहां उपरोक्त 1 से 9 क्रमांक तक दिए गए खनिज पाए जाते हैं। आप भिन्न प्रकार के रंगों अथवा चिह्नों का प्रयोग कर सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 7.2

1. भारत के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए।
2. हिमालय के तीन नदी तंत्रों के नाम लिखिए।
3. भारत के विभिन्न खनिज संसाधनों के नाम लिखिए।

टिप्पणी

7.3 भू-आर्थिक और आर्थिक शक्ति

किसी देश द्वारा अपने आर्थिक संसाधनों और परिसम्पतियों का प्रयोग करके आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता को आर्थिक शक्ति कहते हैं। भू-आर्थिक व्यवस्था भूगोल और अर्थव्यवस्था का ऐसा मेल है जो किसी देश के अन्य देशों के साथ व्यापार करने के तरीकों को निर्धारित करती है। इसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें व्यापक रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है-कृषि, विनिर्माण और औद्योगिक विकास तथा सेवाएं। वास्तव में किसी देश के लिए आर्थिक विकास बहुत आवश्यक है क्योंकि किसी देश की युद्ध लड़ने की क्षमता उसकी आर्थिक शक्ति और प्रौद्योगिक श्रेष्ठता पर निर्भर करती है। आज का युद्ध प्राचीन युद्धों से बिल्कुल अलग प्रकार का है। आधुनिक युद्ध एक सकल युद्ध है, जिसमें प्राचीन धर्मयुद्ध के सभी मूल्यों को नकारा जाता है।

आधुनिक युद्धों में सफलता के लिए देश के सभी संसाधनों को झोंक दिया जाता है। उदाहरण के लिए पिछले दो विश्व युद्धों में मित्र देशों की जीत का मुख्य कारण संसाधनों में उनकी श्रेष्ठता थी, जिसने युद्ध लड़ने की क्षमता को निर्धारित किया और परिणाम स्वरूप विजय प्राप्त हुई। हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि देश को शक्तिशाली बनाने के लिए संसाधनों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे कि देश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की शक्ति का तीन प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से किस प्रकार प्रयोग किया जाता है।

7.3.1. कृषि

वह देश जो खाद्यान्नों एवं कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है उसे अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता क्योंकि वह अपने सहारे बना रह सकता है और पूरी जनसंख्या का भरण-पोषण कर सकता है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है इसकी 70% जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि है और यह देश की रीढ़ है। बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका कृषि के माध्यम से कमाते हैं। भारत में कृषि के अनेक तरीके हैं जो देश की पूरी जनसंख्या का पेट भरते हैं। गेहूं और चावल के मामले में भारत आत्म निर्भर है।

'गेहूं और चावल' के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के महत्वपूर्ण खाद्यान्न जैसे ज्वार, दालें और मक्का का उत्पादन भी किया जाता है। व्यवसायिक उद्देश्य के लिए अन्य फसलें भी पैदा की जाती है जैसे गन्ना, कपास, मुंगफली, तम्बाकू, चाय और पटसन इत्यादि। इन सबसे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इसका अभिप्राय है कि जब इन कृषि उत्पादों का निर्यात होता है तो देश में विदेशी मुद्रा आती है, जिसका प्रयोग देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

7.3.2. औद्योगिक संसाधन

पिछले वर्षों में भारत ने औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब देश में अनेक प्रकार का वस्तुओं को निर्माण किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की वस्तुएँ निर्मित करने के लिए आधुनिक कारखाने लगाए गए हैं। धातु कर्म, बिजली, रसायनिक और दवाओं के उद्योगों में विदेशी सहयोग लिया गया है। इसने भारत में आधुनिक विनिर्माण उद्योग की नींव रखी है।

भारतीय उद्योग रेलवे, समुद्री जहाज, आटोमोबाइल्स, हवाई जहाज, औद्योगिक-मशीनरी, बिजली की मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण कर रहे हैं। रसायन और कागज उद्योग ने भी स्वतंत्रता के बाद काफी उन्नति की है। जहाँ तक सेना का सम्बन्ध है, भारत देसी तकनीक से मिसाइलें, टैंक, हेलीकोप्टर, समुद्री जहाज और रक्षा में प्रयोग होने वाले अन्य हथियार बना रहा है। मुख्य रूप से ये देश भर में स्थित अनेक उद्योगों द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, हस्त दस्तकारी और इंजीनीरिंग उद्योग शामिल हैं।

7.3.3 सेवाएँ

सेवाओं को देश की आर्थिक गतिविधियों को सहायता देने वाली सेवा के रूप में समझा जा सकता है। इनमें पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, संचार, यातायात, सूचना तकनीक, वित्त और प्रबन्धन जैसी सेवाएँ शामिल होती हैं। आज भारत में 'सेवा के क्षेत्र' की, आर्थिक गतिविधियों में प्रमुख हिस्सेदारी है।

विभिन्न प्रकार की इन गतिविधियों से आर्थिक प्रगति होती है, जिससे देश की आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ती है जो देश के लिए रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में वृद्धि करती है।

पाठगत प्रश्न 7.3

1. 'आर्थिक शक्ति' पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. भारत में पैदा होनो वाली दो 'खाद्यान्न फसलों' तथा दो 'नकदी फसलों' के नाम लिखिए।
3. आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए।
4. औद्योगिक संसाधनों के कुछ उदाहरण लिखिए।
5. औद्योगिक संसाधन किस प्रकार से देश की रक्षा में सहायता करते हैं? स्पष्ट कीजिए।
6. भारत में औद्योगिक सेवाओं के कोई चार उदाहरण दीजिए।

आपने क्या सीखा

- भू-रणनीति के बारे में जानना भौगोलिक कारकों और रणनीति के बीच के सम्बन्धों को जानना है।
- भौगोलिक संसाधनों की सहायता से देश के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पाने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ बनाई जाती हैं।
- भौगोलिक संसाधन देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं।

- भारत में पर्याप्त और विविध संसाधन हैं। ये देश की आर्थिक प्रगति में सहायता करते हैं और देश की सैन्य शक्ति को व्यापक करते हैं।
- मजबूत रक्षा बलों को बनाए रखने के लिए मजबूत अर्थ व्यवस्था की ज़रूरत होती है। इसलिए भौगोलिक कारकों और रक्षा के बीच सम्बन्धों को जानना आवश्यक है।
- समझौते और सन्धियाँ भू-रणनीति के अन्य पक्ष हैं जिन्हें शान्ति, विकास और अच्छे सम्बन्धों के लिए देश आपस में करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सार्क और आसियान में भारत की भूमिका है।

अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार भू-रणनीति निर्णय निर्माण में भी सहायता करती है।

पाठान्त प्रश्न

1. भूगोल का अध्ययन किस प्रकार रणनीति को समझने में सहायता करता है? स्पष्ट कीजिए।
2. भारत के विभिन्न प्राकृतिक संसाधन लिखिए।
3. स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भू-रणनीति देश की रक्षा में सहायता करती है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

7.1 1. भू-रणनीति पृथ्वी के भौतिक लक्षणों और प्राकृतिक संसाधनों को सोची-समझी योजना के अनुरूप प्रयोग करके राज्य के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की नीति होती है।

2. मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल

3. पर्वत, मैदान, पठारी क्षेत्र और दक्षिण के द्वीप

4. 7516 किलोमीटर

5. यह सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौ सेना और वायु सेना को मानव शक्ति प्रदान करते हैं। यह आर्थिक गतिविधि का अच्छा स्त्रोत हैं।

7.2 1. कोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी और परमाणु शक्ति

2. सिन्ध, गंगा और ब्रहमपुत्र

3. लौह अयस्क, क्रोमियम, बाक्साईट, कोयला, यूरेनियम, थोरियम, अभ्रक और जिप्सम

7.3 1. किसी देश की आर्थिक शक्ति, अपने आर्थिक संसाधनों और परिसम्पतियों का आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयोग करना होता है।

टिप्पणी

2. खाद्यान्न फसलें - चावल, ज्वार, दालें और मक्का नकद फसलें - कपास, चाय, काफी, गन्ना, तम्बाकू
3. कृषि, औद्योगिक संसाधन और सेवाएं
4. रेलवे उपकरण, समुद्री जहाज निर्माण, आटोमोबाइल्स, एयर क्राफट, औद्योगिक मशीनरी, बिजली मशीनरी और उपकरण, रसायनिक और कागज उद्योग
5. यह रक्षा उपकरणों जैसे मिसाइलें, टैंक, जहाज, एयर क्राफट और रक्षा सम्बन्धी अन्य उपकरणों के विनिर्माण में सहायता करता है।
6. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, परमाणु शक्ति, कोयला, सूर्य की ऊर्जा
7. पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल, संचार, यातायात, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और प्रबन्धन।

टिप्पणी

374hn08

8

भू-राजनीति

अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध किसी एक देश के दूसरे देशों के साथ सम्बन्धों का वर्णन करते हैं। दो देशों के बीच के सम्बन्ध अर्थव्यवस्था, सेना, कानून, पर्यावरण इत्यादि विषयों पर उनके आपसी व्यवहार के स्तर पर आधारित होते हैं। दो या उससे अधिक देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारस्परिक और बहुआयामी सम्बन्ध हो सकते हैं।

आपसी सम्बन्धों का प्रकार देशों के आपसी सम्बन्धों और लाभों पर निर्भर करता है। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भारत की स्थिति केन्द्रीय है और भू-राजनीति इस क्षेत्र के देशों के बीच आपसी सम्बन्धों को निर्धारित करती है। भूमि, अवस्थिति, क्षेत्र एवं अन्य भौगोलिक कारकों ने राजनीतिक निर्णयों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। आप जानेंगे कि भौगोलिक कारण राजनीतिक निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की अवस्थिति तथा उनकी सैन्य एवं सांस्कृतिक शक्ति को समझने के बाद, आप सभी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये जाने की आवश्यकता को समझ पाएंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- भू-राजनीति का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे;
- भारत के पडोसियों को जान पाएंगे तथा देशों के शक्ति सामर्थ्य के बीच अन्तर पहचान सकेंगे;
- सन्धियों और गठबन्धनों के बीच अन्तर कर पाएंगे तथा उसके महत्व को जान सकेंगे;
- भारत और इसके पड़ोसियों के बीच सम्बन्धों के रणनीतिक क्षेत्रों का वर्णन कर सकेंगे;
- भारत की पंचशील और गुट निरपेक्ष नीति का वर्णन कर सकेंगे।

8.1 भू-राजनीति क्या है?

इससे पहले कि हम भारत के, अपने पड़ोसी देशों के साथ, सम्बन्धों पर चर्चा करें हमें भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों के अर्थ को समझना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने

भारत के भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा है। किसी देश की अवस्थिति निर्धारित करती है कि उस देश को अपनी रक्षा के लिए सेना के रूप में किस तरह तैयार रहना है। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अवस्थिति का प्रयोग करके पड़ोसी देशों तथा दूर दराज के क्षेत्रों को समुद्रों पर नियन्त्रण के माध्यम से उपनिवेश बना कर प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रित किया।

भारत के मामले में भी इसके भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों ने इसके शक्ति सामर्थ्य को तथा इस शक्ति का प्रयोग करके पड़ोसी और दूर-दराज के देशों के साथ सम्बन्धों के निर्माण को निर्धारित किया। दूसरे शब्दों में जैसे राजनीति, शक्ति का अध्ययन है वैसे ही भू-राजनीति, देशों के बीच के सम्बन्धों पर भूगोल के प्रभावों का अध्ययन है।

8.2 भारत के पड़ोसी

भारत दक्षिण एशिया के केन्द्र में अवस्थित है और वह छोटे देशों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के आकार के कारण हम इस को भारतीय उप-महाद्वीप कहते हैं।

इतिहास बताता है कि यह पूरा क्षेत्र भारत के प्रभाव में था। उदाहरण के लिए आज के पाकिस्तान और बंगलादेश भारत के ही अंग थे। इसी प्रकार दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देश जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव कभी न कभी भारत के प्रभाव में रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश का उपनिवेश बनने के बाद क्षेत्र के राजनीतिक और भौगोलिक लक्षणों में परिवर्तन हुए।

भारत की स्वतंत्रता से पाकिस्तान अलग हो गया है और 1971 में बंगलादेश बना। आज दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आठ देश आते हैं। ये हैं : अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, म्यान्मार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमाएँ लगती हैं। चीन की बहुत बड़ी सीमा भारत को स्पर्श करती है परन्तु भू-राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चीन को दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता।

भारत की सबसे लम्बी सीमा बंगलादेश के साथ लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। भारत की 699 कि.मी. लम्बी सीमा भूटान के साथ 3323 कि.मी. (नियन्त्रण रेखा सहित) पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर राज्यों में पाकिस्तान को स्पर्श करती है। तिब्बत की सीमा भारत के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणांचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के साथ स्पर्श करती है।

8.2.1 भारत की शक्ति

सभी देशों के पास शक्ति के रूप में प्रयोग करने के लिए संसाधन हैं। अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों का अर्थ है कि किस प्रकार कोई एक देश किस दूसरे देश को अपना मनचाहा काम करवाने के लिए प्रभावित कर सकता है। किसी देश की शक्ति को उसकी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति के रुप में परिभाषित किया जाता है। हाई पावर को सैन्य शक्ति कहते हैं तथा साफ्ट पावर का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था और संस्कृति।

टिप्पणी

8.2.2. सांस्कृतिक शक्ति (साफ्ट पावर)

भारत के पास साफ्ट पावर के अनेक संसाधन हैं। यह अपनी साफ्ट पावर को बनाए रखने में गहरी रूचि रखता है। साफ्ट पावर में योग, भारतीय कलाओं, हस्त शिल्प, संगीत और सामान्य रूप से संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। बालीवुड की फिल्में कई देशों में लोकप्रिय हैं। भारत की क्रिकेट और हाकी भी प्रसिद्ध है। संगीत से लेकर फुटबाल और व्यंजनों में विविधता ने पश्चिम को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत का विदेश मंत्रालय अपनी साफ्ट पावर का प्रयोग करने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (ICCR) विभिन्न तरीकों से विदेशी सम्बन्धों को सुदृढ; करने में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय एवं अन्य सरकारी एजेन्सियां भी भारत की साफ्ट पावर को प्रयोग करने मे लगी हुई हैं।

साफ्ट पावर, देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को प्रयोग करने को कहते हैं जिसका प्रयोग करके दूसरे देशों से सैन्य शक्ति का प्रयोग किए बिना मनचाहा काम करवाया जा सकता है।

भारत अपनी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकत को विदेशों में विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाता रहा है। अपने पड़ोस से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए इसने विभिन्न अवसरों पर अपना सहयोग दिया है।

उदाहरण के लिए 2015 में नेपाल में आए भूकम्प के बाद भारत के गृह मंत्रालय ने सहायता करने के लिए भारतीय सेना के जवानों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन बल को भेजा था। इस कार्यवाही को 'मैत्री' नाम दिया गया था। भारतीय वायु सेना ने एडवान्सड लाईट हेलीकाप्टर्स MI-17 तथा अन्य जहाजों को राहत सामग्री पहुँचाने तथा बचाव कार्यों में सहायता देने के लिए प्रयोग किया। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और पुनर्निमाण में सहयोग देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्रीय देश भारत है।

इसी प्रकार चक्रवात से पीड़ित श्रीलंका हो या बंगलादेश, भारत सरकार ने अपनी साफ्ट और हार्ड पावर का प्रयोग करके प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को बचाने का काम किया तथा समय-समय पर राहत सामग्री भेजी। श्रीलंका में भारत की भूमिका से सभी परिचित हैं। श्रीलंका के गृह युद्ध के समय भारत ने शान्ति सेना भेजी तथा शरणर्थियों को आवास देने के लिए 50 हजार घरों का निर्माण किया।

इसके साथ ही पड़ोसी देशों में हिन्दुओं, इस्लाम और बौद्ध धर्म के प्रभाव को भी भूला नहीं जा सकता। स्वदेशी लोग हमारी साफ्ट पावर को सुदृढ़ करते हैं। श्रीलंका और सिंगापुर के तमिल भाषी तथा बंगलादेश के बांग्ला भाषी इस प्रभाव का अच्छा उदाहरण हैं। महात्मा गांधी एवं अन्य विचारकों के विचारों ने भी कई देशों को प्रेरित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक हैं। भारत को अपने चन्द्रयान अभियान में काफी सफलता मिली है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को पूरे विश्व में सराहा जाता है और इसके खाते में अनेक सफलताएं दर्ज हैं। भारत की साफ्ट पावर केवल भारत की विदेश नीति बनाने में सहायता करती है अपितु अन्य देशों की भी भारत के प्रति नीति बनाने में सहायता करती है।

पाठगत प्रश्न 8.1

1. भू-राजनीति से क्या अभिप्राय है?
2. भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए।
3. 'साफ्ट पावर' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
4. ऑपरेशन 'मैत्री' क्यों चलाया गया?

8.2.2 हार्ड पावर (सैन्य शक्ति)

अन्य देशों की राजनीतिक इकाईयों के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करने के लिए सैन्य और आर्थिक साधनों का प्रयोग करना हार्ड पावर कहलाता है।

अन्य देशों के व्यवहार को प्रभावित और परिवर्तित करने के लिए सैन्य और आर्थिक साधनों के प्रयोग को हार्ड पावर कहते हैं।

हार्ड पावर प्राय: आक्रमक होती है और तब सबसे प्रभावशाली होती है जब इसे किसी राजनीतिक इकाई द्वारा कमजोर देश पर प्रयोग किया जाता है। भारत ने कई लड़ाईयाँ सफलतापूर्वक जीती हैं और कई सैन्य कार्यवाईयाँ भी की हैं। 1961 में आपरेशन 'विजय' के अन्तर्गत भारत ने गोवा, दमन और दियू को पुर्तगाल के शासन से मुक्त करवाया था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।

1971 में भारत ने बंगलादेश मुक्ति की लड़ाई को समर्थन दिया था। भारत ने लगभग 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को बन्दी बना लिया था। भारत ने आपरेशन 'मेघदूत' द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराया था। भारतीय सेना ने देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक सामान्य वातावरण को पुन: स्थापित किया। 1985 में आपरेशन कैकट्स के माध्यम से मालदीव में 'सरकार का शासन' पुनर्स्थापित किया।

पाठगत प्रश्न 8.2

1. 'हार्ड पावर' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. DRDO का विस्तृत रूप लिखिए।

8.3 संन्धियाँ और गठबंधन

सन्धियों और गठबन्धनों का अभिप्राय देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों से होता है। इनका अभिप्राय अच्छे और लाभकारी सम्बन्ध बनाने वाली विदेश नीति से है। भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र देश के रूप में अपने पड़ोसी और दूर के देशों के साथ निरन्तर सहयोग करता रहा है। पड़ोसी सम्बन्धों को अच्छा बनाना अति महत्वपूर्ण है जो सन्धियों और गठबन्धनों के माध्यम से मजबूत किए जाते हैं। स्थायी शान्ति और विकास लाने के लिए यह कितने महत्वपूर्ण हैं और

टिप्पणी

इनका अर्थ क्या है? आइए, हम सन्धियों और गठबन्धनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।

सन्धियाँ स्वतंत्र देशों के बीच लिखित समझौते होती हैं जो कानूनी तौर पर एक दूसरे पर बाध्यकारी होती हैं। उन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सन्धि, अन्तराष्ट्रीय पैक्ट और अंतरराष्ट्रीय सहमति इत्यादि। मूल रूप से सन्धियों के दो व्यापक वर्ग होते हैं-(1) द्विपक्षीय और (2) बहुपक्षीय। द्विपक्षीय सन्धियाँ दो देशों के बीच हस्ताक्षरित होती हैं जबकि बहुपक्षीय सन्धियां दो या उससे अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित होती हैं।

सभी सन्धियाँ कानूनी रूप से उन देशों पर बाध्यकारी होती हैं जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए हों तथा सन्धि का सदस्य बनना स्वीकार किया हो। हालांकि गठबन्धन भिन्न होते हैं। ऐसे गठबन्धन आपसी लाभ और सुरक्षा के कारणों से बनाए जाते हैं। गठबन्धन कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होते।

द्विपक्षीय सन्धियों के उदाहरण :

1) भारत-श्रीलंका सहमति

2) भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधू नदी जल सन्धि

3) भारत-रूस मैत्री सन्धि

4) परमाणुवीय सहयोग पर भारत-अमरीका सन्धि

बहुपक्षीय सन्धियों के उदाहरण :

1) साऊथ एशियन एसोसिएशन फार रीजनल कॉआपरेशन (सार्क) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

2) एसोसिएशन आफ साऊथ ईस्ट एशियाई नेशन्स (आसियान)

विश्व संगठन :

1) संयुक्त राष्ट्र संघ

2) विश्व व्यापार संगठन

3) विश्व बैंक

8.3.1 सार्क और आसियान (ASEAN)

विकास के लक्ष्य को लेकर बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से बहुपक्षीय सन्धियाँ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिन्हें विभिन्न देश दूसरे देशों के साथ सहयोग एवं सह-अस्तित्व की दृष्टि से अपनाते हैं। अपने प्रकार का पहला प्रयास दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सार्क का गठन था। दूसरा प्रयास आसियान का गठन था। आसियान दक्षिण-पूर्वी एशिया के दस देशों का संगठन है। आइए, हम इन संगठनों के बारे में विस्तार से पढ़ें-

टिप्पणी

8.3.2 सार्क (दक्षेस) SAARC

सार्क अथवा दक्षेस (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन) का गठन 8 दिसम्बर 1965 को बंगलादेश की राजधानी ढाका में हुआ था; जो एक आर्थिक और भू-राजनीतिक संगठन है। वर्तमान में आठ देश इसके सदस्य हैं। उनके नाम हैं-बंगला देश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत। अफगानिस्तान 2007 में सार्क का सदस्य बना।

सार्क का आधारभूत उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और सुरक्षा सहित अन्य सभी सामान्य पक्षों पर सहयोग के माध्यम से कल्याण को विकसित करना था। यह क्षेत्र गरीबी और सुरक्षा की समस्या से ग्रस्त है। इसलिए समस्या के समाधान हेतु क्षेत्रीय स्तर पर बहुपक्षीय सहयोग के विचार को लागू किया गया। सदस्य देशों के विभिन्न बड़े शहरों में बारी-बारी से नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

सार्क में भारत ने केन्द्रीय भूमिका निभाई है। जैसा कि आप अगले अध्याय में जानेंगे कि दक्षिण एशिया के सभी देश भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में रहे हैं। हालांकि समस्याओं को हल करने के लिए बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग स्वागत योग्य कदम है परन्तु आपको यह भी समझना चाहिए कि ऐसे कदम हमेश सफल नहीं होते। कभी-कभी राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दे सहयोग को निष्फल कर देते हैं। उदाहरण के लिए विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति युद्ध का रवैया रखना सदस्य देशों के बीच विकास और बेहतर आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की शक्ति को साकार करने में बाधक रहा है।

8.3.3 आसियान ASEAN

दक्षिण पूर्व एशिया भारत के पड़ोस में एक निकटतम क्षेत्र है जिसने सदियों तक भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव को देखा है। इस क्षेत्र के महत्व को अनुभव करते हुए तथा अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए भारत ने इस क्षेत्र के देशों के साथ निकट के सम्बन्ध बनाने की रणनीति को अपनाया है।

इस नीति को मूलत: 'पूर्व की ओर देखो' नीति कहा जाता था जिसे अब 'एक्ट ईस्ट पालिसी' (पूरब में काम करो नीति) कहा जाता है।

एसोसिएशन आफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN) का गठन 8 अगस्त 1967 को थाइलैण्ड के शहर बैंकाक में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य हैं-मलेशिया, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाईलैण्ड और फिलीपीन्स। अब इसमें इस क्षेत्र के सभी दस देश लाओस, कम्बोडिया, म्यांमार, वियतनाम और ब्रुनी शामिल हैं।

इस क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाना है। यद्यपि भारत आसियान का सदस्य नहीं है परन्तु 2002 से यह निरन्तर शिखर स्तरीय भागीदार रहा है और अब 2012 से आसियान का रणनीतिक भागीदार है। भारत आसियान देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग

टिप्पणी

निर्मित कर रहा है और आसियान के लिए एक अलग राजनयिक मिशन भी स्थापित किया है।

पाठगत प्रश्न 8.3

1. 'सन्धि' शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सन्धियों के दो-दो उदाहरण लिखिए।
3. सार्क और आसियान के सदस्यों के नाम लिखिए।

8.4 भारत और इसके पड़ोसियों के बीच के मुद्दे

भारत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति का अनुसरण करता है। हालांकि यह नीति बहुत कठिन रही है। गत दशक में अनेक बाधाएं आई जिन्होंने द्विपक्षीय सम्बन्धों को खराब किया। इस भाग में आप जानेंगे कि किस प्रकार राजनीतिक, राजनयिक, रक्षा और आर्थिक मुद्दों में यह सब घटित हुआ। पड़ोसी देशों के साथ हमारा राजनीतिक और राजनयिक सहयोग प्राय: मैत्रीपूर्ण रहा है। हालाँकि दो व्यक्तियों के बीच के सम्बन्धों की भांति देशों के बीच भी अन्तर उभर आते हैं। आइए हम प्रत्येक देश के साथ सम्बन्धों (मुद्दों) को परखें और मुद्दों को समझें।

8.4.1 बंगलादेश

1971 में भारतीय हस्तक्षेप के बाद बंगलादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद से सभी मोर्चों पर आपसी सम्बन्ध मधुर रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच सांस्कृतिक और भाषायी जुड़ाव रहा है। हालाँकि ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्होंने आपसी सम्बन्धों को प्रभावित किया है। ये हैं-

- **बंगलादेश से अवैध घुसपैठ :** भारत के लिए घुसपैठिये आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षात्मक समस्या बन चुके हैं। आर्थिक रूप से इन लोगों को भोजन, आश्रय, चिकित्सा प्रदान करनी पड़ती है परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं।
- **छिद्रात्मक सीमाएं :** छिद्रपूर्ण सीमा का अर्थ है कि सीमा पर बाड़ नहीं लगाई गई है और न ही फौज लगाई गई है। भारत की बंगला देश के साथ सबसे लम्बी सीमा है और इसमें से अधिकांश क्षेत्र नदियों का मैदानी क्षेत्र है। इसलिए उन पर बाड़ लगाना बहुत कठिन और अवैध तस्करी करना बहुत आसान है। भारत और बंगलादेश के बीच सीमा खुली होने के कारण सोना एवं अन्य चीजों की तस्करी होती है, जिससे सुरक्षा प्रभावित होती है।
- **आतंकवादी संगठन :** इन सीमावर्ती क्षेत्रों में हरकत-उल-जिहाद-उल-इस्लामी, जमाम-ए-इस्लाम जैसे संगठन सक्रिय हैं। मादक पदार्थ बेचने वाले बंगलादेश की सीमा को स्थानान्तरणीय स्थान की तरह प्रयोग करते हैं। वे बर्मा और अन्य देशों से बंगलादेश के रास्ते भारत में अफीम और हीरोइन की तस्करी करते हैं।

टिप्पणी

- सीमाई क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में नकली भारतीय नोटों को भेजा जाता है।
- सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के रास्ते बहने वाली तीस्ता नदी के पानी को आपस में सांझा करने पर अभी भी विवाद बना हुआ है।

8.4.2 पाकिस्तान

पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषायी सम्बन्ध रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सहज और मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। अनेक मुद्दों ने पड़ोसी सम्बन्धों को अच्छा नहीं होने दिया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- **कश्मीर :** यह दोनों देशों के बीच बड़ा नाजुक मामला है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के साथ भारत में विलय के बारे में एक राजनीतिक समझौता हुआ था परन्तु पाकिस्तान ने उसको स्वीकार नहीं किया और इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने तथा जबरदस्ती अपने में मिलाने के लिए उसने आक्रमणकर्ता भेजे। हमारी सेनाओं ने समय पर कार्यवाही करके उनको कब्जा करने से रोका। उस समय की कुछ राजनीतिक कार्रवाईयों के कारण कश्मीर का कुछ भाग आज भी पाकिस्तान के पास है और उसका कब्जा बना हुआ है। उन क्षेत्रों को पाक-अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तब से भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बड़ी और 1999 में कारगिल में एक छोटी लड़ाई हो चुकी है।
- **आतंकवाद :** दो देशों के बीच एक अन्य राजनीतिक मुद्दा 'आतंकवाद' है। 1947-48 के संघर्षपूर्ण कब्जा करने में असफल रहने के बाद पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध आतंकवाद को एक नीति के रूप में अपनाया है। पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी घुसपैठ करके सरकारी संगठनों और सैनिकों पर हमले करने लगे। कश्मीर घाटी में अलगाववादी संगठन बनाए गए जिन्होंने आतंकवादियों की सहायता करना शुरू किया। एक देश की दूसरे देश के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही को छद्म युद्ध कहते हैं। यह एक मुख्य मुद्दा है जो दो देशों के बीच द्विपक्षीय, राजनीतिक और धार्मिक सम्बन्धों को प्रभावित कर रहा है।
- **छद्म युद्ध :** पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए भारत विरोधी संगठनों विशेषत: कश्मीर के संगठनों को सहायता देकर छद्म युद्ध चला रहा है। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैनिक सम्बन्धों में तनाव पैदा हुआ है।

क्या आप जानते हैं

किसी देश द्वारा अपनी सेना को प्रत्यक्ष रूप से शामिल किए बिना विरोधी तत्वों और आतंकवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देकर सहायता करना, छद्म युद्ध कहलाता है।

टिप्पणी

8.4.3 म्यान्मार

भारत की म्यान्मार के साथ 1643 कि.मी. भू-सीमा और बंगाल की खाड़ी में सांझी सीमा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पहले म्यान्मार में बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे थे, जिसे तब बर्मा कहा जाता था। म्यान्मार में भारतीयों की उपस्थिति ने दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को मजबूत किया। दोनों के बीच व्यापार बढ़ा है। म्यान्मार दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। म्यान्मार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें उत्तर-पूर्व में विद्रोह से लड़ना है। हमारे सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले मुद्दे इस प्रकार हैं-

- सीमा पर बाड़ नहीं है अत: म्यांमार और उत्तर-पूर्व के विद्रोही एक गम्भीर सुरक्षा समस्या बन चुके हैं। भारत में नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम के हथियारबन्द विद्रोही म्यान्मार को सुरक्षित स्थान समझते हैं।
- अवैध घुसपैठ की समस्या: म्यान्मार में रोहंग्या मुसलमान अपने पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए अवैध रूप से भारत में घुस आते हैं।

8.4.4 नेपाल

नेपाल के साथ भी भारत की सांझी सीमा है और 1950 में दोनों ने मैत्री सन्धि पर हस्ताक्षर किए थे। इसने हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढ़ते हुए देखा है। हिमालय क्षेत्र में तिब्बत की सीमा के साथ नेपाल रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान पर अवस्थित है इसलिए भारत को निकट और अच्छे सम्बन्धों की ज़रुरत है। नीचे कुछ ऐसे मुद्दे दिए गए हैं जिनसे हमारे सम्बन्धों की प्रगति प्रभावित हुई है।

- नेपाल चारों ओर से भूमि से घिरा एक देश है और समुद्री बन्दरगाहों तक इसकी पहुंच भारत के रास्ते से है। इससे कभी-कभी तलखी पैदा होती है।
- मदेशी जनसंख्या का मुद्दा भी दोनों के बीच संघर्ष का कारण है।
- मानव व्यापार का मुद्दा : भारत में हजारों नेपालियों को अवैध रूप से खरीद कर लाया गया माना जाता है।

क्या आप जानते हैं

मानव व्यापार का अर्थ है ''किसी देश से लोगों को दूसरे देश में बलात श्रम अथवा शोषण के लिए अवैध रूप से ले जाना।''

8.4.5 श्रीलंका

श्रीलंका के लिए भारत एकमात्र समुद्री पड़ोसी है और आमतौर पर दोनों के बीच अच्छे पड़ोसियों जैसे सम्बन्ध रहे हैं। भारत ने लिट्टे द्वारा उत्पन्न आन्तरिक सुरक्षा समस्या सुलझाने में श्रीलंका की सहायता की थी। भारत ने श्रीलंका में स्थिरता और शान्ति बनाए रखने के लिए अपनी शान्ति सेना को भेजा। भारत श्रीलंका को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करके उसका

आर्थिक सहभागी रहा है। भारत ने आर्थिक और मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और आपसी सम्बन्धों को बढ़ावा दिया है। सुरक्षा और रक्षा के मामलों में भी भारत ने श्रीलंका की सैन्य हथियारों और प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता की है। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं, जिन्होंने सम्बन्धों को प्रभावित किया है। ये हैं-

- तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा 'पल्क समुद्र सन्धि' पार कर के श्रीलंका के समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाना।
- भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चतिवु द्वीप भारत ने श्रीलंका को दे दिया और यह एक विवाद का विषय बन गया।
- श्रीलंका में चीन का नौसेना बेस तथा चीन द्वारा बन्दरगाह की सुविधाओं का निर्माण करना। यह विषय रणनीतिक और सुरक्षात्मक चिन्ता का विषय है क्योंकि इससे चीन के युद्ध पोत वहाँ आसानी से आ जा सकेंगे।

8.4.6 मालदीव

मालदीव हिन्द महासागर में भू-रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यह सबसे छोटा देश है। अन्य पड़ोसी देशों की भाँति भारत के मालदीव के साथ भी अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। भारत मालदीव के विकास में सहभागी और सभी क्षेत्रों में सहायक रहा है विशेषत: व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करने में। भारत ने मालदीव की सुरक्षा की ज़रूरतों में भी सहायता की है और रक्षा सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन मालदीव द्वारा भारत के सुरक्षा चिन्ताओं की कीमत पर चीन के साथ निकट के सम्बन्ध बनाने से आपसी सम्बन्ध खराब हुए हैं। मालदीव ने पहली बार चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन मालदीव में सरकार बदलने के साथ भारत की व्यापार पर पहली नीति लौट आई है।

पाठगत प्रश्न 8.4

1. खुली सीमा (छिद्रात्मक सीमा) से क्या अभिप्राय है?
2. स्वतंत्रता के समय काश्मीर के शासक का नाम लिखिए।
3. छद्म-युद्ध का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
4. मालदीव कहाँ अवस्थित है?
5. भारत और श्रीलंका के बीच की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
6. मानव व्यापार का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए।

8.5 पंचशील और भारत की गुट निरपेक्ष नीति : एक विहंगम दृष्टि

पंचशील को शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धान्त भी कहते हैं। ये सिद्धान्त भारत के अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों और दूसरे देशों के साथ सम्बन्धों में मार्गदर्शक सिद्धान्त बन गए हैं।

टिप्पणी

वस्तुत: यह स्वतंत्र भारत का चीन के प्रति विदेश नीति का प्रथम प्रयास था जब दोनों देशों ने 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत स्वायत क्षेत्र पर बातचीत तथा व्यापार के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

समझौते की प्रस्तावना में निम्नलिखित पाँच सिद्धान्त थे-

1. प्रत्येक देश की क्षेत्रीय अखंण्डता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान करना
2. परस्पर आक्रमण न करना
3. परस्पर अहस्तक्षेप
4. समानता और आपसी लाभ तथा
5. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व

8.5.1 पाँच सिद्धान्तों (पंचशील) का प्रभाव

पंचशील के सिद्धान्तों ने न केवल भारत और चीन के बीच पारस्परिक सम्बन्धों की नीति के रूप में काम किया अपितु अन्य देशों के साथ सम्बन्धों के एक ढाँचे के रूप में भी विकसित हुए। समय के साथ इन सिद्धान्तों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल किया गया जो 1961 में तब उभर कर आया जब औपनिवेशिक शासन बिखर गया और कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस आन्दोलन को भारत ने मिश्र, घाना, युगोस्लाविया और इन्डोनेशिया के साथ आगे बढ़ाया, जिन्हें गुट निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक कहा जाता है। यह पाँच सिद्धान्त आन्दोलन के लिए महत्वपूर्ण नीति बन गए जिसका उद्देश्य विश्व में शान्ति और सुरक्षा को स्थापित करना था।

आपने क्या सीखा

- भू-राजनीति का अर्थ दो देशों के बीच के सम्बन्धों पर भूगोल के होने वाले प्रभाव हैं। भारत केन्द्र में स्थित है और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, मालदीव और म्यांमार से घिरा हुआ है।
- हार्ड पावर को सैन्य शक्ति कहते हैं तथा साफ्ट पावर आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति को कहते हैं। भारत के पास साफ्ट पावर संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला है-जैसे योग, संगीत, शास्त्रीय नृत्य, क्रिकेट, हाकी और विभिन्न व्यंजन। हार्ड पावर के मामले में हमारी थल सेना, वायु सेना और नौ सेना का चारों तरफ के देशों के साथ कोई मुकाबला नहीं है।
- सन्धियों और गठबन्धनों का अभिप्राय देशों की बीच अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों से है। भारत भी कई सन्धियों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है-जैसे भारत-श्रीलंका समझौता, भारत रूस मैत्री सन्धि, आणविक सहयोग पर भारत-अमरीका सन्धि। यद्यपि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्धों को प्राथमिकता देता है परन्तु विभिन्न समस्याएं इन

सम्बन्धों को प्रभावित करती हैं। भारत के लिए काश्मीर, आतंकवाद और कई युद्धों के कारण पाकिस्तान एक सिरदर्द बना हुआ है। श्रीलंका में भी भारतीय तमिलों की समस्या ने अच्छे सम्बन्धों को प्रभावित किया है।

- भारत पंचशील के सिद्धान्तों और गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करता रहा है।
- इनमें से प्रत्येक भिन्न प्रकार का देश है और उसके साथ भिन्न प्रकार की राजनैतिक, राजनयिक और सैन्य रणनीति के अनुसार व्यवहार करने की ज़रुरत है।

पाठान्त प्रश्न

1. भू-राजनीति किस प्रकार निर्णय निर्माण को प्रभावित करती है?
2. साफ्ट और हार्ड पावर का क्या अर्थ है?
3. भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए।
4. पंचशील के सिद्धान्त लिखिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

8.1 1. भू-राजनीति देशों की बीच भूगोल के प्रभावों के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

2. अफगानिस्तान, बंगला देश, भूटान, म्यान्मार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव।

3. साफ्ट पावर भारत के सांस्कृतिक मूल्य और परम्पराएँ हैं जिनमें योग, भारतीय कलाएँ, हस्तशिल्प, संगीत और संस्कृति शामिल हैं।

4. भारत ने मित्रता के भाव से 2015 में नेपाल में आए भूकम्प में मानवीय आधार पर बहुत सहायता प्रदान की थी।

8.2 1. अन्य देशों अथवा राजनीतिक इकाईयों के व्यवहारों और हितों को प्रभावित करने के लिए सैन्य और आर्थिक साधनों का प्रयोग करना।

2. डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेवेल्पमेण्ट ऑर्गेनाइजेशन

8.3 1. सन्धियाँ स्वतंत्र देशों के बीच लिखित समझौते होती हैं जो कानूनी रूप से एक दूसरे पर बाध्यकारी होते हैं।

2. द्विपक्षीय सन्धि के उदाहरण हैं-भारत श्रीलंका समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच सिन्धु नदी जल सन्धि। बहुपक्षीय सन्धियों के उदाहरण हैं-दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और आसियान

टिप्पणी

3. सार्क (दक्षेस) के सदस्य हैं-बंगला देश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और अफगानिस्तान। आसियान के सदस्य हैं-मलेशिया, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाइलैण्ड, फिलीपीन्स, लाओस, वियतनाम और ब्रुनो।

8.4 1. जिन देशों की सीमाओं के बीच बाड़ नहीं लगी होती उन्हें छिद्रात्मक सीमा कहते हैं।

2. महाराजा हरी सिंह।

3. किसी देश द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर अपनी सेना को शामिल न करके विद्रोहियों और आतंकवादियों की हथियारों, प्रशिक्षण और धन से सहायता करना।

4. भारतीय हिन्द महासागर में भू-रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र

5. तमिल मछुआरों द्वारा 'पल्क जल सन्धि' को पार कर जाने का मामला तथा कच्चतिवू द्वीप का स्वामित्व

6. बलात मज़दूरी अथवा शोषण के लिए एक देश से अवैध रूप से दूसरे देशों में लोगों को भेजने का काम

374hn09

9

समुद्री सुरक्षा

जल-जीवन का मुख्य स्त्रोत है। यद्यपि पृथ्वी का एक बड़ा भाग जल है लेकिन जल की भौगोलिक स्थिति और इसमें निहित संसाधन ही इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। हम जल को सागरों और समुद्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सागर, खारे पानी की एक बहुत बड़ी इकाई है जबकि समुद्र भी पानी की इकाई हैं। वे आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और विलग भी हो सकते हैं। अधिकांश समुद्र पूरी तरह से अथवा आंशिक रुप से भूमि से घिरे हुए हैं।

आज तक हम सागरों के कुल क्षेत्र के केवल 5 प्रतिशत को ही जान पाए हैं। वर्तमान में देशों का आर्थिक विकास सागरों पर निर्भर करता है क्योंकि इन बड़ी जल इकाईयों के माध्यम से व्यापार किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं तेल का आयात-निर्यात होता है।

अत: इस प्रकार की गतिविधियों की सुरक्षा को समुद्री सुरक्षा कहा जाता है। इसके महत्व के अनुरूप सभी देश समुद्री मार्गों की सुरक्षा को अपनी अर्थ व्यवस्था, सीमाओं तथा व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए तथा अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्व देते हैं।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- अपने देश की समुद्री रक्षा के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत के लिए समुद्री रक्षा के महत्व का आकलन और व्याख्या कर सकेंगे;
- समुद्री सुरक्षा से जुड़ी भारत की विभिन्न एजेन्सियों को जान सकेंगे।

9.1 समुद्री सुरक्षा

समुद्री सुरक्षा में सागरों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाले खतरों से राष्ट्र की संप्रभुता को बचाना शामिल होता है। इसमें तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना, सागरीय संसाधनों जैसे मछलियों, कच्चे तेल और गैस के कुओं की रक्षा करना तथा बन्दरगाह की सुविधाओं की रक्षा करना शामिल होता है। इसका अभिप्राय समुद्र में अपने जलयानों के आवागमन की स्वतंत्रता एवं व्यापार की सुविधा एवं सुरक्षा को बनाए रखना भी होता है। समुद्री सुरक्षा के तत्व निम्नलिखित हैं-

टिप्पणी

- अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा
- समुद्री संचार के मार्गों की रक्षा
- संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता
- समुद्री अपराधों से बचाव
- समुद्री संसाधनों तक पहुंचना और उनकी रक्षा करना
- समुद्र में आने-जाने वालों तथा मछुआरों की सुरक्षा
- पर्यावरणीय सुरक्षा

जैसे हमें भू-सीमाओं पर खतरे होते हैं वैसे ही समुद्रों और सागरों में भी खतरे होते हैं। ये खतरे इस प्रकार के हैं-

समुद्री खतरे-

- गैर कानूनी ढंग से समुद्रों में आना-जाना/आतंकवाद
- प्राकृतिक संसाधनों का गैर कानूनी ढंग से प्रयोग/शोषण करना
- रक्षित क्षेत्रों में गैर कानूनी गतिविधियाँ
- समुद्री प्रदूषण
- प्रतिबंधित आयात-निर्यात (तस्करी)
- जैविक सुरक्षा का उल्लंघन
- समुद्रों में चोरी-डकैती और हिंसा
- समुद्री आतंकवाद

पाठगत प्रश्न 9.1

1. समुद्री सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. तीन समुद्री खतरों के नाम लिखिए।
3. समुद्री सुरक्षा के तीन तत्वों का उल्लेख कीजिए।

9.1.1 समुद्री क्षेत्र

ऐसे राज्य जिनकी समुद्र तक पहुँच होती है, उन्हें तटीय राज्य कहा जाता है। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि इसके तीन ओर विशाल समुद्री मार्ग हैं। ऐसे राज्यों को अपने इर्द गिर्द के सभी समुद्री मार्गों का विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का संप्रभु अधिकार होता है।

टिप्पणी

उद्देश्य

- आर्थिक उद्देश्यों हेतु समुद्री सतह में छिपे सभी प्राकृतिक संसाधनों को खोजना, प्रयोग करना तथा प्रबन्धन करना
- समुद्री वैज्ञानिक शोध के लिए कृत्रिम द्वीपों, ढांचों और उपकरणों के प्रयोग पर अधिकार रखना

अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत समुद्री क्षेत्र में आन्तरिक समुद्र, क्षेत्रीय समुद्र, निकट का जुड़ा हुआ क्षेत्र, विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ और महासागर शामिल होते हैं।

आइए, हम संक्षेप में उनके बारे में जानें-

- **आन्तरिक समुद्र :** आधार रेखा से भूमि की ओर की जलनिधि को आन्तरिक समुद्र कहते हैं जिससे क्षेत्रीय समुद्र की सीमा को मापा जाता है। राज्यों को अपने आन्तरिक समुद्रों पर पूरी संप्रभुता प्राप्त होती है। आन्तरिक समुद्र को भू क्षेत्र का एक अंग माना जाता है।
- **क्षेत्रीय समुद्र :** राज्य अपनी आधार रेखा से 12 नॉटीकल मील के क्षेत्र पर दावा कर सकते हैं। तटीय राज्य को क्षेत्रीय समुद्र तथा इस के उपर के वायु क्षेत्र और समुद्री सतह एवं इसके नीचे के गर्भ पर पूरा अधिकार प्राप्त होता है।
- **सन्निहित क्षेत्र :** प्रत्येक तटीय राज्य सन्निहित क्षेत्र पर दावा कर सकता है। यह क्षेत्रीय समुद्र से परे होता है और अपनी आधार रेखा से 24 नॉटीकल मील तक फैला हुआ होता है। इस क्षेत्र में तटीय राज्य कस्टम, वित्तीय, आप्रावास और स्वच्छता कानूनों को लागू कर सकता है।

क्या आप जानते हैं

नॉटीकल मील समुद्र अथवा हवा में दूरी मापने की एक इकाई है। एक नॉटीकल मील 1852 मीटर अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है।

- **विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र :** तटीय राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे और उससे जुड़े हुए भाग पर विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र का दावा कर सकते हैं जो उसकी आधार सीमा से 200 नॉटीकल मील तक अथवा किसी अन्य तटीय राज्य की सीमा तक फैला हुआ होता है। आप समुद्री क्षेत्र का भौगोलिक चित्रण नीचे देख सकते हैं।
- **महासागर :** महासागर किनारे से 200 नॉटीकल मील की दूरी से परे होता है और यह सभी देशों के लिए मुक्त रुप से खुला होता है। महासागर का कोई देश किसी अन्य देश द्वारा उपयोग करने पर कोई कार्यवाई अथवा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कानून केवल छः क्षेत्रों में गतिविधि करने की स्वतंत्रता देता है :- आवागमन, ऊपर से उडान भरना, केबल्स अथवा पाईप लाईन डालना, कृत्रिम द्वीप बनाना तथा उपकरण लगाना, मछली पकड़ना, वैज्ञानिक समुद्री शोध करना।

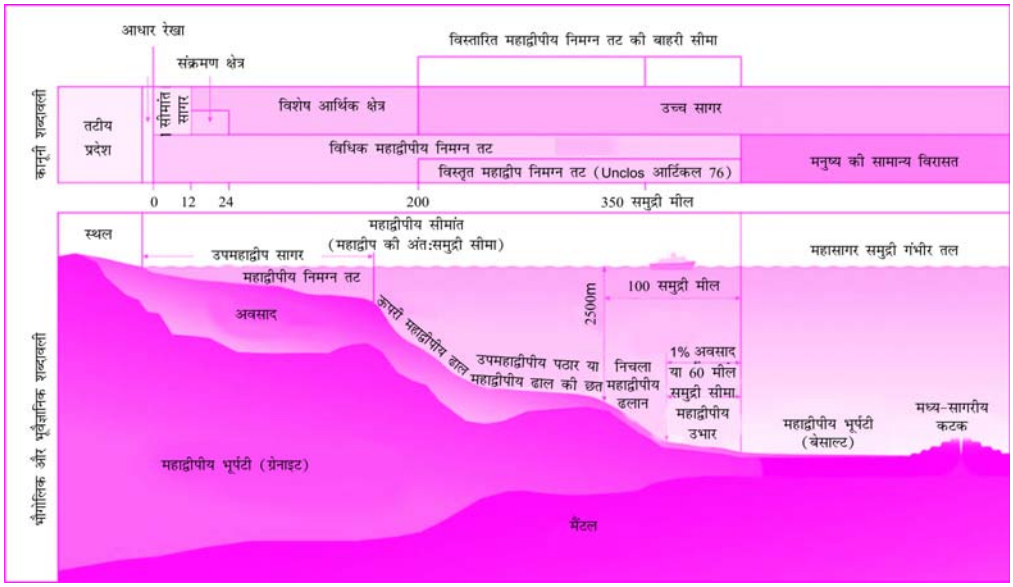

पाठगत प्रश्न 9.2

1. समुद्री कानून की व्याख्या कीजिए।
2. समुद्री क्षेत्रों का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
3. किसी तटीय राज्य के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
4. महासागर की व्याख्या कीजिए।

9.2 भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का महत्व

समुद्री रक्षा का भारत की अर्थ व्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का अधिकाँश व्यापार और ऊर्जा की आपूर्ति भारत के समुद्री क्षेत्र से होती है। ऐसा अनुमान है कि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। अत: समुद्री सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भारत की भौगोलिक स्थिति भी भारत के नीति निर्माताओं के लिए चिन्ता का विषय है।

भारत का समुद्री तट 7517 किलोमीटर लम्बा है। इसमें 5422 किलोमीटर मुख्य भूखण्ड के साथ जुड़ा है। अण्डमान और निकोबार का समुद्री तट 1962 किलोमीटर तथा लक्षद्वीप का समुद्री तट 132 किलोमीटर है। इतनी बड़ी तटीय लम्बाई अनेक प्रकार की सुरक्षा चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है जैसे चोरी, अवैध हथियारों और विस्फोटकों को तट पर उतारना, घुसपैठ, समुद्र और समुद्री किनारों का आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रयोग, ड्रग्स और मानव व्यापार तथा तस्करी इत्यादि। तटों पर भौतिक बाधाओं के न होने के कारण तथा तटों पर बन्दरगाहों जैसे बड़े उद्योगों और रक्षा उपकरणों की स्थापना जैसे राडार और न्यूक्लियर रिएकटरों के कारण से खतरा बढ़ जाता है तथा समुद्री क्षेत्र की रक्षा की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही सागर के संसाधनों को चिरजीवी ढंग से रक्षित करने की आवश्यकता है। देश की तटीय सीमा के साथ

देश के विभिन्न भागों पर स्थित बन्दरगाहों का प्रयोग करके व्यापार के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को देश के भू-भाग पर लाया जाता है। आइए हम इसके बारे में जानें।

9.2.1 भारत में बन्दरगाह

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि भारत के व्यापार का एक बड़ा भाग सागरों के माध्यम से होता है। भारत 14 तटीय आर्थिक क्षेत्र निर्मित करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में भारत में 12 बड़े बन्दरगाह हैं तथा 200 छोटे और मध्यम बन्दरगाह हैं। भारत की 12 बड़े बन्दरगाह भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर फैले हुए हैं।

यह बन्दरगाह निम्न स्थानों पर स्थित हैं-

- चेन्नई
- एनोर
- जे.एन.पी.टी.
- कोच्चि
- कोलकता
- मंगलूर
- मारमुगाओ
- तूतीकोरिन
- विशाखापतनम्

क्रियाकलाप 9.1

9.2.1 में उल्लिखित सभी मुख्य बन्दरगाहों को भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर अंकित कीजिए।

क्या आप जानते हैं

सागर माला

सागर माला, भारत सरकार द्वारा बन्दरगाहों को आधुनिक और तटीय आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की एक पहल है। इसमें तटीय सामुदायिक विकास के लिए कौशल विकास तथा मछली पालन और तटीय पर्यटन जैसे गतिविधियों से आजीविका पैदा करना भी शामिल है।

भारत के भिन्न भागों में अधिसूचित 200 बन्दरगाहों की सूची नीचे दी गई है-

क्रमांक	राज्य	बन्दगाहों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	48
2.	गुजरात	42
3.	केरल	17
4.	तमिलनाडु	15
5.	कर्नाटक	10
6.	ओडिसा	13
7.	आन्ध्र प्रदेश	12
8.	गोवा	5
9.	लक्षद्वीप	10
10.	दमन और दियु	02
11.	पुद्देचेरी	02
12.	अण्डमान और निकोबार	23

नीली अर्थव्यवस्था

सागर न केवल वस्तुओं और सेवाओं को लाने ले जाने में हमारी सहायता करते हैं अपितु मछलियों के अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैसों जैसे खनिज संसाधनों को प्रयोग करने में भी हमें सक्षम बनाते हैं। विश्व में 380 लाख लोग सागरों से मछलियां पकड़ने के काम पर निर्भर हैं। अत: सागर लोगों के लिए अनेकानेक आर्थिक अवसर भी प्रदान करते हैं। नीली अर्थ व्यवस्था तटीय समुदाय के लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सागर के संसाधनों का सम्पोषणीय ढंग से प्रयोग करने में सहायता करती है।

पाठगत प्रश्न 9.3

1. भारत के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए।
2. 'नीली अर्थव्यवस्था' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
3. भारत में स्थित किन्हीं पांच बड़े बन्दरगाहों के नाम लिखिए।
4. 'सागर माला' शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

9.2.2 समुद्री सीमाओं का रणनीतिक महत्व

भारत का सागरीय क्षेत्र भारत के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है। देश का

अधिकांश तेल और गैस समुद्र के माध्यम से ही आयात किया जाता है। समुद्री क्षेत्र के इर्द-गिर्द के देशों के साथ भारत के व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। समुद्री मार्गों के अतिरिक्त भारतीय सागर विश्व में रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विश्व के सागर जनित तेल के व्यापार का 80% से अधिक भारत के हिन्द महासागर के चोक प्वाँइन्ट्स के माध्यम से होता है- 40% स्ट्रेट आफ हार्मज़ के माध्यम से 35% स्ट्रेट आफ मलक्का और 8% बाब-एल-मन्दब स्ट्रेट के माध्यम से होता है।

क्या आप जानते हैं

चोक प्वाँइन्ट दो चौड़े और महत्वपूर्ण नौगम्य (नेवीगेबल) मार्गों के साथ एक प्राकृतिक तंग स्थान को कहते हैं। समुद्री चोक प्वाँइन्ट्स जहाजों के प्राकृतिक तंग मार्ग होते हैं जहां रणनीतिक दृष्टि से काफी यातायात होता है तथा इन्हें नौसेना द्वारा बन्द किया जा सकता है। विश्व के सशस्त्र संघर्षों के आधे से अधिक की अवस्थिति वर्तमान में भारतीय हिन्द महासागर में है। आतंकवाद और डकैती भी तनाव को बढ़ाते हैं। इस प्रतिद्वन्द्विता मुकाबलों से अलग चीन और भारत के बीच इस क्षेत्र में प्रमुखता पाने की होड़ भी इस क्षेत्र को रणनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनाती है।

हिन्द महासागर क्षेत्र में कुछ प्रमुख चोक प्वाँइन्ट्स निम्नलिखित हैं-

- स्ट्रेट आफ हार्मिन्ज़
- मलक्का और सिंगापुर स्ट्रेट्स
- सुन्दा स्ट्रेट
- लम्बोक स्ट्रेट
- केप आफ गुड होप
- मोज़म्बीक चैनल
- ओमबाय और वेटर स्ट्रेट्स
- बाब-एल-मन्देब

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 9.4

1. समुद्री चोक प्वाँइन्ट क्या होता है?
2. हिन्द महासागर क्षेत्र में किन्हीं दो प्रमुख चोक प्वाँइन्ट्स के नाम लिखिए।

9.3 समुद्री सुरक्षा को एजेंसियाँ और संस्थान

भारत में समुद्री सुरक्षा किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। यह अनेक मंत्रालयों, विभागों और एजेन्सियों का संयुक्त प्रयास है। भारत में समुद्री मुद्दों का ध्यान रखने वाले चार मंत्रालय निम्नलिखित हैं-

1. रक्षा मंत्रालय
2. गृह मंत्रालय
3. मत्सय पालन मंत्रालय
4. जहाजरानी मंत्रालय
5. अन्य मुख्य हितधारक हैं-
   - विदेश मंत्रालय
   - संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

9.3.1 समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले बल

हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले बलों में भारतीय तट रक्षक, सीमा सुरक्षा बल (रन आफ कच्छ की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल करता है), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल शामिल है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सभी बड़े बन्दरगाहों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। सभी राज्य सरकारें तथा भारत के द्वीपीय क्षेत्र जिनके पास तटीय क्षेत्र हैं-वे निम्नलिखित एजेन्सियों को काम पर लगाते हैं,

1. बल :

- राज्य समुद्री पुलिस
- राज्य समुद्री गृह रक्षक
- राज्य की क्षेत्रीय सुरक्षा कमेटियां
- ज़िले की ज़िला क्षेत्रीय सुरक्षा समितियां

2. गुप्तचर एजेन्सियाँ

- राष्ट्रीय तकनीकी शोध संगठन
- शोध एवं विश्लेषण शाखा (रॉ)
- इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (गुप्तचर ब्यूरो)

- नैरकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो
- डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यु इन्टेलीजेन्स (राजस्व गुप्तचर निदेशालय)
- रक्षा गुप्तचर एजेन्सी
- नेवी इन्टेलिजेन्स निदेशालय

3. शोध और विकास संगठन

- भारतीय अन्तरिक्ष शोध संगठन (इन्डियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन)
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
- आन्तरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र (एन.सी.ई.टी.आई. एस., आई.आई.टी. मुम्बई)

4. लैण्ड पोर्ट्स अथार्टी आफ इन्डिया, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
5. सेन्ट्रल बोर्ड आफ एक्साईज एण्ड कस्ट्मस, वित्त मंत्रालय
6. नेशनल कमेटी फार स्ट्रेन्थनिंग मेरीटाइम एण्ड कोस्टल सिक्योरिटी
7. नेशनल मरीन पुलिस ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट (एम.पी.टी.आई.)
8. सेन्ट्रल मरीन पुलिस फोर्स (योजना)

9.3.2 भारतीय तट रक्षक (Indian Coastal Gaurd)

भारतीय तट रक्षक तटीय और क्षेत्रीय जलाशयों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस की विधिवत स्थापना तटीय रक्षा अधिनियम 1978 द्वारा 18 अगस्त 1978 को की गई थी। क्या आपको विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र का स्मरण है? भारतीय तट रक्षक भारत के 20 लाख विशुद्ध आर्थिक क्षेत्रों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय तट रक्षक तटीय सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य की एजेन्सियों के बीच सकल सहयोग और तालमेल के लिए जिम्मेदार हैं।

1976 के भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम के अनुसार भारत के समुद्री क्षेत्रों को पाँच तटीय क्षेत्रों में बाँटा गया है जिनके मुख्यालय नीचे दिए गए हैं-

क्रमांक	क्षेत्र	मुख्यालय
1.	उत्तर-पश्चिम	गांधीनगर
2.	पश्चिम	मुम्बई
3.	पूर्व	चेन्नई
4.	उत्तर-पूर्व	कोलकता
5.	अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर

टिप्पणी

इन क्षेत्रों को आगे 12 तट रक्षक जिलों में बाँटा गया है। इनमें प्रत्येक 9 तटीय राज्यों में एक, अण्डमान और निकोबार में दो तथा लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप में कवारत्ती में एक तट रक्षक जिला बनाया गया।

9.3.3. भारतीय नौ सेना

समुद्री रक्षा को देखने वाली एक अन्य प्रमुख एजेन्सी भारतीय नौ सेना है। भारतीय नौ सेना की नई समुद्री रणनीति संचार के समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर आधारित है। भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति दो प्रमुख पहलुओं का अनुसरण करती है। पहला साधनों में बढ़ोत्तरी तथा खतरों के प्रकार एवं उनकी गम्भीरता। दूसरा भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए समुद्रों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि समुद्र सुरक्षित हों।

9.3.4 अन्तरराष्ट्रीय जहाज और बन्दरगाह सुविधा सुरक्षा कोड (ISPS)

अन्तरराष्ट्रीय जहाज और बन्दरगाह सुविधा सुरक्षा कोड समुद्री जहाजों और बन्दरगाहों की सुविधाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों और नियमों का एक व्यापक समूह है।

अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन

आई.एम.ओ. (अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेन्सी है। यह सुरक्षा एवं अन्तरराष्ट्रीय जहाजरानी के पर्यावरणीय प्रदर्शन एवं सुरक्षा के अन्तरराष्ट्रीय मानक निश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

इनको अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। 9/11 के बाद समुद्री सुरक्षा और देखभाल के क्षेत्र में कड़े नियम बनाए गए हैं। इस कोड को समुद्रों में जीवन की सुरक्षा के लिए आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में बनाया गया है। इस पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 148 है। इस कोड का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय बन्दरगाहों और समुद्री जहाजों के लिए एक मानक ढांचा तैयार करना है। इससे सरकारों को सुरक्षा स्तर में खतरों और भावी खतरों का पूरी क्षमता से मूल्यांकन करने और कोड द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपाय करने का मौका मिलता है। भारत ने 2004 में इस कोड को लागू किया और 10 छोटे बन्दरगाह इस कोड के अन्तर्गत काम कर रहे हैं।

पाठगत प्रश्न 9.5

1. 'अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन' और 'अन्तरराष्ट्रीय जहाज और बन्दरगाह सुविधा सुरक्षा' का क्या अभिप्राय है।
2. समुद्री सुरक्षा के लिए भारत में काम कर रहे मंत्रालयों और एजेन्सियों के नाम लिखिए।
3. भारतीय तट रक्षक का एक संक्षिप्त विवरण लिखिए।

आपने क्या सीखा

- भारत जैसे देश के लिए समुद्री सुरक्षा बहुत जरुरी है; जो कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है।
- रणनीतिक दृष्टि से भारत ने दो बड़े आतंकवादी हमले झेले हैं एक तो मुम्बई ब्लास्ट तथा दूसरा समुद्र के रास्ते से मुम्बई आतंकवादी हमला।
- इसके अतिरिक्त भारत, चीन द्वारा हिन्द महासागर में नौ सैनिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा पाकिस्तान द्वारा अवाडार में नौ सैनिक अड्डा बनाने की चुनौती का सामना कर रहा है।
- समुद्र से उत्पन्न होने वाले खतरों में डकैती, आतंकवाद और नशीले पदार्थों का व्यापार भी शामिल है।
- आर्थिक दृष्टि से हिन्द महासागर भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। अत: संचार के समुद्री मार्गों और तटीय क्षेत्रों, बन्दरगाहों, उद्योगों एवं अन्य सुविधाओं को सुरक्षा प्रदान करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- इस उद्देश्य के लिए भारत ने तट रक्षक, भारतीय नौ सेना और अन्य सैनिक एजेन्सियों तथा संस्थानों की स्थापना की है जो निरन्तर सहयोग और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

पाठान्त प्रश्न

1. समुद्री सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए।
2. 'नीली अर्थ व्यवस्था' के महत्व को उजागर कीजिए।
3. समुद्री सुरक्षा में तट रक्षकों और भारतीय नौ सेना की भूमिका का वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

9.1 1. समुद्री सुरक्षा में सागरों और समुद्रों से पैदा होने वाले खतरों से देश की संप्रभुताओं को बचाना शामिल होता है।

2. समुद्री जहाजों के अवैध आवागमन, प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन, संरक्षित क्षेत्र में अवैध गतिविधियाँ तथा समुद्री प्रदूषण

3. अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा
   - संचार के समुद्री मार्गों का बचाव
   - संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना
   - समुद्रों में होने वाले अपराधों से बचाव करना

टिप्पणी

9.2 1. विश्व के देशों द्वारा समुद्री जहाजों से सामान को लाने-ले जाने के लिए समुद्र के प्रयोग को नियमित करने के लिए बने कानून

2. इनमें आन्तरिक जलाशय, क्षेत्रीय समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ तथा महासागर सम्मिलित हैं।

3. इर्द-गिर्द के सभी जल मार्गों का विभिन्न उद्देश्यों जैसे समुद्री सतह पर आर्थिक उद्देश्यों के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को खोजने के लिए प्रयोग करने पर संप्रभु अधिकार रखना तथा कृत्रिम द्वीपों एवं समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु ढाँचों के प्रयोग पर अधिकार रखना।

4. किनारे से 200 नॉटीकल मील के बाद महासागर शुरु होता है और यह सभी देशों के लिए खुला और निशुल्क होता है। महासागर का प्रयोग करने पर कोई देश कोई कार्यवाही या दखल नहीं दे सकता।

9.3 1. क्योंकि भारत के व्यापार का अनुमानित 95% सागरों के माध्यम से होता है इसलिए समुद्री सुरक्षा भारत के लिए आवश्यक है।

2. तटीय समुदाय के लोगों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करने के लिए सागर के संसाधनों का चिरजीवी प्रयोग करने की व्यवस्था को 'नीली अर्थव्यवस्था' कहते हैं।

3. भारत में 12 बड़े बन्दरगाह हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं-कोलकता, पैरादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरन।

4. 'सागरमाला' भारत सरकार द्वारा बन्दरगाहों को आधुनिक बनाने तथा तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की एक पहल है। इसमें कौशल विकास के माध्यम से तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मछली व्यवसाय और तटीय पर्यटन की गतिविधियों से आजीविका पैदा करना शामिल है।

9.4 1. चोक प्वाँइन्ट का अर्थ दो चौड़े और महत्वपूर्ण आवागमन के समुद्री रास्तों के बीच प्राकृतिक संकुलन से है। समुद्री चोक प्वाँइन्ट जहाजरानी के प्राकृतिक रूप से तंग रास्ते को कहते हैं जहाँ उसकी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण यातायात बहुत अधिक होता है।

2. स्ट्रेट आफ मलक्का और स्ट्रेट आफ हार्मज।

9.5 1. अन्तरराष्ट्रीय समुद्री सगंठन तथा अन्तरराष्ट्रीय जहाज आरै बन्दरगाह सुविधा सुरक्षा कोड।

2. रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मतस्य मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय। एजेन्सियाँ हैं-राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन, अनुसंधान और विश्लेषण शाखा, गुप्तचर ब्यूरो, नैरकोटिक्स नियन्त्रण ब्यूरो, राजस्व गुप्तचर निदेशालय

3. भारतीय तट रक्षक तटीय और क्षेत्रीय समुद्रों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इसका विधिवत गठन तट रक्षक अधिनियम 1978 के अन्तर्गत 18 अगस्त 1978 को किया गया था।